खण्ड-189, अंक-9
बुधवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(18 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

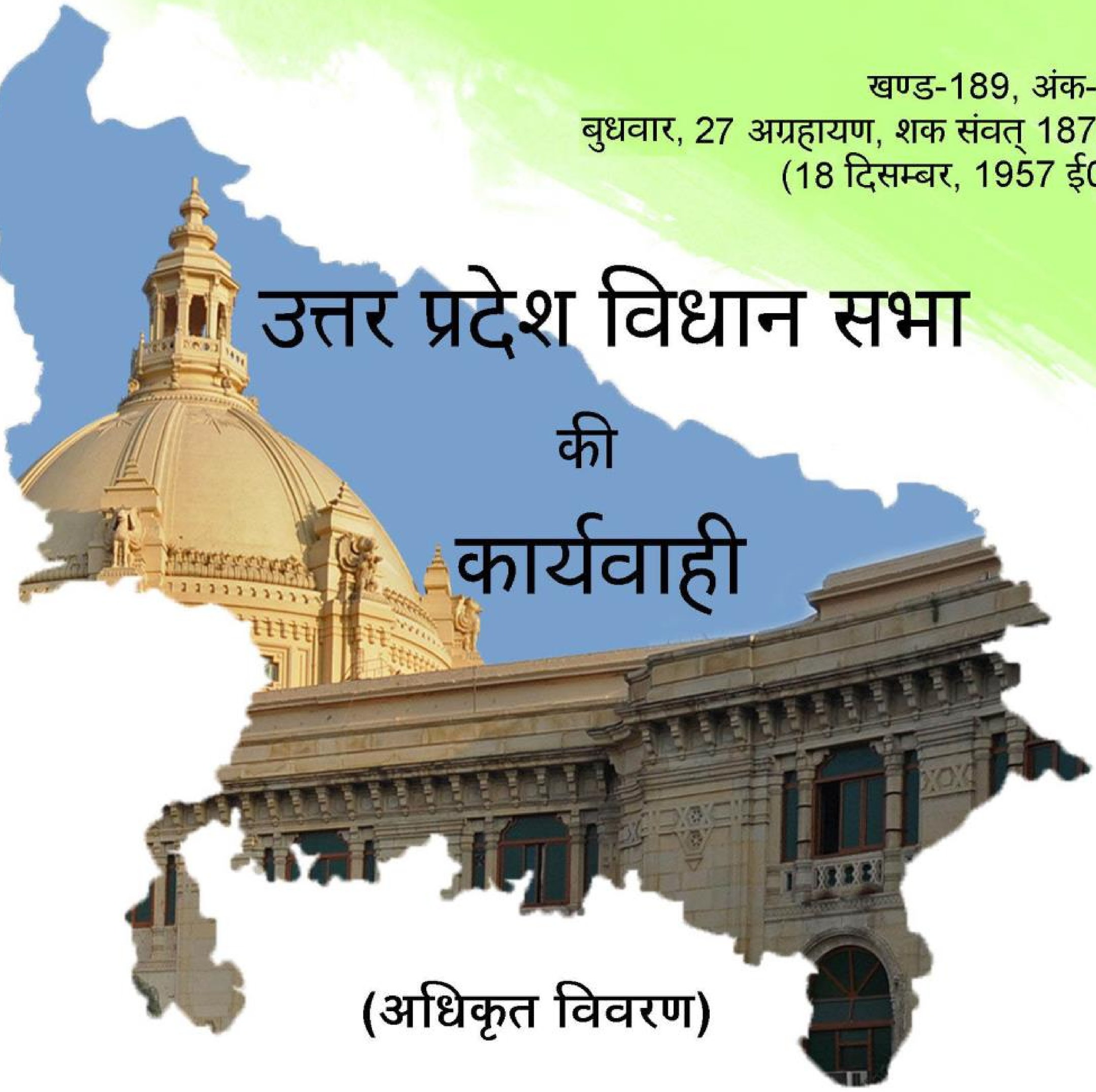

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वाशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

प्रत्येक जिले में एक फायर ब्रिगेड रखने का सुझाव

*१—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार इस योजना पर विचार करने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक Fire Brigade रखा जाय ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी नहीं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में यह फायर ब्रिगेड हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कारण क्या हैं जिनकी वजह से यह सरकार हर जिले में फायर ब्रिगेड नहीं रखना चाहती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कारण तो एक ही है कि जितने धन की उसके लिए आवश्यकता होगी, वह धन अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस समय प्रदेश में कितने फायर ब्रिगेड हैं और यदि वह हर एक जिले में कर दिये जायं तो कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मेरा खयाल है कि वह १२-१३ शहरों में है और अगर सब जगह कर दिया जाय और इमारत के खर्च को छोड़ दिया जाय तो करीब ६० लाख रुपये के खर्च होगा।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यदि सब जगह न हो सकता हो तो थोड़ी-थोड़ी जगहों को आहिस्ता-आहिस्ता लेकर फायर ब्रिगेड बनाये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसी प्रकार करते चल रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ाते चल रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---आग लग जाने से जितनी क्षति हर साल होती है उसको देखते हुए प्रत्येक जिले में एक फायर ब्रिगेड रखने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दे दिया गया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इलाहाबाद में जो फायर ब्रिगेड की शिक्षा दी जा रही है उसमें प्रत्येक वर्ष कितने आदमी पास होते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह बहुत ब्योरे का प्रश्न है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---इन १२-१३ जगहों के अलावा जो प्रदेश के और स्थान हैं वहां पर सरकार की ओर से आग बुझाने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां फायर ब्रिगेड नहीं हैं वहां सरकार की ओर से तो कोई विशेष प्रबन्ध है नहीं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों से अधिक आग लगने की सरकार के पास खबरें आती हैं क्या उनमें अनिवार्यतः फायर ब्रिगेड का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---फायर ब्रिगेड ऐसी चीज है जिसका प्रबन्ध सर्वत्र हो तो अच्छी बात है, आग तो सब जिलों में लगती है लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि इस वक्त इतना पैसा नहीं है । कुछ बड़े शहरों में ही अभी है । कोशिश इस बात की है कि वह कस्बों में भी हो जाय और फिर धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ाते चलें ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या मन्त्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि क्या वह इस बात पर गौर करेंगे कि हर एक जिले में वहां के जिला बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज मिलकर इस काम को अपने-अपने जिलों में लें और फायर ब्रिगेड बनायें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मेरी समझ में माननीय सदस्य फर्रुखाबाद से इसको शुरू करें । अगर एक स्थान पर इसका प्रयोग सफल हुआ तो और जगहों पर देखा जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय गृह मन्त्री ने यह हिसाब भी लगाया है कि आग बुझाने का उन्होंने हिसाब लगा लिया, आग लगने और लगाने का कितना खर्चा होता है यह भी हिसाब लगाया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जालसाज नटवर लाल की लखनऊ में गिरफ्तारी

*२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या यह बात ठीक है कि जालसाजों की गैंग का कुख्यात सरगना नटवर लाल गत १२ अक्तूबर को लखनऊ में गिरफ्तार हो गया है ? यदि हां, तो पुलिस कितने दिनों से उसकी तलाश में थी तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए कितने इनाम की घोषणा थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, नटवर लाल गत १३ अक्तूबर को लखनऊ में गिरफ्तार हो गया । २४ फरवरी, १९५७ को वह जिला जेल, लखनऊ से भाग गया था । तब से ही पुलिस उसकी खोज करती रही । उसके भागने पर लखनऊ जिला जेल के अधीक्षक ने १०० रुपये के इनाम की घोषणा की थी ।

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कितने मुकदमे हैं तथा अभी तक उसके द्वारा कितना रुपया कमाने की सूचनायें सरकार के पास हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—नटवर लाल के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर लगभग ५४ मुकदमे हैं। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि उसने धोखेबाजी में कितना रुपया कमाया।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसको कितने मामलों में कितनी-कितनी सजायें हुई हैं और क्या वह जेल से भी भागा है ? यदि हां, तो कब, कहां से तथा किस प्रकार ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस राज्य के मामलों में अभी उसे सजा नहीं हुई है और सब मुकदमे विचाराधीन हैं। अन्य राज्यों के मामलों में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। वह २४ फरवरी को लखनऊ के जिला जेल से भाग गया था। वह किस प्रकार भागा इसे बताना उचित न होगा, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नटवर लाल कई बार पुलिस की हिरासत से तथा दिल्ली जेल से भाग चुका था तो उसको सालिटरी सेल में या बेड़ी लगा कर क्यों नहीं रखा गया था ?

श्री अध्यक्ष—यह जवाब देने के बाद कि केस न्यायालय के सामने है, वह बहुत सी चीजें साफ नहीं करना चाहते हैं, मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला जेल के अधीक्षक के अलावा डी० आई० जी० खुफिया पुलिस ने पांच सौ रुपये, इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस ने ढाई सौ रुपये और मध्य प्रदेश ने की सरकार पांच सौ रुपये के इनामों की घोषणा की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी सूचना तो है नहीं। सम्भव है किया हो।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नटवर लाल को पकड़ने वाले पुलिसवालों को कोई इनाम दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घोषणा हुई होगी तो जरूर दिया गया होगा।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अन्य प्रदेशों में जो ५४ मुकदमे चल रहे हैं उनकी सूचनाएं मंगवाने में क्या कठिनाई हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी हमारे यहां के, प्रदेश के मुकदमें चल रहे हैं। जब अन्य प्रदेशों के अधिकारी सूचना भेजेंगे तो हमारे पास सूचना आयेगी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस आधार पर यह निर्भ्रान्त रूप से ज्ञात हो सका कि नटवर लाल जो गिरफ्तार किया गया है यह वही है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल अदालत में भी उठेगा। आप शिनाख्त के बारे में न पूछिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इधर भी आंख पड़े। अभी नटवर लाल का प्रश्न चल रहा था उसी पर सप्लीमेंटरी के लिये मैं सात बार उठा।

श्री अध्यक्ष---उस प्रश्न पर मैं चाहता भी नहीं था कि ज्यादा बहस हो। बहुत से मामले नटवर लाल के विरुद्ध चल रहे हैं और कई जिले के होंगे। इन मामलों पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो अदालत में मुकदमे के ऊपर असर पड़ेगा।

शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद टाउन एरिया कमेटी के चुनाव में दुर्घटना

*५---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जलालाबाद टाउन, जिला शाहजहाँपुर में जो घटना १२-१०-१९५७ को घटी है, जिसमें एक व्यक्ति का खून भी है, उसका कारण क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह घटना जलालाबाद टाउन एरिया कमेटी के चुनाव के सिलसिले में चुनाव की मीटिंग करने के सम्बन्ध में दो विरोधी दलों के समर्थकों में कहा सुनी होने के कारण घटी।

श्री हरदयालसिंह पिपल---जो मंत्री जी ने दो विरोधी दलों के समर्थकों में कहा सुनी के सिलसिले में बताया है तो उन दोनों विरोधी दलों के नेता कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---कौन पार्टी के सदस्य हैं इसकी तो यहां सूचना नहीं है।

श्री हरदयालसिंह पिपल---मंत्री जी बतायेंगे कि इलेक्शन के समय में जब श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय वहां पहुंचे थे तो उन्होंने अपना भाषण दिया था . . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री हरदयालसिंह पिपल---मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री इसरार हुसैन खड़े हुये थे और दूसरी तरफ श्री मदन मोहन जी खड़े हुये थे . . . .

श्री अध्यक्ष---आप सूचना न दें प्रश्न कीजिये।

(माननीय सदस्य ने पुनः प्रश्न नहीं किया)

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय वहां गये थे और एक मीटिंग को ऐड्रेस किया उसी के बाद यह झगड़ा हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, मीटिंग उन्होंने ऐड्रेस की थी।

श्री राजनारायण---तो क्या सरकार बतायेगी कि मीटिंग में जो उनके भाषणों का असर पड़ा और झगड़ा हुआ उसके अन्य कारणों की जांच करायेगी कि ऐसा भाषण नेता लोग क्यों देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इस बात को तो उन्होंने कबूल नहीं किया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय के भाषण की रिपोर्ट है और उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सज्जन के भाषण के कारण ऐसा हुआ उन पर जनता को हिंसा के लिये उत्तेजित करने के अपराध में कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने सवाल किया ही कि भाषण से असर पड़ा। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं गया था, और इसका जवाब भी नहीं दिय गया है।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो घटना १२ अक्तूबर को हुई है उसका क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसका कारण यह था कि जो सभा-स्थल पर दरी बिछी हुई थी तथा माइक्रोफोन लगा हुआ था उसको विरोधी दल के कुछ लोगों ने उठा ले जाने की कोशिश की और उसे रोकने में झगड़ा हुआ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि जलालाबाद टाउन, जिला शाहजहांपुर में जो घटना हुई उसके सिलसिले में कितने आदमियों का चालान किया गया और किन-किन दफाओं में ?

श्री कैलाशप्रकाश—२० व्यक्तियों का नाम एफ०आई०आर० में दिया गया था उन पर धारा १४८, ३०२, ४३६, ४५२, ३२३ और १८८ में मुकदमा हुआ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बतायेंगे कि अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि पार्टी का यहां प्रश्न उपस्थित करना उचित नहीं है, तो क्या यह बतायेंगे कि जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके बारे में सदन में प्रश्न उठाना अनुचित है ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न यहां पार्टी का नहीं। वहां एक झगड़ा हुआ और झगड़े में जो देखा जाता है वह व्यक्तियों की कार्यवाही देखी जाती है। कौन पार्टी के हैं यह नहीं देखा जाता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों के चालान हुये उनमें कोई सज्जन पत्रकार भी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

*६-७—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—[१ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद थाने का हल्का बढ़ाया जाना

*८—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में नवाबगंज थाने के हल्के से कौन-कौन गांव थाना मुहम्मदाबाद में मिलाये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला फर्रुखाबाद में ग्राम संकसा, पखना तथा भोर नगरिया पुलिस क्षेत्र नवाबगंज से पुलिस क्षेत्र मुहम्मदाबाद में मिलाये गये हैं।

श्री रामशरण यादव—मंत्री जी बतायेंगे कि जो क्षेत्र बदला गया है पखना मौजा इसमें मजरे भी शामिल हैं या खालिस पखना ही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पूरा गांव ही मिलाया गया होगा।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जो गांव एक थाने से दूसरे में मिलाये गये तो क्या उस थाने से इसके बदले में कुछ गांव यहां भी मिलाये गये या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी तो कोई सूचना नहीं है, नोटिस की आवश्यकता होगी।

*९—श्री प्रतापसिंह—[१ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१६ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२-१४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[१ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पिछले कई महीनों से अपने अधीन स्कूलों के अध्यापकों को उनका मासिक वेतन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—कुछ अध्यापकों को अगस्त, १९५७ का तथा कुछ अध्यापकों को अक्तूबर, १९५७ का वेतन नहीं मिला है ।

*१६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने अध्यापक हैं और उन्हें कितने महीनों से अपना वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—४३५ अध्यापकों को केवल अगस्त माह का और ३११ अध्यापकों को अक्तूबर माह का वेतन नहीं मिला ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर सदन के समक्ष क्यों नहीं दिया गया, जो मेरा प्रश्न सं० १५ है । क्यों, का कोई उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप क्यों का उत्तर चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जवाब तो दिया गया कि इतने अध्यापकों को वेतन, इस महीने का नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—प्र० सं० १५ में दिया है कि "यदि हां, तो क्यों" ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, कारण यह है कि जो यहां से अनुदान गया उस अनुदान के बारे में एकाउण्टेण्ट जनरल से आज्ञा न मिलने के कारण निकालने में देरी हुई ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अनुदान जो जिलों को यहां से जाते हैं उनमें प्रायः देर होती है और ३,४ महीने तक अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है, इसका कोई बन्दोबस्त किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा विलम्ब हो जाता है । इसकी तरफ कई जिलों से ध्यान आकर्षित किया गया है और इस बात की चेष्टा हम कर रहे हैं कि इसमें आगे विलम्ब न होने पावे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे किस वर्ग के अध्यापक हैं जिनको अगस्त मास का वेतन मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है वे किस वर्ग के अध्यापक हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यापक प्राइमरी पाठशालाओं के हैं । जो ४११ अध्यापकों को अक्तूबर, १९५७ का वेतन नहीं मिला वे भूतपूर्व राज्य की प्राइमरी पाठशालायें हैं और ४३५ अध्यापक जिनको अगस्त, १९५७ का मिला है वह जिला परिषद् की प्राइमरी पाठशालायें हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों को वेतन मिलने की आज्ञा में जो विलम्ब हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कारण तो मैं पहले बतला चुका हूं कि जो अनुदान यहां से गया, उस अनुदान को निकालने की आज्ञा ए० जी० के यहां से नहीं मिली इसलिये वह निकल नहीं सका ।

श्री शिवप्रसाद नागर—प्रश्न यही है कि ए० जी० के यहां से जो आज्ञा नहीं मिली तो उसका कारण क्या है, किस वजह से नहीं मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस कारण का पता नहीं है, लेकिन उनके यहां से जो आज्ञा आती है वह वहां नहीं मिल सकी, इस वजह से ऐसा हुआ ।

बेसिक पुस्तकों की छपाई

*१७—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कुल कितनी बेसिक पुस्तकें सरकार की ओर से छपवाई गईं और किन-किन प्रेसों से ?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५७-५८ में अब तक कुल ४९,७१,९५४ बेसिक पुस्तकें छपवाई गईं । प्रकाशकों और प्रेसों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२६-७२८ पर)

*१८—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से बेसिक पुस्तकें छपना सरकार द्वारा आरम्भ किया गया तब से अब तक सरकार को कुल कितनी रायल्टी मिली ?

श्री कैलाशप्रकाश—राजस्व द्वारा कुल १९,०१,७३१ रु० १४ आ० ३ पा० आय हुई ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बतलायेगी कि ये किताबें छपवाने की आज्ञा ऐसे लोगों को दी गई जो न पब्लिशर्स थे, न जिनके पास प्रेस थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि उनके पास कुछ ऐसी शिकायतें आई थीं जिनकी जांच ओ० एस० डी०, टेक्स्ट बुक्स ने की है और यदि की है तो क्या नतीजा हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—शिकायत ओ०एस० डी० टैक्स्ट बुक्स के पास आयी होंगी, जांच के नतीजे की जानकारी के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बतलायेगी कि किताबों के छपवाने पर जो रायल्टी मिली है उसकी क्या दर थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय तो उसकी सूचना नहीं है । लेकिन वह बंधा हुआ दर है, उसी से रायल्टी मिलती है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो प्रकाशकों की फेहरिस्त दी गयी है उसमें क्या कल्याण प्रेस का भी नाम है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कल्याण प्रेस का भी नाम है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह प्रेस कभी सरकार की ब्लैक लिस्ट में भी रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार के पास कोई ब्लैक लिस्ट है, अगर है तो उस लिस्ट में कितने प्रेस लिखे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई खास ब्लैक लिस्ट नहीं रक्खी जाती, लेकिन प्रेसों की शिकायत आती रहती है, अगर देखा जाता है कि बहुत गड़बड़ है तो उनको काम वगरह नहीं दिया जाता है ।

श्री राजनारायण—सरकार के पास जो आम लिस्ट है उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई आम लिस्ट नहीं है ।

श्री राजनारायण—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई खास लिस्ट नहीं है तो आम लिस्ट होगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आम या अमरूद कोई लिस्ट नहीं है । केवल जैसा मैंने निवेदन किया कि जब कोई शिकायत आती है और वह ठीक पायी जाती है तो उसको काम देना बन्द कर दिया जाता है । अगर ऐसी लिस्ट माननीय सदस्य चाहते होंगे तो वह मंगा दी जायगी ।।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार के पास कल्याण प्रेस में जो बेसिक रीडर्स छपी थीं उनके बारे में कोई शिकायत आयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका मुझे स्मरण नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिससे बेसिक रीडर्स सरकारी प्रेस में छप सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विचार तो बहुत बार हुआ है और ऐसा सोचा गया है कि अगर सरकारी प्रेस में छपें तो अच्छा हो लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो सकी क्योंकि पहले एक लम्बी चौड़ी पूंजी चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किताबों के छापने का जिक्र किया गया है वह नई लिपि में छपी हैं या पुरानी में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नई और पुरानी भी तो कई नई और पुरानी हो गई हैं । अब जो प्रचलित है यानी संशोधित हुई है उसी में छपी हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले जो लिपि थी उसकी छपी हुई किताबें काम करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, थोड़ी सी पुस्तकें रह गई हैं, अब जो छपेंगी वह नयी लिपि में छपेंगी ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार को पता है कि जिन लोगों को किताबें छापने की आज्ञा दी गयी थी उन्होंने उस आज्ञा को बेचकर लाभ उठाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाली देवी मैनावती का स्मारक बनवाने की प्रार्थना

*१९—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह देवी मैनावती का स्मारक बनाने का कोई विचार कर रही है जिन्हें १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने जिन्दा जला दिया था ?

गृह मंत्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—कोई ऐसा विचार नहीं है ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवी मैनावती के ऊपर सन् १८५७ में जो अन्याय हुआ था और उनको जिन्दा जला दिया गया था उस घटना को याद करते हुये क्या सरकार भविष्य में उनका स्मारक बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी नहीं। एक कमेटी यहां पर जो माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनायी गयी थी उसने यह तय कर दिया था कि कहां-कहां पर स्मारक बनेंगे, किस किस्म के बनेंगे और किस कीमत के बनेंगे। उसमें देवी मैनावती का नाम नहीं था।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी के सामने जिन स्मारकों के बनाने का विचार हुआ उसमें इस नाम पर विचार भी हुआ अथवा नहीं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के सामने नाम तो बहुत से आये लेकिन चूंकि वह प्रदेश के स्तर पर काम हो रहा था इसलिये तय यह किया गया कि ऐसे लोग जिनका भारतीय इतिहास में एक खास स्थान है, जिनकी ख्याति अखिल भारतीय है, उनका स्मारक बनाया जाय। बाकी जिन लोगों की ख्याति उतनी नहीं है उनके त्याग इत्यादि के बारे में तो कोई सन्देह नहीं है लेकिन उनके स्मारक यदि स्थानीय लोग बनायेंगे तो प्रादेशिक कमेटी की तरफ से भी कुछ सहायता देने की कोशिश की जायगी।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि देवी मैनावती कौन हैं और उन्होंने सन् १८५७ के संग्राम में क्या काम किया था ?

श्री इस्तफा हुसैन—कुछ लोगों का कहना है कि वे नाना साहब की सुपुत्री थीं लेकिन आथेंटिक रेकार्डस् से कोई पता उनका नहीं चलता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि सहायता देंगे यदि स्थानीय स्मारक बनाये जायं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सहायता देने के लिये यह नियम कर दे कि जितना रुपया स्थानीय लोग इकट्ठा करेंगे उसका दो-तिहाई सरकार दे देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी हमने सोचा तो नहीं लेकिन सुझाव अच्छा है, हम देखेंगे कि कहां तक हो सकता है।

सोशलिस्ट सत्याग्रही डाक्टर दयानारायण की घाटमपुर, जिला कानपुर में गिरफ्तारी

*२०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि क्या गत १५ अगस्त के दिन तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के सामने जिन ६ सत्याग्रहियों के साथ डा० दयानारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सत्याग्रह किया उनको हथकड़ी डाल कर कानपुर जेल लाया गया और इसके पूर्व उन्हें तहसील हवालात में बन्द रखा गया और उन्हें पेशाब आदि करने की सुविधायें नहीं दी गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्री दयानारायण व पांच अन्य व्यक्तियों को आई पी०सी० की धारा १४३ व क्रिमिनल ला ऐमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। अतएव उनको कानपुर जेल तक हथकड़ी डालकर लाया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों को तहसील हवालात में बन्द नहीं रक्खा गया बल्कि घाटमपुर थाने के पुलिस हवालात में रक्खा गया तथा उनको सब प्रकार की सुविधायें दी गईं।

*२१—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या उक्त सत्याग्रहियों को अन्य सत्याग्रहियों के समान सुविधायें कानपुर जेल में नहीं दी जा रही हैं ? इसका कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त व्यक्तियों को अन्य सत्याग्रहियों के समान सभी सुविधायें दी गयीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री-जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सत्याग्रही कितने दिन जेल में रहे और उनको कितने दिन की सजा दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन लोगों के मामले में १३ नवम्बर, १९५७ को निर्णय हुआ और उनको १५ दिन के कठिन कारावास की सजा हुई ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि ये ६ बन्दी २ नवम्बर के पूर्व तक सोशलिस्ट सत्याग्रही नहीं माने गये थे और इनको बैरक में जबर्दस्ती बन्द किया जाता था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कुछ दिनों तक वे सोशलिस्ट सत्याग्रही नहीं माने गये थे । बाद में उनको सोशलिस्ट सत्याग्रही मान कर सुविधायें दी गयीं ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण थ जिससे इनको पहले सोशलिस्ट सत्याग्रही नहीं माना गया था और बाद में माना गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्योंकि वे सत्याग्रह करते हुये गिरफ्तार नहीं किये गये थे बल्कि स्वतंत्रता दिवस की एक मीटिंग हो रही थी जिसको डिस्टर्ब करने के कारण उनकी दफा १४३ में गिरफ्तारी हुई थी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सोशलिस्ट सत्याग्रही अथवा अन्य सत्याग्रही सत्याग्रह में अपनी इच्छा से जेल जाते हैं उन्हें हथकड़ी न लगाये जाने का सरकार आदेश करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । सरकार का यह एक आदेश-सा तो है । कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी दफाओं में गिरफ्तारी हो जाती है कि जिनमें हथकड़ी लगाई जाती है । लेकिन एक साधारण आदेश है कि ऐसे सत्याग्रही जो गिरफ्तार किये जायं उनको हथकड़ी न लगायी जाय ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि राजनारायण नामक बंदी, जो कानपुर जल में बन्द था, उसने दो बार सरकार को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खत लिखा कि हम को सोशलिस्ट बंदी माना जाय और उसको नहीं माना गया और उसको कैद में दो महीने तक रखा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे, मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ६ सत्याग्रही किस तारीख को जेल में दाखिल हुये और किस तारीख को वहां से बाहर हुए ?

श्री कैलाशप्रकाश—गिरफ्तारी तो १५-८-१९५७ को हुई और उनके मामले का निर्णय १३ नवम्बर, १९५७ को हुआ ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि जो यह ६ सत्याग्रही कानपुर जेल में बन्द थ उनको जो सजा दी गई वह सजा गैरकानूनी ढंग से दी गयी है और क्या उसकी कोई शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

१० मई से १५ अगस्त, १९५७ तक सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*२२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मई, १९५७ से लेकर १५ अगस्त, १९५७ तक कितने सोशलिस्ट सत्याग्रही गिरफ्तार हुये ? उनको दी गयी सजा की कम से कम और अधिक से अधिक अवधि क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—१० मई से लेकर १५ अगस्त, १९५७ तक २,९२१ सोशलिस्ट सत्याग्रही गिरफ्तार हुये । उनको कम से कम सजा में धमकाकर (Admonition) छोड़ दिया गया तथा अधिक से अधिक १५ महीने का कठिन कारावास व ३०० रुपये जुर्माने की सजा दी गयी ।

*२३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विदेशी पराधीनता के स्मारक स्वरूप मूर्तियां हटा दी गई हैं उन सत्याग्रहियों को छोड़ने का विचार कर रही है जिन्हें इन मूर्तियों के हटवाने के सम्बन्ध में सजायें हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—विदेशी व्यक्तियों की मूर्तियों को हटवाने के सम्बन्ध में सजा पाये हुये व्यक्ति छूट गये हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इन गिरफ्तारियों की संख्या में, जो लोग धमका कर छोड़ दिये गये इनकी संख्या भी शामिल है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसमें सब शामिल हैं. सिवाय उन लोगों के जो माफी मांग कर छूट गये हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिन लोगों को अधिक से अधिक सजा दी गयी—१५ माह और ३०० रुपया जुर्माने की—उनकी संख्या कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी संख्या मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जिन लोगों को अधिक से अधिक सजा दी गई उनमें से किसी सज्जन ने उसकी अपील की और बाद में वह सजा कम की गई और स्वयं जज ने सजा को अधिक बताते हुए मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उनका फैसला अभी कोई मेरे पास नहीं आया है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता है कि प्रतापगढ जिले में रामबदन मिश्र, शिवपाल सिंह, गंगादीन मौर्य और २ और साथियों को ३१, ३१ महीने की सजा हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसमें तो वाराणसी में मूर्ति तोड़ने के लिये जिन ४६ सज्जनों को सजा हुई थी, वहीं हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसको सूचना मानकर अपना कर्तव्य समझती है कि प्रतापगढ़ में जिन लोगों को ३१ महीने की सजा हुई है उनको इसमें जोड़ दे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि उनको ३१ महीने की सजा हुई है । उसकी जांच करा ली जायगी । अभी तक यही सूचना है कि अधिक से अधिक १५ महीने की सजा हुई ।

श्री गेंदासिंह—जजों के फैसले जो सरकार के विरुद्ध होते हैं उनके लिये सरकार के सामने आने का कोई नियम है कि वह कितने दिनों के भीतर आ जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसे फैसले, जिनकी तरफ माननीय पालीवाल जी ने संकेत किया है, हमारे पास आ जाते हैं ।

लखनऊ के चार स्कूलों का अनुदान

*२४—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि—

(क) ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ,

(ख) लारेटो कनवेन्ट स्कूल, लखनऊ,

(ग) लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ, तथा

(घ) लालबाग गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ को कोई सरकारी अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में निम्नलिखित अनुदान दिया गया है —

	आवर्त्तक	अनावर्त्तक
	रु०	रु०
(क)	३९,८६२	..
(ख)	२६,९०४	..
(ग)	..	३,०००
(घ)	२४,२९६	२,५००

उन्नाव जिले के बारीथाना ग्राम में बन्दूक लाइसेन्स का खारिज होना

*२५—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बारीथाना, थाना फतेहपुर ८४, जिला उन्नाव में दो वर्ष पहले काश्तकारों तथा जमींदारों के मध्य जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी उसके सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के बन्दूक के लाइसेन्स मुअत्तल अथवा खारिज हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल एक व्यक्ति का लाइसेन्स मुअत्तल हुआ जो बाद में खारिज हो गया ।

*२६—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उनमें से कितने व्यक्तियों के लाइसेन्स तथा असलहा वापस हुये और कितनों के नहीं ? क्या सरकार कारणों पर भी प्रकाश डालेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत

*२७—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षा में हाई स्कूल और इन्टर में सन् १९५४ से १९५६ तक सप्लीमेन्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण को छोड़कर प्रतिवर्ष पृथक्-पृथक् कितने प्रतिशत छात्र पास हुये ?

श्री कैलाश प्रकाश—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२९ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय—तालिका से मालूम होता है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत बढ़ती जा रही है, क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—विद्यार्थियों की योग्यता उतनी नहीं है जिसके अनुसार वही प्रतिशत रखा जा सके ।

श्री मुक्तिनाथ राय—अनुत्तीर्ण छात्रों की बढ़ती संख्या में सुधार करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा शिक्षा परिषद् लेती है और वह इस बात पर विचार कर रही है कि किस तरह से इसका सुधार हो ।

श्री मुक्तिनाथ राय—प्रतिवर्ष किन-किन विषयों में अधिकतर छात्र फेल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन—अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री झारखंडे राय—शिक्षा का स्तर हाई स्कूल और इंटर में गिरता जा रहा है जैसा कि नतीजे से मालूम होता है, तो क्या सरकार इसकी वैज्ञानिक जांच के लिये कोई कमेटी बैठाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई कमेटी बैठाने का विचार तो नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि परसेंटेज गिरने का कारण त्रुटिपूर्ण पाठ्य-क्रम भी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारण तो बहुत हो सकते हैं । कौन-कौन कारण हैं यह राय का प्रश्न है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या अधिक लड़कों के फेल होने का एक कारण यह भी है कि प्रतिवर्ष किताबें बदली जाती हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, हर साल किताबें बदली भी नहीं जाती हैं ।

भूतकालीन शिक्षा समितियों की रिपोर्टों का सिंहावलोकन

*२८—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार भूतकालीन शिक्षा समितियों की रिपोर्टों और सुझावों का सिंहावलोकन करने के निमित्त पुनः कोई कमेटी बैठाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, कमेटी की आवश्यकता नहीं है । पर इस विषय का सिंहावलोकन करने का प्रबन्ध सरकार कर रही है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—सिंहावलोकन करने का कार्य कब से आरम्भ होगा और उसकी रिपोर्ट से सरकार सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जितनी रिपोर्ट आई हैं उन पर सिंहावलोकन होता ही रहता है और कार्यवाही भी होती रहती है । जो रिपोर्टें आयी हैं उनमें से बहुत सी स्वीकार भी हो चुकी हैं । बाकी पर विचार हो रहा है और जैसे-जैसे आवश्यकता महसूस होती है वे स्वीकार कर ली जाती हैं ।

गोंडा जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन वृद्धि न मिलना

*२९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड गोंडा के अन्तर्गत संचालित स्कूलों के अध्यापकों को १९५० से १९५६ तक जो सालाना तरक्की मिलती है, वह क्यों नहीं मिली है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जिला परिषद् गोंडा के निजी स्कूलों के अध्यापकों को सन् १९५१-५२ तथा १९५४-५५ में एक-एक वार्षिक वृद्धि दी गयी। इन अध्यापकों को सन् १९५०-५१, १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५५-५६ की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गयी है। इसी प्रकार परिषद् द्वारा संचालित भूतपूर्व राजकीय प्रारम्भिक पाठशालों के अध्यापकों को सन् १९५३-५४ तथा १९५४-५५ की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। इन अध्यापकों को भी सन् १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५५-५६ की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। उपरोक्त सम्पूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अवशेष वेतन वृद्धि न देने का उत्तरदायित्व परिषद पर है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि जो वेतन वृद्धि अभी तक अध्यापकों को नहीं दी गयी है उसे सरकार दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, सरकार इस बात का प्रबन्ध कर ही रही है कि जो वेतन वृद्धि उनको दी जानी है वह दी जाय और इसकी जिला परिषद् से भी पूछताछ की जा रही है।

गोंडा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*३०---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक गोंडा जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---३७ को।

*३१---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को राज्य की तरफ से जमीन दी गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश---गोंडा जिले में किसी राजनीतिक पीड़ित को राज्य की ओर से भूमि नहीं दी गयी है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी पेंशन दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---ज्यादा से ज्यादा ७५ रुपये और कम से कम १० रुपये हैं।

श्री गंगाप्रसाद---१० रुपये में इस महंगाई के युग में कैसे गुजर बसर होगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं। मंत्री जी यह बतलाना चाहें कि कैसे १० रुपये मिल रहे हैं तो बतला सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब यह नियम कर दिया गया है कि २० रुपये से कम किसी को न दिया जाय। पहले से उनको १० रुपये मिलते रहे हैं लेकिन अब सब को २० रुपये हैं।

श्री गंगाप्रसाद---जिनको १० रुपये हैं क्या उनको भी २० करने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---७५ रुपये और १० रु० मासिक किस आधार पर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आधार तो कोई खास ऐसा नहीं है। उम्र, परिवार के लोगों की संख्या और उसकी आवश्यकता देख लेते हैं। थोड़ी बहुत पोलिटिकल सेवा भी देख लेते हैं जो बहुत लगातार हो या पुरानी चली आ रही हो।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास कोई इस प्रकार की शिकायत आयी है कि जो पोलिटिकल सफ़रर सम्पन्न हैं उनको ज्यादा पेंशन मिल जाती है और जो गरीब हैं उनको कम मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई घटना सामने हो तो उसकी जांच कर लेंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी को अकिंचन होने से कम देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो पेंशन दी जा रही है क्या उसमें महंगाई भी शामिल है? यदि हां, तो २० रुपये माहवार में महंगाई कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० रुपये में महंगाई वगैरह सब कुछ मिला-जुला है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के प्रार्थना-पत्र अब भी लिये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, उसकी अन्तिम तिथि ३० सितम्बर थी, जिसकी सूचना अखबारों में छपा दी गयी थी कि उसके बाद दरख्वास्तें नहीं ली जायंगी।

बदायूं पुलिस द्वारा कथित व्यक्ति को जेल में रखने के सम्बन्ध में हैदराबाद के एक निवासी का मुख्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र

*३२—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद (दक्षिण) के किसी निवासी ने १२ जुलाई तथा ९ अगस्त, १९५७ ई० को प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास जो इस आशय के प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि उनके भाई को बदायूं की पुलिस ने निरपराध जेल में बन्द कर रखा है उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। इस सम्बन्ध में जिलाधीश बदायूं एवं सुपरिन्टेन्डेन्ट जिला जेल बदायूं से पूछताछ की गई परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के वहां जेल में बन्द होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हैदराबाद दक्षिण के व्यक्ति ने अपने भाई की गिरफ्तारी के बारे में सरकार को यह लिखा था कि उसके भाई के दो नाम हैं, क्या उन दोनों नामों के बारे में सरकार ने पता लगा लिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दूसरे नाम की सूचना मेरे पास नहीं है। जो नाम हमें दिया गया था, उस नाम का कोई व्यक्ति जेल में नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या उस पत्र में जो उसने सरकार के पास भेजा है, यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश की किसी जेल में उसका भाई रक्खा गया है तो क्या सरकार ने ऐसा पता लगाया है और उसको काई उत्तर क्यों नहीं दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी ऐसे पत्र का मुझे पता नहीं है।

श्री गेंदासिंह—प्रश्न में जिस पत्र का जिक्र किया गया है वह पत्र इस समय माननीय मंत्री जी के पास है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पत्र तो अवश्य ही होगा, अगर सूचना मिलेगी तो उस पत्र को मंगा लेंगे।

*३३-३५—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—[१ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बन्दूकों के लाइसेंस मामूली कागज पर देने पर आपत्ति

*३६—चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बन्दूकों के लाइसेंस एक रद्दी बादामी कागज पर बनाये जाते हैं जब कि पहिले एक जिल्द बनी हुई दी जाती थी?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, लाइसेंस अब भी जिल्ददार पुस्तिकाओं में ही दिये जाते हैं। हो सकता है कि ऐसी पुस्तिकाओं की कमी के कारण कभी मामूली कागज पर लाइसेंस दे दिया गया हो पर साधारणतः ऐसा नहीं होता है।

चौधरी खजान सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि ५–६ महीने से लाइसेंस जिल्द वाली पुस्तकों में नहीं दिये जाते हैं तो क्या सरकार उनको भेजने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—संभव हो सकता है कि किसी जगह वह पुस्तिका न रही हो और सादे कागज पर लाइसेंस दे दिया गया हो। इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि लाइसेंस के फार्म अब जिल्दों में पहुंच जायं।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरी के उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र एवं प्रमाण-पत्र हिन्दी में होने का सुझाव

*३७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि पुलिस सब-इन्सपेक्टरी के उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रार्थना-पत्रों के साथ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में संलग्न करें? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इस प्रकार के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि ये प्रमाण-पत्र नागरी लिपि एवं हिन्दी भाषा में लिखे हुये स्वीकार कर लिये जाया करें?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसे उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने प्रार्थना-पत्रों के साथ दिये जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण-पत्रों को केवल अंग्रेजी ही में दें। उसी रूप में हिन्दी में दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र भी स्वीकार किये जाते हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी सब इन्सपेक्टरों के प्रार्थना-पत्रों के फार्म भी हिन्दी में छपवाने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, हिन्दी में तो होना चाहिये, अगर नहीं होगा तो जरूर छपवा लेंगे।

गोरखपुर जिले की भारत-नैपाल सीमा पर डाकुओं के विरुद्ध नैपाल और उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही

*३८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार गोरखपुर जिले की भारत-नैपाल सीमा पर निकटवर्ती क्षेत्रों की डकैतियों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेशीय और नैपाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ प्रयास कर रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। भारत नैपाल सीमा के दोनों ओर बड़ा तथा घना जंगल होने के कारण दोनों देशों की पुलिस के लिए डाकुओं के गिरोहों के विरुद्ध संयुक्त धावे की कार्यवाही तो सम्भव नहीं थी परन्तु अन्य विषयों में संयुक्त कार्यवाही की गई। दोनों ओर की पुलिस ने पृथक-पृथक तथा एकत्र होकर डाकुओं के गिरोहों के बारे में सूचना एकत्रित की तथा उसकी अदलाबदली की। इसके उपरान्त एक सुनिश्चित कार्य-क्रम बनाने के लिए दोनों ओर की पुलिस की संयुक्त बैठकें समय-समय पर बुलाई गईं। इन संयुक्त वार्ताओं तथा सहयोगी कार्य-क्रम के फलस्वरूप सीमा के दोनों ओर डाके डालने वाले डाकुओं के दो प्रमुख गिरोहों को साफ किया जा चुका है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन डाकुओं के दलों के सफाये के सम्बन्ध में भारत और नैपाल दोनों की पुलिस की कितनी बैठकें हुईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—समय समय पर कई बार कई बैठकें हुईं।

*३९-४०—श्री मदन पांडेय—[१ जनवरी १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१—श्री मुक्तिनाथ राय—[१ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*४२-४४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[२ जनवरी, १९५८ लिये प्रश्न संख्या ३९-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४५—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[१ जनवरी, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में सादुल्लानगर थाने से संबंधित ग्राम रक्षा समितियां तथा दफा १०७ के मुकदमें

*४६—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पुलिस स्टेशन सादुल्लानगर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के कितने मुकदमे मई, १९५६ से अगस्त, १९५७ तक चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में थाना सादुल्लानगर से कुल २८ मुकदमें चलाए गए।

*४७—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में ग्राम रक्षा समितियां किन-किन थानों में स्थापित की गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला गोंडा के सभी थानों में ग्राम रक्षा समितियां स्थापित की गई हैं।

*४८—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा में कितनी ग्राम रक्षा समितियां स्थापित हुईं और उन ग्रामों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—थाना सादुल्लानगर में १८९ ग्राम रक्षा समितियां स्थापित हुईं। ग्रामों के नामों की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३०-७३२ पर)

जिला विद्यालय निरीक्षकों का चुनाव

*४९—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षकों का चुनाव, जिसका विज्ञापन गत वर्ष हुआ था, पूरा हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*५०—श्री बलदेव सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चुनाव में परिगणित जाति के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति परिगणित जाति के अभ्यर्थियों से ही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस (कम्पलेंट्स) को पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार

*५१—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि जिला डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) किसी पुलिस विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक वह जिलाधीश की स्वीकृति न लेवें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

बलिया जिले के बिल्थरा रोड बाजार में मोटर दुर्घटना से दो बुढ़ियों की मृत्यु

*५२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ऊमाव थाना, जिला बलिया के बिल्थरा रोड बाजार में दो बुढ़िया महिलायें जो बाजार में दुकान लगाये बैठी थीं जून १९५७ में मोटर से दब कर मर गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*५३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मृत महिलाओं का पोस्ट मार्टम किया गया या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*५४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में पुलिस द्वारा अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मामले की जांच की गई। घटना केवल एक्सीडेंट की पाई गई और मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

सीतापुर जिले के खेमकरन हाई स्कूल, लहरपुर को मान्यता देने के लिये प्रार्थना

*५५—श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार सीतापुर जिले के खेमकरन हाई स्कूल, लहरपुर को मान्यता देकर स्थानीय तथा निकटवर्ती छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाई स्कूल परीक्षा हेतु मान्यता शासन द्वारा नहीं दी जाती।

बरेली नगरपालिका के चुनाव के अवसर पर कथित लाठी चार्ज

*५६—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगरपालिका के चुनाव के अवसर पर १६ अक्तूबर, १९५७ को लगभग ९ बजे दिन के वार्ड नं० ९ में शाहाबाद पोलिंग स्टेशन पर पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

*५७—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त घटना के कारण उपर्युक्त स्टेशन पर पोलिंग लगभग डेढ़ घंटे तक बन्द रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सही नहीं है कि मतदान बन्द रहा।

३१ अगस्त, १९५७ को लखनऊ जिले में हिस्ट्री शीटर्स की संख्या

*५८--श्री रामशरण यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ अगस्त, सन् १९५७ को लखनऊ जिले में कुल कितने हिस्ट्री-शीटर थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस दिन कुल १,८३० हिस्ट्री शीटर थे।

*५९--श्री रामशरण यादव--क्या सरकार कृपया लखनऊ जिले के थाना मंडियांव व गोसाईंगंज के हिस्ट्री-शीटरों की संख्या बतायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थाना मंडियांव तथा गोसाईंगंज के हिस्ट्री-शीटरों की संख्या क्रमशः ९४ व ६० थी।

कारतूसी बन्दूकों के लाइसेन्स देने के नियमों को सरल करने की प्रार्थना

*६०--श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह--क्या सरकार कारतूसी बन्दूकों के लाइसेंसों का वितरण और अधिक या सरल करने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, बन्दूक के लाइसेंस देने के नियम हाल ही सन् १९५५ में पहले से अधिक सरल व उदार किए जा चुके हैं। अतः उन्हें और अधिक सरल बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

*६१-६२--श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--[१ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

*६३--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)-- [२० दिसम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६४--श्री रामदीन--[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

थानेदारों के विरुद्ध सरकारी मुकदमे

*६५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे थानेदार कितने हैं जिन पर इस वक्त सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल ८ थानेदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए मुकदमे चल रहे हैं ?

जेलरों के विरुद्ध सरकारी मुक़दमे

*६६--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिला जेलर व डिप्टी जेलर कितने हैं जिन पर इस वक्त सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)--चार जेलरों (जिसमें से दो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं) तथा एक डिप्टी जेलर पर इस समय सरकार की ओर से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं।

*६७--श्री गनेशचन्द्र काछी--[१ जनवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

कक्षा १ से ५ तक निःशुल्क शिक्षा देने वाले विद्यालय

*६८---श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वे विद्यालय कितने हैं जिन पर १ से ५ दर्जे तक शिक्षा निःशुल्क करने की राजाज्ञा लागू होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१ से ५ दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा के आदेश ३१,०९८ विद्यालयों पर लागू होते हैं।

*६९---श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे विद्यालयों में से कितनों ने १ से ५ दर्जे तक शिक्षा निःशुल्क कर दी और कितनों ने अभी तक नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२९,२८६ विद्यालयों ने निःशुल्क शिक्षा दर्जा १ से ५ तक कर दी है, तथा १,८१२ विद्यालयों ने अभी तक निःशुल्क शिक्षा नहीं की है।

*७०-७१---श्री उग्रसेन---[१ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले के अन्तर्गत चोरियां, डकैतियां और कत्ल

*७२---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सासनी थाना, जिला अलीगढ़ में इस वर्ष में कितनी डकैतियां तथा कत्ल हुये हैं और उनमें से कितने मामले छूट गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सासनी थाना, जिला अलीगढ़ में इस वर्ष तीन डकैतियां तथा सात कत्ल हुए। इनमें से दो डकैतियों के मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं, एक मामले में अभी जांच हो रही है। कत्ल के छः मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं और एक में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है।

*७३---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में चोरी, डकैती और कत्लों की संख्या पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी गई सूचना नीचे तालिका में दी हुई है :

जिला अलीगढ़ में सन् १९५४, १९५५ तथा १९५६ में हुई चोरी, डकैती तथा कत्लों की संख्या का विवरण

	चोरी	डकैती	कत्ल
१९५४	१,२७५	२१	५०
१९५५ ..	१,१७५	४१	५७
१९५६ ..	१,३२६	२७	५६

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन के कार्यालय में सनदों के लिये प्रार्थना-पत्र

*७४---श्री सुदामा प्रसाद (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल तथा इन्टर मीडियेट बोर्ड के सेक्रेटरी के कार्यालय में हाई स्कूल व इन्टर मीडिएट सनदों की प्रतिलिपि देने के कितने प्रार्थना-पत्र पड़े हैं और कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई निम्नवत् हैं :

वर्ष	हाई स्कूल	इन्टरमीडिएट
१९५६-५७	७	३
१९५७-५८ (१-४-५७ से १८-१०-५७ तक) ..	४१२	५१
योग ..	४१९	५४

सब से पुराना प्रार्थना-पत्र ३१ मार्च, १९५६ का है।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के संस्थागत एवं राजकीय संस्थाओं के परीक्षार्थी

*७५---श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ की हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षाओं में कितने संस्थागत परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और उनमें कितने राजकीय संस्थाओं के थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---संख्या निम्नवत् है :

	हाई स्कूल	इन्टरमीडिएट
कुल संस्थागत परीक्षार्थी	१,३४,०९१	५३,६३९
राजकीय संस्थाओं के परीक्षार्थी	८,७२८	३,४५४

हाई स्कूल तथा इण्टर की १९५७ की परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना

*७६---श्री डूंगरसिंह---क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि जो परीक्षार्थी १९५६ की इन्टर और हाई स्कूल की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण १९५७ की परीक्षा से वंचित कर दिये गये थे उसकी सूचना शिक्षा संस्थाओं को कब दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं को रिजल्ट शीट पर अंकित कर २५-२९ जून, १९५६ को भेज दी गई थी। केवल ३० परीक्षार्थियों की सूचना दिनांक ७ अगस्त, १९५६ से २१ मार्च, १९५७ तक भिन्न-भिन्न तिथियों को भेजी गई।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री रामदीन---[२० दिसम्बर, १९५७ में अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

---

१४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न १२ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने दो उत्तरों का संशोधन उपस्थित करगें।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन्, प्रथम सत्र १९५७ के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अनुपूरक प्रश्नों में एक प्रश्न यह था--

"क्या यह सही है कि टू ग्रेड सिस्टम जो कांस्टीटुएन्ट कालेज हैं, उनके अध्यापकों के लिये लागू किया जा रहा है?"

इसका उत्तर यह दिया गया था "जी हां, यूनिवर्सिटी के जो कालेज हैं, उसमें लागू हो रहा है"

किन्तु इस सम्बन्ध में उचित उत्तर निम्न प्रकार है--

"इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के तीन कांस्टीटुएन्ट कालेज हैं (१) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, (२) मेडिकल कालेज, कानपुर और (३) स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ। इन तीनों कालेजों में टू ग्रेड सिस्टम नहीं लागू होगा, क्योंकि उक्त सिस्टम यूनिवर्सिटी की मेडिकल और आयुर्वेदिक फैकल्टीज के लिए स्वीकृत नहीं है। यदि कोई कांस्टीटुएन्ट कालेज इन फैकल्टीज को छोड़ कर दूसरी फैकल्टीज के लिये स्थापित होता है तो उसमें टू ग्रेड सिस्टम लागू होगा।"

२१ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न ५२ तथा ५३ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन्, प्रथम सत्र १९५७ के ५ वें बुधवार के लिये निर्धारित श्रीमती चन्द्रावती द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ५२--५३ के अनुपूरक प्रश्नों में निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया गया था।

अनुपूरक प्रश्न---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो डिग्री कालेज ९ जिलों में बताये गये हैं वे एडेड हैं या सरकारी हैं?

उत्तर---ये सब सहायता प्राप्त हैं।

उपरोक्त अनुपूरक प्रश्न का उचित उत्तर निम्न प्रकार है--

"यह सब गैर-सरकारी हैं।"

प्रश्न करने के लिये नाम न पुकारे जाने पर श्री मोती लाल अवस्थी की आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यदि आपके लिये रिवाल्विंग चेयर हो जाय तो आपको अपनी बायीं तरफ भी घूम कर देखने में शायद दिक्कत न पड़े। ऐसा मालूम होता है कि आपको इस तरफ घूम कर देखने में दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग दर्जनों बार उठते बैठते हैं फिर भी आपका ध्यान इधर नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष---आदरणीय सदन कई में ऐसे सदस्य भी होते हैं जो वर्षों तक नहीं बोलते। आप जो शिकायत कर रहे हैं, वह तो साधारण सी है। मैं तो प्रश्न के महत्व के हिसाब से ही थोड़ा-सा समय देता हूं। तो हर एक प्रश्न पर हर आदमी बोलना चाहे उसको मौका नहीं मिल सकता।

प्रश्न ७०--७१ के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--- श्रीमन्, मैं अपने प्रश्न के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न आज १८ तारीख के लिये था और मेरे पास छप कर आया था

(प्रश्न सं० ७०–७१) लेकिन उसको आज नहीं लिया गया और चौथे बुधवार के लिये स्थगित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---वह तो समझा जायगा कि समाप्त हो गया।

३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में कथित लाठीचार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने मेरे पास भेजा है। वह इस प्रकार है---"३० नवम्बर सन् १९५७ को लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ जिसमें सर्वश्री रामसागर मिश्र इत्यादि....."

यह मामला पहले एक दफा आ चुका था, अब दोबारा उपस्थित किया गया है, इस वजह से कि अब यह सब-जुडिस नहीं है यानी अदालत के सामने नहीं है। यह पहले मंजूर हो चुका था और उस रोज शाम को इस पर बहस होनी थी तो उसी दिन शाम को यह पता चला कि यह मामला अदालत के सामने मौजूद है, इसलिये उस पर उस रोज बहस नहीं हुई। कल चूंकि डाक्टर लोहिया के मामले में फैसला हो गया है इसलिये माननीय सदस्य ने उसे आज फिर पेश किया है। मैंने उनसे यह बात कही थी कि आप मेरे पास फैसले की नकल भेज दें, तब मैं उसके ऊपर अपना कोई निर्णय दूंगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का नोटिस तो रख लेता हूं, मेरे पास यह प्रस्ताव पेंडिंग रहेगा और अगर उनके पास फैसले की नकल हो तो वे दे दें, नहीं तो मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार उस फैसले की नकल मुझे दे दे। रिट की ऐप्लीकेशन तो हाई कोर्ट के सम्मुख शायद राजनारायण जी आपने दी थी?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरी तो कोई ऐप्लीकेशन ही नहीं है अदालत के सामने।

श्री अध्यक्ष---वही तो मैं कहता हूं, मैं भी दोनों मामलों के बारे में फैसला हाई कोर्ट का देखना चाहता हूं। पहले मेरा यह फैसला हुआ था कि चूंकि श्री राजनारायण जी की रिट को लोहिया जी के मामले से कनेक्ट कर दिया गया था और अगर लोहिया के केस में कनेक्ट कर दिया गया तो मैं देख लूंगा कि उनके फैसले के साथ दोनों का फैसला हुआ या नहीं। इसलिये वह फैसला मेरे पास आ जाय तब मैं इस प्रस्ताव पर गौर करूंगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कानूनी बात तो नहीं जानता, आप इस बात को जरूर जानते होंगे, लेकिन मेरा खयाल ऐसा है कि कल जो तीसरे जज ने राय दी है वह फैसला नहीं कहलायेगा। नियम यह है कि वह फैसला उस बेंच के पास भेज दिया है जिसके पास केस था, फैसला तो बेंच का ही होगा। अब तीसरे जज की राय के बाद वह भी एक दो दिन में आ जायगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की बात ठीक है और अभी जो उन्होंने कहा उनकी बात सुनने के बाद निर्णय पर असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, कोई असर नहीं हुआ, वह महत्वहीन है, मैं अभी फैसला नहीं ले रहा हूं, अगर उस पर फैसला अभी नहीं हुआ है तो फैसला जिस वक्त होगा....

श्री राजनारायण---मेरा निवेदन यह है कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं इसीलिये मैं भी कह रहा हूं कि सरकार को आप कह दें कि वह जो इस सम्बन्ध में फैसला हो वह आपके पास शीघ्र पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, लोहिया वाले केस में जो फैसला होगा वह मेरे पास आ जाना चाहिये तब मैं इस प्रस्ताव पर फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण---आज फैसला निश्चित होगा, शायद अब तक हो भी गया हो।

श्री अध्यक्ष---शर्तिया चीजों को मानकर मैं नहीं चलता हूं, जब फैसला मेरे पास आयेगा तब ही देखा जायेगा।

श्री राजनारायण--हमारे नजदीक तो फैसला हो गया और सरकार के नजदीक नहीं हुआ.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो बात बताई है वह बिलकुल सही है, लेकिन मैं, मान्यवर, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह जजमेंट क्योंकि २०० पेज का है और उसको हासिल करने में मुमकिन है देर लग जाय और यह सदन इस सिलसिले में ज्यादा दिन नहीं बैठेगा इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय कि सभा विसर्जित होने से पहले ही फैसला मिल जाय तो इन तीन चार दिनों के अन्दर हम उस पर बहस भी कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैंने यही कहा कि फैसला शीघ्र ही मेरे पास आ जाना चाहिये। मैं देखूंगा कि जो फैसला रिट में हुआ है उसमें श्री राजनारायण जी के रिट का जिक्र है या नहीं.....

श्री त्रिलोकीसिंह---वह सही है, श्रीमन्।

श्री राजनारायण---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजनारायण---दो जजमेन्ट्स की कापी मेरे पास हैं, जस्टिस बेग की और जस्टिस मुल्ला की। लोहिया जी इस वक्त जेल में हैं, मैं आप की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मैंने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन मुझे लोहिया जी से मिलने की इजाजत नहीं मिली। तो इसमें हमारा क्या कसूर है। आप गवर्नमेन्ट को कहें कि दो दिन के अन्दर वह उसको लायें..

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये।

श्री राजनारायण---इस तरह की बारीकियों में यह अहम प्रश्न नहीं उठ पायेगा तो.....

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में तो माननीय विरोधीदल के नेता ने अभी बड़ी खूबी के साथ कह ही दिया है.....

श्री राजनारायण---खूबी तो मैं विरोधीदल के नेता की भी समझता हूं, सरकार की भी समझता हूं और अपनी मुसीबत भी समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो आप का खयाल व्यक्त कर दिया, उसका खयाल किया जायगा।

जिला जेल, लखनऊ में डाक्टर लोहिया को कुर्सी से बांध कर अदालत में पेश करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे का भी एक कामरोको प्रस्ताव है कि "गत ३० नवम्बर को बिक्री-कर विरोधी सत्याग्रह के सम्बन्ध में जिला जेल लखनऊ में बन्द डा० राम मनोहर लोहिया को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट श्री जायसवाल के आदेश से जिस प्रकार जबरदस्ती कुर्सी से बांध कर तथा कथित अदालत में पेश किया गया और जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान लिया गया, उसने मानव के मौलिक नागरिक अधिकार तथा शान्ति व्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा पैदा करते हुये प्रदेश का सारा वातावरण क्षब्ध कर दिया है।

अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह जो प्रश्न है अंगूठे की निशानी के बारे में यह अदालत से संबंधित है । मैं समझता हूं कि करीब-करीब दोनों हाईकोर्ट के जज मिल कर अपनी राय भी जाहिर कर चुके हैं। इसलिये अब शांति और व्यवस्था को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, ऐसी चीज कोई पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब अदालत फैसला दे देती है तो इस विषय पर सदन तो फैसला नहीं देगा, सदन तो सिर्फ दो घंटे बहस कर सकता है । अगर एक अदालत का फैसला हो जाता है कि यह बात अवैध है और नहीं होनी चाहिये, तो खतरा खत्म हो गया यानी वह बात नहीं होगी । मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय भविष्य में नहीं बन सकता कि किसी फैसले में कह दिया कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये । गैर-वाजिब है, तो उसके ऊपर बहस चलायी जाय । मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है और इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मुझे यह निवेदन करना है कि कामरोको प्रस्ताव का विषय यह है कि जिस प्रकार का व्यवहार किया गया डाक्टर लोहिया के साथ उसके ऊपर विचार करने के लिये कार्य स्थगन हो।

श्री अध्यक्ष---उसके ऊपर अदालत विचार कर चुकी । मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अब बहस नहीं हो सकती ।

गंगा नदी में नाव डूबने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री हरदयाल सिंह का है--

"दिनांक दिसम्बर १५, १९५७ रविवार को अनूपशहर में गंगानदी में नाव के डूब जाने के कारण बहुत से आदमियों की जानें गयी हैं, फिर भी सरकार ने कोई जांच अब तक नहीं करायी । अतः वहां के लोगों में सरकार के प्रति भीषण असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इसमें, सरकार के पास क्या शिकायत भेजी गयी है और उसने क्या जांच करायी, और उक्त घटना सही है या नहीं, ऐसी कोई भी बात इसके साथ लिखी नहीं है । मैं इसको अनिश्चित करार दे कर इजाजत नहीं देता हूं ।

निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित प्रेस-नोट में उल्लिखित निर्वाचन पद्धति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री मदन पांडेय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है--

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित प्रेस नोट, जिसमें चुनावों में स्थायी रूप से मार्किंग सिस्टम को मान्यता देने का निश्चय प्रगट किया गया है तथा जिससे प्रदेश के गत् शहरी क्षेत्रों के चुनावों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश की ८५ प्रतिशत जनता जो अशिक्षित है स्वयं मतदान नहीं कर पाती है बल्कि उसे पोलिंग अफसर पर निर्भर करना पड़ता है जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है विचार करने के लिये कार्य स्थगन करें" ।

[श्री अध्यक्ष]

मैं समझता हूं कि यह एलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट छपाया था। वह सूचनार्थ माननीय सदस्यों के सामने हमारे दफ्तर से आया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर डिबेट लोक सभा में होगी। अगर इसके ऊपर यहां राय देने का सवाल माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं तो इस प्रश्न पर सदन की राय केन्द्र के पास भेजने के लिये असरकारी प्रस्ताव लाकर उसे आप उठा सकते हैं। लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है। यह चीज प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायतार्थ निर्मित सर्वदलीय समिति की बैठक न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का है। वह इस प्रकार है :--

"प्रदेश के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता का सुझाव देने हेतु आदरणीय सदन के सदस्यों से निर्मित एक सर्वदलीय कमेटी बनी है। इसकी बैठकें केवल प्रारम्भ में दो हो सकीं।

उसके बाद पूर्वी अंचल में सूखा से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये बार-बार अनुरोध करने पर भी सरकार ने उस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई। इससे प्रदेश में तीव्र असंतोष व्याप्त है।

इस विषय पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि यह क्या मामला है? यह कमेटी सदन की तरफ से नियुक्त हुई थी या सरकार की तरफ से?

मंत्री (श्री चरणसिंह)--सदन की तरफ से नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से थी।

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में आप कुछ सूचना देंगे?

श्री चरणसिंह--मुझे कोई सूचना नहीं देनी है।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आरोप माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें क्या तथ्य है, मैंने इसीलिये उस प्रस्ताव को सुना दिया।

श्री चरणसिंह--यह बात ठीक है कि इसकी दो मीटिंग्ज केवल हुईं, १८ और १९ सितम्बर को।

श्री अध्यक्ष--वह यह कहते हैं कि बार-बार कहने पर भी कोई असर नहीं हुआ, जिससे असंतोष पैदा हुआ। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है?

श्री चरणसिंह--पहले यह तय कर लिया जाय कि यह एडजर्नमेंट मोशन का विषय भी हो सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--आप इस पर राय दीजिये।

श्री चरणसिंह--मेरी गुजारिश यह है कि यह कोई रिसेंट अकरेंस का मामला नहीं है। गवर्नमेंट की कोई नेगलिजेंस हो, फेल्योर हो, यह बात मैं आर्ग्युमेंट के लिये माने लेता हूं कि उसमें गलतियां हों तो ऐसी गलतियां एडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं बन सकतीं। अगर इस तरह की गलतियां एडजर्नमेंट मोशन का विषय बन सकतीं तो मैं यह समझता हूं कि सदन में कोई काम चलना नामुमकिन हो जायगा। तो जहां तक इस मामले का ताल्लुक है

उसमें कोई रीसेंट अकरेंस नहीं है । एक कंटिनुइंग चीज वह है । उनके एलीगेशन के मुताबिक उसको अगर एक्सेप्ट भी किया जाय तो उससे एक स्थिति पैदा हुई, यह नहीं कि कोई खास अकरेंस पैदा हुआ हो और उससे कोई हैजान हो गया हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा हो जिसको डिस्कस करना जरूरी हो । १८–१९ सितम्बर को मीटिंग हुई । माननीय झारखंडे राय और गेंदासिंह जी के खत आये । अखबारों में बयान उन्होंने दिये । मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया । तो कंटिनुइंग सेचुएशन है । यह कोई ऐडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं बन सकता ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह किसी तरह से संगत नहीं मालूम होता । यह विषय अत्यन्त गम्भीर है । आप, सारा सदन और प्रदेश की जनता इस बात से अवगत है कि कमेटी बनी । उस कमेटी को बुलाने के लिये माननीय गेंदासिंह और मैंने कई बार कहा, पत्र लिखे उस समय जब कि हमारे प्रदेश में सूखे की शुरुआत हुई थी और वह सूखा दिन ब दिन बढ़ता गया और सरकार ने उसे तसलीम किया और महीनों पहले पत्र लिखे गये थे, लेकिन वह कमेटी नहीं बुलाई गई । पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया गया । तीसरा पत्र लिखा तो माननीय माल मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि मीटिंग बुलायेंगे या नहीं बुलायेंगे, कोई कारण नहीं बतलाया कि क्यों नहीं बुलायेंगे, मिलने पर कोई साफ बात नहीं की । २६ नवम्बर को जब माननीय मुख्य मंत्री जी से इसकी चर्चा हुई थी . . .

श्री अध्यक्ष---आपको तो केवल यह बताना है कि यह विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय हो सकता है या नहीं, क्योंकि माल मंत्री जी का कहना है कि यह बात कंटिनुइंग है, कोई रीसेंट अकरेंस की चीज नहीं है, बराबर चल रही है । अगर मीटिंग इस पर विचार के लिये नहीं बुलाई तो मीटिंग किसी समय न बुलाना तो कोई रीसेंट अकरेंस की चीज है नहीं । तो यह विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय कैसे बन सकता है ?

श्री झारखंडे राय---रीसेंट अकरेंस की बात जो है पहले भी इस सिलसिले में यही कहा गया था । सूखा कोई रीसेंट अकरेंस नहीं हुआ करता । सूखा तो एक प्रक्रिया है, जिसका असर प्रदेश पर बुरा पड़ता है और कमेटी जो उसे सिलसिले में बनी हुई है उसका न बुलाया जाना यह उससे सम्बन्धित है और इसके लिये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिये आप अनुमति दें । मेरी आप से इतनी ही प्रार्थना है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव के रीसेंट अकरेंस होने के सम्बन्ध में एक निवेदन करना है और वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ दिन पहले हम लोगों की जो बातचीत हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि सम्भवतः सर्वदलीय समिति की मीटिंग बुलाई जायगी और हम आशा करते थे कि वह आज बुलाई जायगी कल बुलाई जायगी । लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि नहीं बुलाई जा रही है तब तो यह रीसेंट अकरेंस की चीज हुई । यह विषय जिसके लिये यह कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी मीटिंग न बुलाया जाना इस बात का विषय है कि हमें विचार करना है कि इस प्रकार की समिति के सम्बन्ध में भी सत्ताधारी दल का रूप विरोधी भावनाओं के ठुकराने का है । मेरा विचार यह है कि यह विषय कार्य-स्थगन प्रस्ताव का हो सकता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करने की कृपा करें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, इस आदरणीय सदन को विदित है कि इस समिति का निर्माण, गत वर्ष और इसके प्रथम जो आपदायें पूर्वी हिस्से में हुई थीं, इस प्रदेश के, उसमें क्या तात्कालिक सहायता दी जाय, इस पर विचार करने के लिये किया गया था ।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

इस कमेटी की बैठक दो दिन हुई, कुछ सिफारिशें हुईं। लेकिन जिस समय कमेटी की बैठक स्थगित हुई, यह किसी को खयाल नहीं था जैसा कि दो माननीय सदस्यों के बयान से प्रत्यक्ष है कि कमेटी का काम समाप्त हो गया। मेरी भी ऐसी राय थी और यही धारणा थी। फिर कमेटी की बैठक आज तक नहीं बुलाई गई और सरकार ने जिस हेतु कमेटी का निर्माण किया था कि तात्कालिक सहायता की सिफारिश करे वह अधूरा रह गया। यदि यह मान लिया जाय कि जितनी सिफारिशें थीं वह सब समाप्त हो गईं तब तो दूसरी बात है, लेकिन माल मंत्री जी ने अपने बयान में नहीं कहा कि जो कमेटी काम कर रही थी वह खत्म हो गयी। अगर उनका फिकरा मुझे ठीक तरह से याद है तो वह यह था कि कंटीन्यूइंग चीज है यानी काम अभी बाकी है। इसमें प्रश्न यह उठता है कि जो कमेटी तात्कालिक सहायता की सिफारिशों के लिये बुलाई गई थी, उसकी बैठक क्यों नहीं की गई जब कि तात्कालिक सहायता की सिफारिशों पर गौर करना है। यह मामला सार्वजनिक महत्व का है और आवश्यक भी है, यह एक निश्चित प्रश्न है। जहां तक अर्जेन्सी का सवाल है, इसके सम्बन्ध में जरूर यह कहा जा सकता है कि जिस दिन सदन बैठा था उसी दिन यह सवाल उठाना चाहिये था। लेकिन मैं यह निवेदन करूं इस सम्बन्ध में, अगर मुझे ठीक याद है कि कुछ चर्चा यहां हुई थी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने के लिये यदि आप इजाजत देंगे तो तो वह सर्वथा न्यायोचित होगा।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसके ऊपर काफी गौर कर लिया है। (श्री चरणसिंह जी के खड़े होने पर) मैं अपना फैसला दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रश्न को रखा, और भी लोगों ने रखा और माननीय झारखंडे राय ने पानी बरसने के बारे में पहले एक बार मैंने जो फैसला दिया था, उसकी ओर थोड़ा सा इशारा किया। लेकिन इसमें और उसमें भेद है। पानी न बरसे और उसी वजह से सूखा पड़ जाय। यह हो सकता है कि किसी निश्चित दिन तक पानी न बरसे तो सूखा पड़ जाय। उस आखरी दिन तक आशा से रास्ता देखा जाता है और यदि उस दिन तक पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ जाता है, इसलिए सूखा इस कारण पड़ने पर कहा जा सकता है कि वह रीसेंट घटना है, यह नहीं है कि कोई घटना घटित हुई है और दुबारा घटना नहीं हुई है उसकी वजह से उसका परिणाम रीसेंट अकरेंस में मैंने शामिल कर लिया हो। इस विषय में एक तो गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है, जो सदन की कमेटी नहीं है। गवर्नमेंट ने राय लेने के लिये कमेटी बिठाई। दो दफा उससे राय ली, इसके बाद समिति की बैठक अनावश्यक समझी। यह प्रश्न चल रहा है महीनों से, इसको मैं रीसेंट अकरेंस की घटना किसी तरह से कबूल नहीं कर सकता; हूं लेकिन हां यह विषय महत्व का हो सकता है और सार्वजनिक महत्व का भी है, फिर इस प्रश्न को उठाने का ढंग क्या हो? यह प्रश्न है।

यदि यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का था तो उसके लिये तो आप शार्ट नोटिस सवाल कर सकते थे। मंत्री जी उसका जवाब देते और अगर आपको मालूम होता कि उसके ऊपर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आध घंटे की बहस मेरी अनुमति से करा लेते। यह बात तो हो सकती थी लेकिन कामरोको प्रस्ताव की इजाजत मैं नहीं दे सकता।

श्री रामनारायण---श्रीमन्, वह कमेटी अब है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--- वे तो कहते हैं कि है।

श्री चरणसिंह---वह तो इमीडियेट रिलीफ के लिये थी, कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। मान लो अगली फसल भी खराब हो जाय तो क्या यही कमेटी उसके लिये भी है। यह तो इमीडियेट रिलीफ के लिये थी। यों एक स्टैंडिंग रेवेन्यू कमेटी है जो सर्व-दलीय है।

श्री अध्यक्ष---तो वह कमेटी अब नहीं है?

श्री चरणसिंह---जी हां, वह खत्म हो गई।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, निगोहां, जिला लखनऊ के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब श्री रामशरण यादव जी का एक कामरोको प्रस्ताव है ।

"राजकीय दीक्षा विद्यालय, निगोहां, जिला लखनऊ के अध्यापकों को वेतन इस वर्ष का अब तक नहीं दिया गया है । इस विषय में उक्त अध्यापकों ने सम्बन्धित अधिकारियों, शिक्षा संचालक आदि से लिखा-पढ़ी की और माननीय शिक्षा मंत्री और राज्यपाल महोदय को भी लिखा-पढ़ी की और निवेदन किया कि वेतन दिलाया जाय या उनको वेतन न दिये जाने का कारण बताया जाय किन्तु अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया ....."

यानी यह जो वेतन का सवाल है यह पूरे वर्ष भर का सवाल है । यह रीसेंट अकरेन्स की चीज नहीं है । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन के सेक्रेटरी जनरल सर हावर्ड डि एगविल द्वारा भाषण दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक सूचना मैं आदरणीय सदन को देना चाहता हूं । वैसे वह सूचना माननीय सदस्यों के पास तो पहुंच चुकी होगी लेकिन याद दिलाने के लिये कह रहा हूं कि कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की तरफ से सर हावर्ड डि एगविल, सेक्रेटरी जनरल, कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन, आज यहां आ गये हैं और एक मीटिंग ५ १/२ बजे नये कमेटी रूम में रखी गयी है जिसे वे ऐड्रेस करेंगे । इसलिये माननीय सदस्य उनके भाषण में उपस्थित रहने की कृपा करें । इसको मैंने याद दिला दी चूंकि सभा समाप्त होने के बाद शायद लोग भूल जायं और चले जायं ।

१९५३-५४ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों पर जिनके लिये १६ दिसम्बर, १९५७ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में मांगें उपस्थित की गयी थीं, मतदान होगा ।

इस सम्बन्ध में जो तरीका होगा वह यह होगा, मैंने पहले भी ग्रांट्स के सम्बन्ध में यही तरीका रखा था कि इसमें आम बहस नहीं होगी । एक-एक माननीय मंत्री अपनी ग्रांट पेश करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो कर मत लेकर फैसला हो जायगा । यह मैंने फैसला १२ सितम्बर, सन् १९५५ को दिया था । जब विनियमन विधेयक आयेगा तो उसके ऊपर संक्षेप में थोड़ी आम बहस हो जायगी । क्योंकि इसमें कुछ पुरानी मांगे हैं और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उनको जांचती है और उसकी सिफारिश पर ये चीजें आदरणीय सदन के पास आती हैं, इसलिये आम बहस का कोई महत्व नहीं है और उसमें समय अधिक खराब होता है । इसलिये पहले जब ग्रांट पेश होगी तो उस पर थोड़ी सी बहस हो कर राय ले ली जाय और जब विधेयक आयेगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी आम बहस की मैं इजाजत दूंगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह जो हमको साहित्य दिया गया है उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि क्यों यह खर्चा हुआ । सन् १९५३-५४ का खर्च है, आज १९५७ है, महज साढ़े चार साल के बाद यह इस सदन के सामने लाया गया है और इस सिलसिले में यह भी नहीं बताया गया कि इतनी देर क्यों हुई । वित्त मंत्री जी ने यह कहीं नहीं लिखा है कि इसके लाने में इतना समय क्यों लगा । अगर

[श्री त्रिलोकीसिंह]

आपकी इजाजत हो तो आप यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि यह तो इस आदरणीय सदन का एक मजाक है। हमने जो रुपया मंजूर किया उसमें से १ करोड़ ३२ लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल उसको पेश करना चाहिये था, यह साढ़े चार साल के बाद यहां लाया गया है और इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि यह देरी क्यों हुई।

श्री अध्यक्ष---आप जो दूसरे साल की बात कहते हैं उसके सिलसिले में मैं कहता हूं कि इस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में चर्चा होती है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आडिट की रिपोर्ट आती है, जब वहां इस पर चर्चा होती है। आडिट की जो रिपोर्ट है वह ही एक दो साल में आती है, उसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उस पर विचार करके कहती है कि अमुक एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ इसकी मंजूरी होनी चाहिये क्योंकि वह खर्चा ठीक हुआ, तब यह मदें सदन के सामने आती हैं। तो इसमें दो, तीन साल लग ही जायेंगे, जब तक यह पद्धति कायम है तब तक। अगर इसमें आप कोई सुझाव देते हैं, पद्धति के बदलने के लिये, तो बात दूसरी है।

श्री त्रिलोकीसिंह---अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस पेश कर दूं। वहां भी यही पद्धति है कि आडिटर जनरल आडिट करता है, फिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जाता है मामला, उसको पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी सर्टिफाई करती है तब वह कमेटी आफ सप्लाई में आता है, यानी हाउस आफ कामंस के सामने। लेकिन मान्यवर, इसमें देखने की बात यह है कि जिन अधिकारियों ने इस रुपये को व्यय किया, वह ए, बी, सी कोई भी हों, उनको यह ज्ञान था ३१ मार्च, १९५४ को कि यह रुपया अधिक खर्च हुआ। मैं यह अर्ज करूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पंद्रहवें एडीशन के पेज ६९६ पर लिखा है:---

"In this case the excess must be voted in the following year and this is necessary even if a department has been able to cover such excess expenditure by an increase in its receipts over the estimated appropriation in aid. . . . .

When the exact amount of the excess expenditure for the past financial year has been ascertained on the completion of the audit of the appropriation accounts, the Comptroller and Auditor General reports to the House and this report comes before the Public Accounts Committee. After examination, that body makes a report. . . ." and so on and so forth."

एक मैं और अर्ज कर दूं कि हाउस आफ कामंस का एक रेजोल्यूशन है इस सिलसिले में---

"and to place on record a permanent disapproval of these departmental excesses, the Commons resolved, on 30th March, 1849, that "when a certain amount of expenditure for a particular service has been determined upon by Parliament, it is the bounden duty of the department which has that service under its charge and control, to take care that the expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose."

मेरे अर्ज करने का मंशा केवल यह है कि हम इस पर बहस क्या करें। कोई कारण नहीं लिखा हुआ है। अनुदान पेश हो और उस पर हम हां कहें या नहीं, यही हमारा काम रह जाता है। यह साढ़े चार साल का समय क्यों लगा, इसके लिये आडिटर जनरल अपराधी है या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, या कौन साहब हैं? इसलिये मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रुपये पैसे के मामले में अगर इस सदन का कंट्रोल न रहा तो फिर इस सदन का ९० फीसदी काम समाप्त हो जाता है।

आर्टिकिल २०५ जिसके अन्तर्गत इस बात का अधिकार राज्यपाल महोदय को प्राप्त है कि वह इस सदन के सामने उन सब स्टेटमेंट को रखे वहां पर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि यह कोई ४ या ५ साल के बाद आयेगा। इनसे कोई कारण नहीं मालूम होता है कि क्यों ऐसा हुआ। जब यू० के० का बजट हमसे २० गुना है और उसका हिसाब अगले साल आता है तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां इतना समय लगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल ने जो पद्धति बतलाई उसी पद्धति को हमने अपने यहां करीब-करीब स्वीकार किया है। इसके लिये इसमें भी पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस नामक पुस्तक में यह दिया हुआ है कि —

"Demands for excess grants are not brought before the House of Commons until the following steps have been taken. When the exact amount of the excess expenditure for the past financial year has been ascertained on the completion of the audit of the appropriation accounts, the Comptroller and Auditor General reports to the House and this report comes before the Public Accounts Committee. After examination that body makes a report to the House, if possible, in March of the financial year following that in which the excess occurred.. .. .."

जब तक उक्त कार्यवाही नहीं होती तब तक एक्सेस ग्रांट सदन के सामने नहीं आती यानी जब तक पिछले फाइनेंशियल वर्ष के लिये ज्यादा खर्चा मालूम न हो जाय। आडिट होने के बाद आडिटर जनरल हाउस को रिपोर्ट करता है और वही रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाती है। तब यहां पर सदन में वह चीज आती है। उसी तरह से हमने भी तरीका स्वीकार किया है और उसी की नकल करीब-करीब हमने की है, सिर्फ अन्तर इतना है कि कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल इंगलैंड में हाउस को रिपोर्ट करता है। जहां तक मुझे मालूम है यहाँ वह इस हाउस का नौकर नहीं है। हमारे संविधान के अन्दर भी यही १५१ के अन्दर दिया हुआ है :—

"The report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Lagislature of the State."

यह आडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट एकाउन्ट्स के विषय में गवर्नर को देता है। वह हाउस के सामने सीधे नहीं आती है। कुछ भी हो यह बिलकुल टैक्निकल बात हुई। प्रश्न केवल यह है कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाती है और वह उसको जांच करती है। उसके जांच लेने के बाद वह हाउस के सामने आती है। अगर उनके यहां यह पद्धति है कि आडिटर जनरल उसी साल अपनी रिपोर्ट दे दे और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी भी उस पर जल्दी फैसला दे दे तो फिर वह दूसरे साल ही वहां पर आ जा सकती है। मगर आपके यहां तो यह पहले से चला आता है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने २, ३ साल के बाद वह आडिट रिपोर्ट आती है। आडिटर जनरल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके ऊपर गवर्नमेंट आफ इंडिया का कंट्रोल है। अगर वह अपनी रिपोर्ट २ साल में भेजता है तो यहां पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में देर हो जाती है और फिर अपने यहां भी उसमें साल भर लग जाता है। यह चीज पुराने समय से चल रही है तो इस तरह से उसमें २,३ साल हो जाते हैं। इसलिये यह सोचा गया था कि अपने यहां की पद्धति के अनुसार हम लोग उस इस्टीमेंट कमेटी को मजबूत करें जिससे उसी साल जो खर्चा हो उस पर कुछ कंट्रोल सदन का हो सके। मावलंकर जी के जमाने में भी इस तरह की दिक्कत का प्रश्न उठा था कि इस तरह से २, ३ साल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के रिपोर्ट के लिए हो जाते हैं। अगर यह हो सके कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने वह साल भर के अन्दर एक्सेस ग्रांट आ जायं तो दूसरी पद्धति स्वीकार हो सकती है। यदि हम प्रथा बदल दें और जिस विभाग का एक्सेस एक्सपेंडीचर हो उसकी तत्काल गवर्नमेंट के विभाग सदन को सूचना दे दिया करें और सदन उस पर अपनी राय दे दे इसके लिये प्रक्रिया नियमावली में सुधार होना चाहिए। वह हमारे

[श्री अध्यक्ष]

सामने आने वाली है, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आज इस प्रश्न को उठाने का कोई कारण नहीं है। इसीलिये मैंने इसका और भी स्पष्टीकरण कर दिया कि दो साल पहले यह प्रश्न आया था और वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण दिया था और आखिर में मैंने यह फैसला दिया था कि यह पद्धति यहां पर होगी और इसी पद्धति को उस समय तक हमें चलाना होगा जब तक कि हमारे नियम और प्रथा पूर्ववत् ही हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आप देखें कि गत वर्ष इसी तरह के अतिरिक्त अनुदान की मांग की गयी थी और मुझे स्मरण है कि आपने सरकार को भी चेतावनी दी थी और जो आज माननीय नेता विरोधीदल ने प्रश्न उठाया है उस वक्त भी प्रश्न उठा था। आडीटर जनरल बराबर यह शिकायत करता रहा है कि हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स उनके पास ठीक समय पर खर्चा नहीं भेजते हैं। अगर कोई कर्मचारी पकड़ जाने वाला है तो पता नहीं उस समय तक वह कहां से कहां चला जाता है। यह बराबर उनकी रिपोर्ट्स हैं। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की बातें आगे नहीं होंगी, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी सरकार वही अपनी पुरानी चाल पर चलती है। इसलिये आपको अवश्य ही सरकार को यह कहना चाहिये कि यह इस प्रकार का विलंब क्यों होता है। जब ग्रांट हमारे सामने आयेंगी तो उनके बारे में हम अपने विचार रखेंगे लेकिन इस समय यह कहना कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह नया है, ऐसा नहीं है। यह प्रश्न पहले भी उठ चुका है।

श्री अध्यक्ष---इसका कारण तो बता दिया गया कि देर क्यों होती है। मैंने उसके बारे में फैसला भी दे दिया।

अनुदान संख्या ४---स्टाम्प

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४---स्टाम्प के अन्तर्गत २५,३६१ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, सन् १९५३-५४ में यह तखमीना किया गया था कि करीब २,५५,००,००० रुपये के स्टाम्प्स बिकेंगे। इसके लिये ५३-५४ के बजट में ६,१६,६०० रुपये की मांग सदन ने स्वीकार की थी। ६ महीने कार्य करने के पश्चात् सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि जो तखमीना लगाया गया था, उससे अधिक के स्टाम्प्स बिकेंगे, क्योंकि २६५ लाख रुपये के स्टाम्प्स ६ महीने के अन्दर बिक चुके थे। इसलिये करीब ४९ हजार रुपये की धनराशि की मांग इस सदन में उस वक्त सप्लीमेंटरी डिमांड के रूप में पास की। साल के अन्त तक २७३ लाख रुपये के स्टाम्प्स बिके। जहां सदन ने ६,१६,६०० रु० की मांग को स्वीकार किया था वहां पर हमको १८ लाख रुपया अधिक प्राप्त हुआ। मैं आप के द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्टाम्प्स की बिक्री के अनुसार स्टाम्प वेंडरों को स्टाम्प नियमों और उपनियमों के अनुसार डिस्काउन्ट दिया जाता है। इस तरह से इन स्टाम्प्स के बेंचने से डिपार्टमेंट को अधिक फायदा हुआ है। तो इस रकम को जो २५,३६१ रु० की है, सिर्फ उन वेंडर्स को जो स्टाम्प्स के बेंचने वाले हैं, उनको डिस्काउन्ट के रूप में देना पड़ा है। इससे डिपार्टमेंट को या सरकार को करीब १८ लाख रुपये का अधिक फायदा हुआ है। तो इस मांग को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं आशा करूंगा कि सदन उसको पारित करेगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस समय माननीय मंत्री महोदय ने जो २५,३६१ रु० के अतिरिक्त अनुदान की मांग की है, मैं आपक द्वारा सदन स यह निवेदन करना चाहता हूं

कि यह अनुदान जब कि खर्च हो चुका है, सदन को इसके लिये स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। और इसके लिये जितनी भी निन्दा हो सके, सरकार की होनी चाहिये। मैं अपने ही तर्कों को इसलिये आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब स्टाम्प ड्यूटी अमेंडमेंट ऐक्ट इस सदन में प्रस्तुत हुआ था तो आपको स्मरण होगा कि उस समय हमने एक पूरी योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी कि स्टाम्प के ऊपर यह जो ड्यूटी बढ़ायी जा रही है, वह क्यों नहीं बढ़नी चाहिये और जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायी गयी है, वह एक प्रकार से जनता के ऊपर कर का बोझ है। जहां पहले १५ आने का टिकट लगता था, वहां अब साढ़े सोलह आने और सत्रह आने का टिकट लगाया जाता है। इस तरह से, श्रीमन्, आप देखेंगे कि आमदनी में जितनी बढ़ोत्तरी का सरकार की ओर से उस समय नक्शा उपस्थित किया गया था, वह बढ़ोत्तरी भी नहीं हो पायी और हमारे पास उस समय एक पूरा चित्र था जिसको मैंने उस समय के माननीय मंत्री महोदय के सामने उपस्थित भी किया था।

रजिस्ट्रेशन विभाग के आई० जी० या डाइरेक्टर जो शायद श्री ज्वाला प्रसाद हैं उन्होंने भी एक पूरी योजना स्टाम्प ड्यूटी के बारे में सरकार के सामने उपस्थित की थी और सरकार की तरफ से उस योजना का कोई समुचित रूप नहीं दिया गया ताकि टैक्स से जितना भी पैसा लिया जाय उसको लेकर सब के लिये लीगलाइज कर दिया जाय और अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लें तो उसको जायज मान लिया जाय। क्योंकि शादी-ब्याह को लेकर, श्रीमन्, आप भी देखते हैं कि देहाती क्षेत्रों में हर साल कुछ झगड़े होते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज का ढांचा ही कुछ इस तरह का बना हुआ है। फिर सरकार क्यों नहीं उस योजना को कार्यान्वित करती कि थोड़े से पैसे खर्च करके ही लोगों की शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाया करे और उसे मान लिया जाय। तो श्रीमन्, जिस प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी लगाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है, मैं उसका सख्त मुखालिफ हूं। और जब तक सरकार उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं करती तब तक जनता का भला नहीं हो पायेगा और स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर जो अनियमितता है, वह अपनी जगह कायम रहेगी। ये सारी की सारी बातें सरकार की सेवा में और इस सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में जो कि ४ वर्ष से पड़ी हुई हैं, उन पर इस सरकार ने समुचित कार्यवाही नहीं की, यह हमारा सरकार के ऊपर चार्ज है। सरकार इस पर समुचित कार्यवाही न करने के बावजूद भी अतिरिक्त अनुदान की मांग करना मुनासिब समझती है।

जहां तक कि स्टाम्प वैंडर्स को डिस्काउन्ट देने की बात है, इस संबंध में भी मुझे विनम्र निवेदन करना है कि किस तरह से वैंडर्स की नियुक्तियां होती हैं और किस तरह ये वैंडर्स बिक्री करते हैं। इस पर भी हमारे सूबे में तहलका मचा हुआ है। पता नहीं माननीय मंत्री जी ने पुरानी फाइलों को देखा भी है या नहीं, हरदोई का एक मामला है, जो सरकार के सामने मौजूद था.....

श्री अध्यक्ष--यह आप असंगत हो रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार की इन तमाम बातों को आपके सामने रखूं कि सरकार ५ वर्ष का अतिरिक्त अनुदान आज सदन के सामने ले आती है तो जैसा कि सर्वप्रथम श्री त्रिलोकीसिंह जी ने कहा था कि यह बात सब पर लागू है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अतिरिक्त अनुदान सरकार के लिये मांगना कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह जो अनुदान पेश किया गया है उसको इस संशोधन के साथ स्वीकार करने के पक्ष में हूं कि "किन्तु इस सदन का निश्चित मत है कि जब कोई अनुदान स्वीकार हो गया हो तो संबंधित विभाग का परम कर्त्तव्य है

[श्री त्रिलोकी सिंह]

कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखे कि उससे एक भी पैसा ज्यादा खर्च न करे" मैं इसकी भाषा शुद्ध कर दूंगा...

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है लेकिन जो मोशन है उसमें इस बात के उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिये आप एक सब्सटेंटिव रिजोलूशन भेजें, या तो सरकार और आप मिलकर भेजें, या अगर आप ही भेजें और सरकार उसमें कोई एतराज न करे या ऐसा हो कि आप नान-आफिशियल रिजोलूशन भिजवा दीजिये और वह यहां पर प्रसारित हो जाय। मैं समझता हूं यह सदन का सवाल है और इंगलैण्ड की पार्लियामेंट ने इस तरह की चीज पास भी कर दी है, तो यहां भी यह जरूरी नहीं है कि उसका विरोध ही किया जायगा। अगर सब चाहते हैं तो वह प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन डिमांड के संबंध में आप कोई इस तरह का मोशन नहीं ला सकते। आप बिल में अपनी राय दे दीजिये।

श्री त्रिलोकीसिंह---तो मुझे कोई एतराज नहीं है, इसे मंजूर किया जाय।

डाक्टर सीताराम---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अतिरिक्त अनुदान के संबंध में अधिक नहीं कहना है। हमारे यहां ज्यों-ज्यों स्टाम्प की बिक्री हुई त्यों-त्यों उस से हमारी आय बढ़ी है और हम यह भी जानते हैं कि अतिरिक्त अनुदान सप्लीमेंटरी डिमांड के रूप में दिसम्बर या जनवरी के मास में पास होते हैं, फर्स्ट आइटम और सेकिंड आइटम के रूप में इस प्रकार से फरवरी या मार्च में जब भी स्टाम्प बिके वह तो बजट में पास हो जाना चाहिये थे लेकिन वह सप्लीमेंटरी डिमांड में इसलिये पास नहीं हो सका, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में कितने स्टाम्प बिकेंगे। इसलिये मैंने यह बताने की कोशिश की है कि स्टाम्प की बिक्री की वजह से ही उन पर डिस्काउन्ट देना पड़ा। इसलिये उस में यह कहना कि अनियमिततायें हैं, गलत है जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि जो भी एकाउन्ट्स की बात होती है वह एकाउन्टेंट जनरल के आफिस के द्वारा जांच करने के पश्चात् पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और तब जाकर वह एकाउन्ट्स सदन में आते हैं। इस तरह से समय लग सकता है, समय लगने की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक बजट की बात है उसमें तो सरकार का लाभ ही हुआ है, १८ लाख रुपये की जगह पर २५ हजार की मांग सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४---स्टाम्प के अन्तर्गत २५,३६१ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०---सिंचाई स्थापना पर व्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,१२,८७५ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, मुझे इतना निवेदन करना है कि यद्यपि उस साल के बजट में २ करोड़ २७ लाख ९ हजार रु० पास हो चुके थे, लेकिन चूंकि पंचवर्षीय योजना ज्यादा तेजी के साथ चलायी जा रही थी और कुछ बड़े-बड़े डैम जैसे चन्द्रप्रभा, अहरौरा, माताटीला, रंगवा और बेलन, चल रहे थे, यद्यपि हमने सप्लीमेंटरी डिमांड्स के वक्त कुछ रुपया मांग लिया था फिर भी बिलकुल सही तखमीना ही नहीं पाया। वक्तन-फवक्तन डिवीजन बढ़ते रहे, इसलिए ऐक्यूरेट तखमीना नहीं कर पाये। यह छोटी-सी मांग है और केवल ४ प्रतिशत चाहती है। माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे। मेरे मित्र राजनारायण जी को भी इसमें एतराज नहीं होगा। उनके जिले के लिए खास काम हो रहे थे---चन्द्रप्रभा और अहरौरा के, इस हैसियत से वह भी और दूसरे भाई भी इसको पारित करने की कृपा करेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मैं इस माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो छोटी सी तथाकथित मांग सिंचाई मंत्री ने रखी है इसको स्वीकार न किया जाय। श्रीमन्, अभी उन्होंने कहा कि चूंकि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स एकदम लेने पड़े इसलिए वेतनों के कारण यह बढ़ गया। पहले श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि जिस समय प्लानिंग और बजटिंग हो रही थी उस समय क्यों नहीं ऐंटीसिपेट किया गया ?

दूसरे श्रीमन्, यह प्रश्न उठता है कि जो चन्द्रप्रभा और माताटीला के नाम गिनाये गये, इनसे क्या लाभ हुआ ? कितनी जल्दी टूट गये ? यह सामने है। चन्द्रप्रभा पर प्रश्न के समय स्वयं सिंचाई मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि पानी की अतिवृष्टि द्वारा वह बांध नष्ट हुआ। तो प्रश्न उठता है कि उसकी मिट्टी की क्यों कुटाई ठीक से नहीं की गयी ?

जहां तक माताटीला का सम्बन्ध है, माताटीला के बारे में समाचार-पत्रों में आया है कि इन्क्वायरी कमेटी स्वयं बिठायी है। मैं जानना चाहूंगा कि खर्चे में जो बहुत छोटी-सी मांग बढ़ गयी है क्या उस रकम में तो नहीं बढ़ी है जिसके कारण दुरुपयोग हुआ और जिसके कारण योजनाओं को क्षति भी पहुंची ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की मांग यह माननीय सदन स्वीकार न करे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये का कटमोशन मूव करता हूं।

अभी श्रीमन्, मंत्री जी के व्याख्यान से समझ पाया कि यह कुछ चन्द्रप्रभा और माताटीला आदि योजनाओं के अन्तर्गत रुपया अधिक खर्च हो गया, उसकी मांग रखी गयी है। मैं थोड़ी सी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बड़ी-बड़ी योजनाएं जिसके सम्बन्ध में बार-बार त्रुटियां उनके मुख से सुनायी पड़ती हैं, उनको सुन कर हमारे मन भर गये हैं, हम उनसे ऊब चुके हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है। इन बड़ी योजनाओं को हम बड़ी मछलियां समझते हैं जो छोटी मछलियों को खाया करती हैं। जो हमारी छोटी-छोटी मांगे हुआ करती हैं, हमारे देहात में कुएं खोदे जायं, उनके लिए हमें तकावी मिले, उनकी दरख्वास्तें इसलिए खटाई में पड़ी रह जाती हैं कि रुपया प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है। प्लानिंग कमेटीज हमेशा इस बात की शिकायत करती हैं कि हमारे पास ग्रांट कम है। इन बड़ी-बड़ी योजनाओं में लाखों-करोड़ों की कोई गिनती नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर किसानों को हमें उठाना है तो उनकी छोटी-छोटी मांगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाय, उनकी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाय जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ सके और खेती में अन्न बढ़ सके। माताटीला और चन्द्रप्रभा से हो सकता है कि कुछ स्थानीय लाभ हो और हो सकता है कि कुछ चन्द मीलों तक उपयोगी हों। लेकिन जो यह गाँव सारे प्रान्त में फैले हुए हैं उनके लिये आप समवितरण की बात कभी नहीं सोचते। चाहे आप थोड़ी सहायता दें लेकिन वह सब को प्राप्त हो। न कि ऐसी हो कि किसी को सोना मिले और किसी को कुछ नहीं। हम उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जहां हमें हमेशा उलाहना मिलता है कि सरकार की बड़ी योजनायें हमने नहीं देखीं। वह तो क्या स्वयं मैं भी शायद अपने ५ साल के काल में न देख सकूं। वे किसान उन चित्रों की तरफ ही देखते हैं जो उनके गांव सभापति के कमरे में लटके रहते हैं। छोटी नहरें, बंधियां, जिनसे सचमुच किसानों का हित हो सकता है, उनके बनाने के लिये जो हजारों दरख्वास्तें देते हैं, इंजीनियर के दफ्तर में पड़ी रहती हैं और कुछ उन पर अमल हो नहीं पाता, कभी पैसे की कमी से तो कभी कोई योजना मन्जूर ही नहीं होती। इन बड़ी योजनाओं के आगे गरीब किसानों की योजनाओं की कोई पुकार नहीं। इसलिये मैं इसके विरोध रूप में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करके हमारे विरोध को स्वीकार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा मातातीला और दूसरे बांधों के सम्बन्ध में कहा गया, आखिर क्या वजह है कि ऐसे काम किये जाते हैं। वैसे दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम देश की उन्नति के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन आये दिन सुनते रहते हैं कि आज फलां डैम बह गया। इस तरह से क्यों गरीब टैक्स पेयर का रुपया बरबाद किया जाता है। इसकी कड़ी निगरानी ही होनी काफी नहीं है बल्कि इसमें एक ऐसी जांच कमेटी बैठायी जाय जिसमें हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज हो। एक तरफ रुपया इस तरह बहाया जाता है और दूसरी तरफ मैं अपने जिले अल्मोड़े का एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी को पेश्तर भी कुछ कष्ट दिया था लेकिन अभी कुछ खास तरक्की उस ओर हुई नजर नहीं आती। सुडिंग, लोहारखेत, भनारघट आदि गांव बह गये, ४२ आदमी मर गये, काफी नुकसान हुआ, उसके लिये ऐडजर्नमेंट मोशन भी लाये। गांव एक दिन में तो टूटा नहीं। सरयू नदी बढ़ती जा रही थी। कई साल पहले उन गांव वालों ने दरख्वास्त दी कि अबेटमेंट की वाल बना दी जाय। नाप जोख हुई लेकिन कोई दीवाल नहीं बनाई गई। तीन साल तो वे बच गये लेकिन चौथे साल बेचारे सब मर गये। इसी तरह से उसी सरयू नदी के किनारे ऐसे कई और गांव जैसे कपकोट, गैरखेत, उतरौड़ा परभटी आदि पड़ते हैं जो अगर अभी जल्दी स्टेप नहीं लिये गये तो सबके सब बह जायेंगे और फिर हम लोग यहां बैठ कर केवल पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया इस कटमोशन के समर्थन के द्वारा ताकि ऐसी दुर्घटनायें फिर न हों।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में जो सूखा हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल में पड़ा उसने हमारे सामने एक बुनियादी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और वह यह कि क्या हमारे प्रदेश के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें ही लाभप्रद हैं अथवा छोटी-छोटी योजनाओं पर ही सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिये और उन्हीं पर रुपया सबसे पहले खर्च करके जनता को फायदा पहुंचाना चाहिये। मेरा अपना विचार है कि सरकार को सबसे पहले जो पानी के निकास के लिये वाटर-लागिंग को रोकने के लिये और सिंचाई के लिये छोटी योजनायें हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हो रहा है? उस पर सरकार को गर्व है। प्रश्न गर्व का नहीं, बल्कि यह है कि जितना रुपया इस सदन ने स्वीकार किया और जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया जो खर्च किया गया उसमें कितना कार्य हो सकता था और कितना हुआ। अगर इस स्तर से हम देखते हैं तो जितना कार्य हुआ वह बहुत ही कम दीख पड़ता है और उसमें सबसे बड़ा कारण करप्शन रहा है जो इस विभाग में घुस पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार में सिंचाई विभाग और प्लानिंग विभाग ने पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को भी मात कर दिया है। जिनके जिलों अथवा क्षेत्रों में ये छोटी या बड़ी योजनायें चल रही हैं और उन्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा तो वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार इस विभाग में घुसा हुआ है जिसके कारण हमारे धन का अपव्यय ही नहीं हो रहा है बल्कि जो चीजें बनाई जा रही हैं वे बड़ी कमजोर बनाई जा रही हैं जिसका खमियाजा हमारे राष्ट्र व प्रदेश को उठाना पड़ेगा और उन चीजों की मरम्मत व उनको फिर से बनाने में एक बार फिर प्रदेश की जनता को अपना धन लगाना पड़ेगा।

इस सिलसिले में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी योजना का जिक्र करूंगा, जिसे दोहरीघाट पम्प केनाल कहते हैं। कहा जाता है कि वह एशिया की सबसे बड़ी पम्प केनाल है, उस पर हम सबको गर्व है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उसमें काफी कमजोरी अभी से आ गई है। अभी भी जो उसका ५ मील हिस्सा पक्का बनाया गया है उसमें जब पानी छोड़ा गया तो जगह-जगह से उसमें पानी चूने लगा। इसके मानी यह हुए कि ईंट, गारे व सीमेंट में काफी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी शानदार नहर कमजोर दिखाई पड़ती है। जब पूरी नहर चालू हो जायगी, जब पूरे वजन का पानी छोड़ा जायगा तो उस

नहर का क्या हश्र होगा ? मैं तो कभी-कभी इस शंका से कांप उठता हूं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से जाना चाहिये । इस नहर के लिये जो मशीन चाहिये वह अभी अवेलेबिल नहीं है । कहा जाता है कि वह जर्मनी में बन रही है । जब तक वह मशीन नहीं आ जायगी तब तक लाखों किसानों की जमीन बेकार पड़ी रहेगी, उस नहर से कोई फायदा नहीं होगा। वह नहर एक प्रकार से बाधक सिद्ध होगी इस माने में कि सिंचाई के साधन एक तरफ पड़ गये और खेत दूसरी तरफ पड़े हैं । इस पार से उस पार जाने के लिये कोई रास्ता नहीं रह गया है । इस तरह से बड़ी-बड़ी योजनाओं के चक्कर में जनता छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों से भी वंचित रह गयी है । मशीनों के न आने से पता नहीं कब तक नहर काम नहीं दे पायेगी ।

इसके अलावा अभी मालूम हुआ है कि फारेन एक्सचेंज की भी कमी है जिसके कारण नहर के लिये मशीनों को प्राप्त करने में अड़चनें आ सकती हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि छोटी-छोटी योजनायें जितनी हैं, हम अपने साधनों के अनुसार, अपने देश की वस्तुस्थिति के अनुसार, उनको हम लागू कर सकें तो उनको शुरू करना चाहिये । बड़ी-बड़ी योजनाओं की महत्वाकांक्षा में और विदेशी मशीनों के चक्कर में अगर हम पड़े रहेंगे तो हमारे यहां लघु योजनायें नहीं चल पायेंगी और जो हमारे यहां सिंचाई के साधन कुओं वगैरह हैं उनमें भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है । इस लिये मैं चाहूंगा कि सरकार इधर ध्यान दे और जो मेजर प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ा है, सदन इसकी अनुमति प्रदान न करे, यही आग्रह है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल जी अवस्थी के कटमोशन के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने, ५३-५४ के अनुदान के सिलसिले में सिंचाई पर १,१२,८७५ रुपये की जो रकम ज्यादा खर्च कर दी गयी है उसके सिलसिले में उन्होंने सदन से इस रकम की स्वीकृति देने के लिये अपील की है । श्रीमन् ५३-५४ में सिंचाई विभाग पर इतना ज्यादा धन खर्च हुआ और उसी समय आडीटर जनरल के आफिस से भी टीका-टिप्पणी हुई उससे मुझे बड़ा अफसोस है । फिर सिंचाई विभाग की खामियों की तरफ जो आडीटर जनरल ने रिपोर्ट दी है उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । श्रीमन्, मेरे सामने सन् १९५४ की आडिट रिपोर्ट है जिसमें एक जगह पर दिखाया गया है कि सिंचाई विभाग में इतनी अनियमिततायें होती हैं कि उसके सिलसिले में जितने वाउचर्स का निराकरण शेष था उनकी संख्या १,५८२ थी और १८,४१,१५२ रुपये की रकम उनमें इन्वाल्व थी । इस सिलसिले में आडीटर जनरल की रिपोर्ट जो निकली है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है । इसके ४-५ साल बाद माननीय मंत्री जी खड़े हो गये हैं कि इतनी ज्यादा रकम खर्च हो गयी है इसकी स्वीकृति दी जाय । लेकिन जो अनियमितता आडीटर जनरल ने बतायी थी पता नहीं मानानीय मंत्री जी ने उसका क्या किया ?

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस समय सिंचाई विभाग में बहुत से काम हुए हैं जिनके लिये बहुत सी कम्पनियों को ठेके दे दिये गये और अग्रिम धन भी दे दिया गया, लेकिन एस्टीमेटेड बजट सरकार के पास बहुत दिनों तक नहीं आया । मैं आपके द्वारा एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं । सन् १९५० में ४४० नलकूपों को बनाने के लिये एक विदेशी फर्म को आर्डर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही द्वारा आरम्भ हुई ।)

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आदरणीय सदन से निवेदन कर रहा था कि सन् १९५० में ४४० नलकूपों का ठेका एक विदेशी फर्म को दे दिया गया, मगर उन नलकूपों का तखमीना विभाग की ओर से सरकार के पास सन् ५३ तक नहीं भेजा गया। १९५३ तक उन पर डेढ़ करोड़ रुपया व्यय हो चुका था और श्रीमन्, तुर्रा यह कि ३८ लाख रुपया तो विदेशी फर्म को, जिसे बिना टेन्डर मांगे काम दिया गया था, अग्रिम दे दिया गया था। ऐसी बहुत सी अनियमितताओं की ओर आडिटर जनरल ने विभाग का ध्यान आकर्षित किया है, मगर फिर भी, श्रीमन्, उसमें आये दिन गड़बड़ियां हुआ करती हैं।

सन् १९५३ की बात है, २२८ नलकूपों का बनना प्रारम्भ हुआ। १९५५ तक उन्हें बनना था, मगर उनमें से ५३ ऐसे नलकूप निकले जिनकी ओर आडिटर जनरल ने विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। वह ५३ नलकूप इसलिये रिजेक्ट कर दिये गये हैं कि वे ऐसी जगह बनाये जा रहे थे कि जहां पानी नहीं निकलता। उसमें सरकार का ७,००,९२६ रुपया व्यय हुआ। आडिट विभाग ने इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बहुत सी अनियमिततायें हैं जो सिंचाई विभाग की ओर से बरती गई हैं। इनमें खास शिकायत यह रही है कि बहुत सी फर्मों को बिना टेन्डर मांगे ही काम दे दिया गया।

ट्यूबवेलों के लिये २९,००० रुपया प्रति ट्यूबवेल का ठेका दे दिया गया था, लेकिन जब सरकार का तखमीना तैयार हुआ तो १७.६ हजार प्रति ट्यूबवेल खर्च पड़ा जिसमें प्रदेश की सरकार का ५७ लाख रुपया अतिरिक्त व्यय कर दिया गया।

तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी विभाग ने आडिटर की रिपोर्ट पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया और अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जो १,१२,८७५ रुपया खर्च कर दिया गया है ज्यादा, उसकी मंजूरी दे दो, तो इस मंजूरी को हम कैसे दे दें? आज सिंचाई विभाग की जो स्थिति है, जो उसकी योजनायें हैं उनके लिये उसे करोड़ों रुपया चाहिये, किन्तु पहले की जो योजनायें हैं, जिन पर पानी की तरह रुपया बहाया गया है और जिनके लिये आडिटर ने विभाग का ध्यान भी दिलाया है, उनके लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया है।

श्रीमन्, इस संबंध में मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वी जिले हैं उनसे संबंधित बहुत सी योजनायें हैं, जैसे नेपाल में एक बांध की योजना है। यह कहा जाता है कि नेपाल सरकार इस योजना पर विचार कर रही है, मगर इस योजना के लिये पैसा रखा हुआ है। अगर यह विभाग सरकार को प्रेस करे और सरकार इस योजना को नेपाल सरकार से जल्दी से फाइनलाइज कराये, मैं नहीं समझता कि नेपाल सरकार इस योजना पर कोई विरोध प्रकट करेगी, तो वह बांध कुछ शीघ्र ही बांधा जा सकता है। हमारे यहां घाघरा और सरजू के कटाव से डेढ़-दो सौ मील के लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं। इस कटाव को रोकने के लिये योजनायें, श्रीमन्, केन्द्रीय फ्लड बोर्ड, राज्य के फ्लड बोर्ड और सिंचाई विभाग के सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग में बहुत कम ऐसे इंजीनियर हैं, शायद एक दो हों कि जो ऐन्टी इरोजन स्कीम्स में काम किये हों। अच्छा होता कि इन इंजीनियरों को दूसरी जगह, जहां पर ऐन्टी इरोजन स्कीम के काम में काफी प्रगति हुई है, वहां पर ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता और वहां से आकर यह काम शुरू करते।

यह कहा जाता है कि यह स्कीम खर्चीली है और इस राज्य के पास रुपया नहीं है तो उसके लिये यह मुश्किल है। आप जो यह १,१२,८७५ रुपया खर्च कर चुके हैं उसके लिये हमसे मांग रहे हैं कि स्वीकृति दी जाय। हमारा सुझाव यह है कि कटाव की योजना जो प्रदेश में सरकार लागू करना चाहती है उसमें पहले छोटी-मोटी कटाव की योजना को लिया जाय। ये कटाव लकड़ी से भी रोक जा सकते हैं। हजारों लोग जो हर साल गृहविहीन हो जाया करते

हैं उनकी समस्या थोड़े समय के लिये सुलझायी जा सकती है। हमारा देश गरीब है और कृषि प्रधान देश है। अगर इस प्रकार की स्कीम चालू की जाती तो फिर किसानों को इससे बहुत लाभ होता और खेतों से और फार्मों से पैदा भी कुछ अधिक होती। इस तरह से काफी मदद हो गयी होती और हमारी क्रय-शक्ति में भी वृद्धि हो गयी होती।

इसलिये जो अनियमिततायें हो गयी हैं, आडिटर के रिपोर्ट के मुताबिक, उनको दूर होना चाहिये। अन्त में मेरा निवेदन यही है कि जो जरूरी योजनायें हैं कटाव की जैसे नैपाल बान्ध है और जलकुन्डी योजना है और जिनके लिये सरकार असमर्थता दिखा रही है.....

श्री उपाध्यक्ष---आप उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं।

श्री उग्रसेन---मैं इसलिये श्रीमन्, दोहराता हूं जिससे माननीय मंत्री जी के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ जाय। वैसे हम लोगों को दोहराने की इजाजत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो यह बाढ़ और कटाव की समस्या सुलझ सकती है और सही मानों में जनता की मदद हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई मंत्री जी ने जो अतिरिक्त अनुदान की १,१२,८७५ रुपये की मांग को उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का दुख है कि निर्माण कार्य की मांग का आज मुझे विरोध करना पड़ रहा है। अगर यह रुपया देखकर खर्च किया गया होता तो हमें आज यह कहने की नौबत आती ही नहीं। मंजूरशुदा रुपये से ज्यादा खर्च किया गया और ४ साल के बाद यह सरकार हम लोगों के सामने इस चीज को लायी है। यह करोड़ों रुपया बुरी तरह से खर्च किया गया है।

हमारे यहां फरेंदा तहसील में महाव नदी का पटाव था जिसकी खुदाई के लिये स्वयं मंत्री जी गये थे और उन्होंने उसे पास किया था। खुदाई में १ लाख रुपया सरकार का खर्च हुआ और कम से कम तीन लाख रुपया जनता का जमीन और फसल के रूप में बरबाद हुआ। वहां के किसानों के बच्चे-बच्चे ने यह कहा था कि इस खुदाई से कोई लाभ नहीं होगा और वह बेकार हो रही है। खेद है कि इतने बड़े-बड़े इंजीनियर्स और मंत्री जी उसे नहीं समझ पाये। जुलाई में वह बांध बांधा गया और अब की साल बरसात में वह नदी फिर बाढ़ लाई और खुदाई खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि ४ लाख रुपया मिट्टी में मिल गया। हमने दो बार मंत्री जी को लिखकर भेजा लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि यह किसानों की गाढ़ी कमाई का रुपया बरबाद किया जा रहा है। अगर उस रुपये से वहां उचित ढंग से काम किया गया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाख दो लाख रुपये से वहां की बाढ़ हमेशा के लिये रोकी जा सकती थी। बाढ़ आने के बाद वहां जो चूना और नमक बांटा जाता है वह हमेशा के लिये बन्द किया जा सकता है। उनको भिखमंगे बनाने का तो उपाय किया जाता है, लेकिन ठोस रुपये से वह काम नहीं किया जाता है जिससे बाढ़ रुके, छोटी-छोटी नदियों के किनारे वहां के किसान, अगर उनकी कुछ मदद कर दी जाय तो बांध बनाने के लिये तैयार हैं।

जो बांध बर्ड साहेब ने बस्ती जिले में बनवाये थे उनको सरकार ने काश्तकारों के लिये एक रोने का कारण बना दिया है। बस्ती जिले में रमुआपुर मौजे में हम लोग गये थे और वहां के काश्तकार कहते थे कि पहले उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता था और पूरा पानी पाते थे। लेकिन आज जो लोग पतरौल और ओवरसियर को पैसा दे देते हैं उनके यहां तो पानी पहुंच जाता है और बाकी को नहीं मिल पाता है। हमारे यहां २५ लाख रुपये से डांडा और रोहिन नदी में बांध बांधा गया। रुपया जिस तरह से बरबाद किया जाता है उसके लिये मंत्री जी के दिल में दर्द होना चाहिये। २५ लाख रुपया लगाने के बाद जब नहर में पानी नहीं आया तो इंजीनियर साहब ने कह दिया कि नैपाल में नदी बांध ली गयी है। यह बात उन्हें पहले सोचनी चाहिये

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

थी कि सूखे के जमाने में ऊपर नदी बांधी जा सकती है और नीचे पानी नहीं आवेगा। चूंकि वहां नहर बना दी गयी है इसलिये अब वहां सिंचाई का और कोई जरिया भी नहीं किया जा सकता है। १५ मील डांडा नदी की नहर में केवल २ मील में पानी चला बाकी सब किनारे के खेत एकदम सूख गये और इन नहरों ने जुल्म पर जुल्म यह किया कि खेतों में मामूली तरीके से जिनमें १ इंच भी पानी चला गया था लेकिन फसल बिल्कुल भी नहीं फूटी, नहर विभाग से १४ एकड़ के हिसाब से लगान का परचा बट गया, किसान उससे परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को बतलाऊंगा कि सन् १९५३-५४ में जो ज्यादा खर्च हो गया उसी पर बहस सीमित करनी चाहिये, जनरल डिबेट सारे सिंचाई विभाग पर नहीं कर सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--उसी के मुताल्लिक मैं बतला रहा हूं कि नाजायज खर्चा करके हम लोगों से अब मंजूरी ली जा रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय कि खेतों में पानी नहीं गया और १४ रुपये के हिसाब से वहां काश्तकारों से वसूल किया गया। यह सदन सोचे कि वे किसान क्या सोचेंगे। कल गोंडा जिले से संबंधित एक सवाल के जबाब में मंत्री जी ने बताया था कि वहां कई बांध बनाये गये लेकिन नहरों में पानी नहीं है। चाहे हम इन रकमों को पास करें या न करें लेकिन मंत्री जी पास करा ही लेंगे। यह बड़ी गाढी कमाई का पैसा है इसका सदुपयोग होना चाहिये। मंत्री जी को जरा संभल कर खर्च करना चाहिये।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह बहुत उचित आपने संकेत किया कि १९५३-५४ में जो अतिरिक्त रकम खर्च हुई है उसी से संबंधित यह विषय है। ठीक है, यह सदन भी १९५३-५४ की बाढ़ से प्रदेश जिस विभीषिका में पड़ा उसी से संबंधित है। मंत्री जी ने आरम्भ में कहा था कि राजनारायण जी को भी कुछ शिकायत नहीं होगी क्योंकि चन्द्रप्रभा और अहरौरा बांध उन्हीं के जिले के लिये बनाये जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी की बड़ी कृपा है, परन्तु पता नहीं कि वे हमारे जिले के लिये बनाये जा रहे हैं या श्री कमलापति जी के या सम्पूर्णानन्द जी के जिले के लिये या उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये बनाये जा रहे हैं। यदि वह नहीं कहते तो मैं इसकी चर्चा नहीं करता। मगर चूंकि उन्होंने कह दिया है इसलिये मैं कहता हूं कि ये उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये बनाये जा रहे हैं।

सन् १९५३-५४ का वह वर्ष है जिसको सम्मानित सदस्य भूले नहीं होंगे, जिसमें सारा आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर जिला बाढ़ में डूब गया और जब कि नहर रेट बढ़ने के विरोध में डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में प्रान्त व्यापी सत्याग्रह हुआ। भला आप सोचें कि जिस सन् में ३ हजार आदमी जेलों के सींखचों के पीछे बन्द रहे हों और करीब ३ लाख रुपया सत्याग्रहियों से वसूल हुआ हो उस सन् के लिये हम एक पैसा भी अतिरिक्त अनुदान क्यों दें? सरकार की नैतिकता कहां है? उसकी ईमानदारी और जनतांत्रिक पद्धति कहां है? सरकार की गौरव गरिमा कहां है? आज तक यह सरकार अपराधिनी है, दोषी है कि जो सत्याग्रही सन् १९५४ में नहर रेट के विरोध में आन्दोलन में जेलों में बन्द थे उनका जुरमाना अब तक वापिस नहीं किया। उनका जुरमाना नहीं फेरा गया।

श्रीमन्, मैं आप से कहना चाहता हूं और आप के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस सदन में जब सिंचाई के अनुदान पर चर्चा हुई तो हमने माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों से यह कहा था कि जुर्माने का रुपया वापिस किया जाय। मगर आज तक जुरमाने का रुपया वापस नहीं किया गया और हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी वापस नहीं किया गया। अदालत के सम्मान की बात तो सरकार बार-बार कहती है फिर इसमें अदालत का सम्मान क्यों नहीं रक्खा गया और अब अतिरिक्त अनुदान के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा हमसे रुपया मांगा जाता है । इसी १९५३-५४ का ३ लाख रुपया गरीबों का क्यों गैरकानूनी तरीके से हड़प लिया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि वह रुपया कहां गया, वापस क्यों नहीं किया गया और आज भी सरकार उसको वापस करने के लिये तैयार नहीं है । श्रीमन्, जब आपके सेक्रेटरी हिलने लगते हैं तो हम समझने लगते हैं कि कुछ होने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप समझते हैं कि हम लोग सेक्रेटरी के कहने से काम करते हैं ? ऐसी बात नहीं है ।

श्री राजनारायण---नहीं समझते हैं और अगर समझें भी तो ऐसा ही समझा जायगा कि नहीं समझते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की यह भावना थी कि मैं विरोध न करूं मगर मैं तो कर्तव्य से बाध्य हूं। अगर मैं दिल से चाहूं भी कि विरोध न करूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे बाध्य करता है कि मैं विरोध करूं और विरोध कर रहा हूं ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि कल हमारे यहां मिर्जापुर के लोग आये थे । १९५३-५४ में आपने नहर का रेट २ रुपया ७ पैसा से बढ़ाकर ६ रुपया कुछ आने कर दिया था । अगर माननीय मंत्रीजी यह पैसा उन परिवारों की सहायता के लिये मांगते जिनके आदमी अहरौरा और चन्द्रप्रभा बांधों के सिलसिले में मर गये तो हम अवश्य ही उनको देने के लिये तैयार हो जाते और कहते कि इससे ज्यादा पैसा देना चाहिये । माननीय मंत्री जी देखें जरा कि बांध कहां बनाये गये नहर कहां खोदी गयी, पुलिया कहां बनायी गयी, तो उनको असलियत पता चल जायगी ।

१९५३-५४ में जो नहर खुदी, मैं खास चंदौली तहसील का जिक्र कर रहा हूं, जहां के माननीय कमलापति जी प्रतिनिधि हैं, उसके खुदने के समय हमने सरकार से बार-बार निवेदन किया कि जगदीशसरहां से नहर न निकाली जाय यहां के आगे की जमीन नीची है, पानी नहीं जायगा । मगर सरकार न मानी । दूसरे रास्ते से नहर जाने में कुछ बड़े लोगों के खेत पड़ते थे और इस रास्ते गरीब लोगों के खेत पड़ते थे, उन गरीबों की बोली को हम उठाने वाले थे । सरकार ने सोचा इन गरीबों की कौन सुनता है, कुछ इधर उधर के लोग ही बातें कहते हैं, इन गरीबों की बात को सुनने वाला कौन है । नतीजा यह हुआ कि नहर जगदीशसरहां से आगे चल कर ठप हो गयी और सारी चंदौली तहसील उस वर्ष पानी में डूब गयी । माननीय राममूर्ति जी पहले इस विभाग के डिप्टी मिनिस्टर थे, वे उसकी देख रेख करते थे आज वे वहां जाकर इसकी जांच करें कि वहां क्या हो रहा है । सन् १९५३-५४ का बजट निकाला जाय । १९५३-५४ के विवाद को देखा जाय, १९५३-५४ के विवाद के अवसर पर सरकार से हमने निवेदन किया था श्रीमन्, कि सरकार नलकूप के भरोसे गरीब किसानों को न छोड़े क्योंकि नलकूप के भरोसे अगर किसान अपने बैल बेच देंगे, अपने नार मोट बेच देंगे तो हो सकता है कि सन् १९५३-५४ में जो नलकूप लगें वे सन् १९५४-५५ में पानी न दे पावें तो किसान बिल्कुल मर जायेगा तबाह हो जायगा । क्या यह बात आज सत्य नहीं हो रही है, जो उस समय मैंने सरकार के सामने निवेदन किया था कि दस दस एकड़ पर आप एक कुआं खोद दीजिये और उस पर रहट लगा दीजिये और जिन किसानों के खेत उस कुंए पर पड़ते हों, उन किसानों के हाथ में रहट का प्रबन्ध छोड़ दीजिये, तब देखिये कि कितना बढ़िया काम होता है और कितनी बढ़िया सिंचाई होती है ? लेकिन सरकार ने सन् १९५३ की मेरी राय को न मान कर जो सारे प्रदेश की जनता का नुकसान किया है उसके लिये सरकार ही दोषी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही आनी चाहिये ।

[श्री राजनारायण]

किसानों की जो तमाम लहलहाती हुई फसलें थीं, वे सूख गयीं, क्योंकि सरकार ने बिजली का उत्पादन नहीं किया, सारे के सारे नलकूप बन्द रहे। क्या यह सरकार नहीं जानती है? मैं जानता हूं। जब मैं बनारस जेल में इधर बन्द था तो देखा कि सूखा पड़ा हुआ है, रबी की बोआई नहीं हुई है और पहले से बोई हुई फसलें सूख रही हैं। यह तो ऐसे ही हुआ कि जब एक नगर जल रहा था तो वहां का बादशाह कहीं वंशी बजा रहा था। उसी तरह से यह सरकार और उसके मंत्री भी वंशी बजा रहे हैं। पता नहीं वे कहां भूले हुये हैं। सरकार की दकियानूसी नीति के कारण ही किसानों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हो सकता है कि सरकार को कोई विदेशी सहायता मिली हो, खासतौर पर नलकूप लगाने के लिये।

यह सरकार आज किसकी नकल करती है? यह सरकार आज उसकी नकल करती है जहां एक व्यक्ति के पीछे ७० एकड़ का परता पड़ता है, जहां एक किसान के पीछे ३० एकड़ का परता पड़ता है। यह सरकार अमेरिका, रूस और इंगलैंड की नकल करती है। श्रीमन्, अगर अपने देश के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को हम देखते हैं तो आज हमारे प्रदेश में एक किसान पर औसत पड़ता है पौन एकड़ और दो एकड़, तीन एकड़ के जो किसान है उनके ऊपर नहर का रेट इतना ऊंचा आता है कि वे उसको कहां से भर पायेंगे। उसको पानी भी नहीं मिलेगा, इससे तो वह मर जायगा। जो बड़े बड़े किसान है, उनको तो उतनी दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको तो नलकूप से पानी मिलता है, लेकिन जिस वक्त छोटे किसानों की बारी आती है उस वक्त नलकूप की बिजली एकदम रुक जाती है।

श्रीमन्, सन् १९५३-५४ में कुछ कर्मचारियों (आपरेटर्स) की भर्ती हुई। ये आपरेटर्स कौन हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है? हमारे लिये तो श्रीमन्, बड़ी मुसीबत और तबाही है क्योंकि हमारे दफ्तर में अगर देखा जाय तो आपरेटरों की दरख्वास्तों से बड़ी परेशानी है क्योंकि असेम्बली की मेम्बरी तो करनी है और उसके लिये अब कोई मर्यादा की सीमा नहीं रह गयी है। चाहे मर्यादा भंग भी हो लेकिन चूंकि वोट लेना है इसलिये खुलेआम कुछ लोग कह सकते हैं कि अबकी बार अगर मैं चुनाव में आ गया तो सबको आपरेटर्स बना दूंगा। इस तरह से आपरेटर्स की नियुक्ति में भी पब्लिक के हाथ सौदा किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सन् १९५३-५४ में जो नियुक्ति हुई वह तो सन् १९५७ की कोशिश के लिये हुई। इस तरह की नीति जो हुकूमत की है उसने बड़ा परेशान कर रखा है।

एक आदमी ने यह तजवीज दी कि उसके लड़के को ही आपरेटर बना दिया जाय, क्योंकि उसका खेत भी वहां काफी पड़ता था। अब चाहे वह आपरेटर अपने घर पर सोया पड़ा रहता हो, चाहे काम हो रहा हो या न हो रहा हो, लेकिन उसको अपने घर ही रहने दिया गया है।

इसी तरह से मेट बनाने की बात भी है कि मेट जो होंगे वे देखेंगे कि किसको कितने पानी की जरूरत है और उन्हीं के कहने पर पानी की सारी व्यवस्था होगी। इस सरकार की जो व्यवस्था पानी के लिये है वह बहुत ही खराब है। अब यह किया गया है कि कच्चे कुएं खुदवाने के लिये जिलाधीश के पास कुछ रकम भेज दी जायगी। क्यों भाई, ५ वर्ष तक नलकूप की योजना चलाने के बाद फिर इस साल कच्चे कुओं के खुदवाने के लिये रुपये भेजने की जरूरत क्यों पड़ गयी? उस साल जितना रुपया भेजा गया था उसमें कितने कच्चे कुएं बने? यह सरकार जनता का बड़ा हित करेगी अगर बड़े-बड़े बांधों को जिस रूप में बंधवा रही है उनको रोक दे। यह सरकार अपनी बड़ी-बड़ी योजनाएं जिस रूप में चला रही है उनको रोक दे तो बड़ा हित होगा और अब भी अगर वह प्रदेश के किसानों का

हित करना चाहती है तो इस रास्ते को छोड़े और अब सन् १९५७–५८ में नये रास्ते का अवलम्बन करे । अगर यह नलकूप नियोजित और नियंत्रित ढंग से लगाये गये होते तो सूबे की जो दुर्दशा सरकार ने की है उसमें घटोत्तरी होती बढ़ोत्तरी न होती ।

सन् १९५३–५४ में जब यह सरकार रुपया मांगती है तो मैं निवेदन करूंगा कि वह जरा आजमगढ़ की ओर जाय । इसी सन् में आजमगढ़ में एक बांध बंधा था, सड़क वहां ऊंची की गई । नदी का पानी जब सतह से उठने लगा तो जो सड़क ऊंची हुई उसने पानी को रोक रखा, जाने नहीं दिया । मैं कहूंगा कि इस सरकार के इंजीनियर्स निकम्मे हैं कि उन्होंने नदी के पानी को रोकने के लिये और उसके धक्के को रोकने के लिये एक पेरलल बांध बंधवाया । वह बांध कब बंधा था ? मई और जून के मास में जब मिट्टी भुरभुरी होती है, उसमें लस्सी नहीं रहती । यह भी नहीं सोचा कि वह भुरभुरी मिट्टी का बांध पानी का धक्का कैसे बरदाश्त करेगा ? सन् १९५३-५४ के लिये यह रुपया मांगा जा रहा है जिसमें सारे का सारा रुपया बरबाद हो गया । सरकार के दिल में कुछ आ गया कि तीन चार फिट सड़क को ऊंचा कर दो पानी नदी का रुक जायगा और कोई परेशानी पैदा नहीं होगी । लेकिन हमने देखा कि पहले धक्के में ही पानी से वह टूट गया उसके बाद दूसरा बांध भी टूट गया । आपको मालूम होगा कि १५ मिनट में भूड़ पर पानी सारे शहर में पहुंच गया । अगर वह रात को टूटा होता तो न मालूम क्या हो गया होता । वह तो यह गनीमत हुआ कि बहुत से किसानों को लेकर लोगों ने उस बांध को रात में नहीं टूटने दिया और दिन में जब वह टूटा तो लोगों ने अपना सामान इधर उधर रख लिया । इस तरह से एक एक जिले के वर्णन की आवश्यकता नहीं है लेकिन यही हालत जौनपुर और गोरखपुर की भी है । वहां पर भी बांध टूटे ।

सरकार इस पर गौर करे कि वह क्यों पैसा लेती है ? अगर वह एक एक व्यक्ति का पैसा है तो उस में से एक पैसा भी अनुचित ढंग से नहीं व्यय होना चाहिये । जिन पर उस जनता के धन के खर्च करने की जिम्मेदारी है उनको बहुत ही अहतियात से काम करना चाहिये । सरकार को एक पैसा भी जनता का बरबाद नहीं करना चाहिये ।

इस सन् १९५३–५४ के बारे में मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, श्री उग्रसेन जी ने भी उस पर रोशनी डाल दी है, गांवों को ऊंचा करने की योजना सन् १९५३–५४ में सरकार की थी लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि कितने गांव उस सन् में ऊंचे हुये और और कितने बाढ़ में बह गये । मिट्टी खुदी, सही मानों में मिट्टी खुदी या नहीं और गांव ऊंचा करने की योजना सफल हुई या नहीं ? मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से, श्री राममूर्ति जी से, नाम तो राममूर्ति बड़ा अच्छा है, नाम तो बड़े अच्छे-अच्छे हैं किसी का कमलापति, किसी का, राममूर्ति, किसी का सम्पूर्णानन्द—तो मैं निवेदन करना चाहता हूं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, भाषा की मधुरता लाना चाहता हूं, और आप के द्वारा सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि सरकार खुद बताये कि आज पांच वर्ष के बाद जो १९५३–५४ के अतिरिक्त पैसे को सरकार हम से मांग रही है क्या यह कोई शोभा की बात है, क्या कोई जनतांत्रिक प्रणाली की बात है, क्या कोई उचित बात है और क्या कहीं इसमें मर्यादा है ? सरकार तो मर्यादा-विहीन हो चुकी है, हमें भी चाहती है कि हम भी मर्यादाविहीन हो जायं और हम उसकी मर्यादा-विहीनता में मदद करें । मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं । हम तो अपने मित्र माननीय मोतीलाल जी को इसके लिये धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसके लिये कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया और मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं । यद्यपि सरकार के बहुत से लोगों ने कहा कि इसको पास हो जाने दो । लेकिन मैं बताना चाहता हूं और बार-बार कहना चाहता हूं कि सरकार अहरौरा बांध, चन्द्रप्रभा बांध और जितनी नहरें हैं जो भी १९५३–५४ से कार्यवाही हो रही है, जरा उसका अवलोकन करे । १९५३–५४ से रिहन्द बांध भी चल रहा है । उसकी क्या हालत है ? इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई । कितने किसान रिहन्द बांध में बरबाद हो गये । मैं उस सवाल को उठाने वाला था जब रिहन्द बांध में किसान उजाड़ा जा रहा था और आज

[श्री राजनारायण]

भी उन किसानों को बसने की कहीं जगह नहीं मिली। जरा उन किसानों की हालत तो मंत्री जी देखें। अभी परसों आये थे बेचारे। चार-चार वर्ष हो गये। उनको जंगल में बसा दिया जाता है और जंगल काट दिया जाता है, थोड़ी-थोड़ी ऊपर लकड़ी छोड़ कर, कैसे वह खेत बनायें? कैसे बसें? उन किसानों के पास क्या साधन हैं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये तमाम योजनाओं के रोचक और मोहक नामों में सरकार जनता के स्वार्थ का हनन करना चाहती है। १९५३-५४ से जो योजना चली हुई है जिसमें इतने किसान तबाह और बरबाद हो गये आज तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। फिर क्यों सरकार हमसे अतिरिक्त रुपया मांगती है? सिंचाई विभाग के पास हमारे बनारस में कालोनी बनी हुई है। देखता हूं कि सब अफसरों के पास एक एक जीप है। सब लोगों की गाड़ियां छीन ली गयीं, मालूम नहीं कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियां छीनी गयीं या नहीं? कभी कभी मुझे ऐसा मौका मिला है। वह उसी सन् में १९५३-५४ में गाड़ियां खरीदी गयी होंगी।

कभी-कभी मुझे ऐसा मौका हुआ है कि माननीय मंत्री जी बनारस स्टेशन पर उतरे हैं और बन्दा भी बंडल दबाये उतर गया है, तो दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां सिंचाई विभाग की मंत्री जी को लेने आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह गाड़ी का विषय तो है नहीं।

श्री राजनारायण---सब सिंचाई विभाग की गाड़ियां हैं। श्रीमन्, मुझे याद आ गया। अभी कानपुर जिले में मैं था। सिंचाई विभाग में गबन .....

श्री उपाध्यक्ष---१९५३-५४ का गबन?

श्री राजनारायण---जी हां, १९५३-५४ का। जेल में मैं बन्द था और वहां पर श्रीमन्, दो वर्ष हो गये, एक बेचारा कर्मचारी गबन में पकड़ा गया है। वह हमसे रोते-रोते रह गया। कहता था कि न तो मेरे ऊपर चार्जशीट है न कुछ है। सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर ने मुझे पुलिस विभाग के हवाले कर दिया पुलिस ने जेल में बन्द कर दिया। कोई पता नहीं कि क्या चार्जशीट है, कितना पैसा गबन किया है, क्या है। अगर मंत्री जी हमें बताये होते कि यह सवा लाख रुपया चन्द मदों के लिये है तो उन्ही मदों पर.....

श्री उपाध्यक्ष---सवा लाख के अनुदान पर इतना जोर दे रहे हैं, आगे करोड़ों रुपये हैं।

श्री राजनारायण---ठीक है श्रीमन्, आगे उसको भी देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---बाकी बातें आप उनको पत्र द्वारा सूचित कर दीजियेगा।

श्री राजनारायण---मगर हमको यह मालूम हुआ है कि और मंत्रियों ने हमारे खत का जवाब देना बन्द कर दिया है। क्योंकि एक धारणा बनी हुई है, जरा आप खयाल करेंगे, पता नहीं आपके सामने वह आती नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष---बिना पूरा खत पढ़े ही मजमून समझ लेते हैं।

श्री राजनारायण---हां। मजमून यह है कि त्राहि, त्राहि मची हुई है, मजमून यह है कि रहने के लिये झोपड़ी भी नहीं है, मजमून यह है कि अपना शरीर ढकने के लिये तन पर कपड़ा नहीं है। तो जब यह हालत है प्रदेश में तब दफ्तर बना कर, ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें बना कर जनता की गाढ़ी कमाई खर्च की जा रही है, इसकी क्या जरूरत है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि काशी विद्यापीठ के पास इतनी बड़ी कालोनी बना कर अफसरों को क्यों विलासी बनाया जा रहा है? क्या वे छोटे, छोटे मकानों में नहीं रह सकते? हम जानते हैं कि बनारस जिले में सिंचाई विभाग के अफसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर.....

श्री उपाध्यक्ष--आप संक्षेप में ही कहें, इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री राजनारायण--हम आपके भाव का पूरा आदर करते हैं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। एक्सेस ग्रान्ट के ऊपर इस सदन में वाद-विवाद हो रहा हो और जो मंत्री एक्सेस ग्रान्ट पेश करते हैं, चाहे सिंचाई मंत्री पेश करते हों या और कोई मंत्री करते हों, तो इस बात को शुरू में ही तस्लीम कर लेते हैं कि गलती हुई और रुपया बेशी खर्च हो गया है। आप जानते हैं जहां इतने रुपये का बजट हो और खास करके सिंचाई विभाग में तो काफी रुपये का बजट होता है, यह सम्भव है कि कभी कभी एक्सेस हो सकती है.....

श्री उपाध्यक्ष--आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बेचनराम गुप्त--व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से माननीय राजनारायण जी विवाद कर रहे हैं, सामान्य तरीके से, क्या इस प्रकार से विवाद हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--आपको राजनारायण जी, क्या कहना है इसके सम्बन्ध में ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप भी समझ गये कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय बेचनराम जी पता नहीं अधिष्ठाता मंडल में रह गये या नहीं ? इनको खुद पता नहीं कि सारे सिंचाई स्थापना पर व्यय का विषय है और जो लिखा हुआ है उसको जरा पढ़ लें :

"इस व्यय-वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि वर्ष के उत्तरार्ध में कतिपय बड़ी परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।"

तो तमाम बड़ी परियोजनाओं में जो नियुक्तियां की गयीं वे सब नालायकी का प्रमाण हैं। सब पर हम बोल सकते हैं। बेचनराम जी सुनते नहीं हैं। कुछ लोग वैधानिक प्रश्न उठा देते हैं और उनका अखबारों में नाम आ जाता है कि माननीय राजनारायण के बोलते समय फलां सदस्य ने वैधानिक आपत्ति का प्रश्न उठाया।

मैं खासतौर से मंत्री जी से इस समय यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी दिन मौका हो तो हमको भी साथ ले लें और जिस बनारस को वह लहलहाता देखना चाहते हैं उसकी दुर्दशा देखें। सन् १९५३-५४ से एक सड़क बन रही है और वह सिंचाई विभाग की है वहां पर रहने का स्थान बन चुका है मगर आज तक सड़क मुकम्मल नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी योजनाओं और बिल्डिंगों पर अनियन्त्रित ढंग से रुपया खर्च कर रहे हैं और कर्मचारियों की बाढ़ जनता की गाढ़ी कमाई पर हो रही है इसको सरकार रोके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं कि वे उनके प्रस्ताव को मान लें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी से एक सूचना चाहता हूं कि क्या माननीय बेचनराम जी गुप्त भी वाराणसी के हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं पालीवाल जी के प्रश्न का स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। माननीय बेचनराम जी गुप्त, जो पहले बनारस का जिला था उसमें नहीं थे, बल्कि जो बनारस राज जिसे काशी राज कहते थे, अर्थात् भदोही, महाराज बनारस के थे उस खंड में वे रहते थे।

श्री उपाध्यक्ष--वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री राजनारायण--जब वाराणसी नाम पड़ा तो विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा कि काशी नाम होना चाहिये या वाराणसी, अब वाराणसी पूरे जिले को कहा जाता है क्योंकि चकिया, भदोही और रामनगर सब बनारस में ही शामिल कर दिये गये हैं और ऐसी हालत में उनको वाराणसी के अन्तर्गत मानना होगा और उनको मानना चाहिये कि वे वाराणसी के हैं। वैसे तो हम सर्वहारा हैं, हमारे जैसे सर्वहारे के लिये सब लोगों के लिये स्थान है। अगर वे अच्छे आदमी हैं तो हमारे सुझाव को मानेंगे और अगर सरकार की जी हुजूरी करना वे अपना फर्ज समझेंगे तो हम उनको तिरस्कृत करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसीलिये इस विषय पर बोलने की जरूरत पड़ी कि मैं भी बनारस का रहने वाला हूं। मैं श्री मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं भी एक घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं इस अनुदान के सम्बन्ध में कि इस अनुदान के रुपये का वास्तव में बड़ा दुरुपयोग हुआ है।

एक रोज प्रश्नोत्तर के समय माननीय मंत्री जी ने बतलाया था एक परगना पान्द्रह है बनारस तहसील का उसमें एक कूड़ी का बांध बना हुआ है। एक मामूली सा नाला है। जब कमलापति जी त्रिपाठी सिंचाई मंत्री थे तो कूड़ी वालों ने दावत दी और उस दावत के उपलक्ष्य में एक बांध त्रिपाठी जी ने बनवा दिया, लेकिन तीन बार वह बांध बह चुका। ४० हजार रुपया उस पर खर्च किया गया और मंत्री जी कहते हैं कि ६०० एकड़ भूमि की उससे सिंचाई होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मौका मिले तो आप उसे जा कर देखिये। ६०० एकड़ तो क्या एक एकड़ भूमि की भी सिंचाई नहीं होती। इसलिये मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि सिंचाई विभाग जनता की गाढ़ी कमाई का जो रुपया इस तरह से खर्च कर रहा है, पानी की तरह बहा रहा है कि उसकी कोई इंतिहा नहीं है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसमें जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसने तो हर विभाग को मात कर दिया है।

जितने नलकूप लगे हैं, उनके लिये न किसी गांव वाले से राय ली जाती है, न किसी अनुभवी आदमी से राय ली जाती है। इंजीनियर्स का यह हाल है कि उन्होंने कहीं नीची नाली बना दी और कहीं ऊंची नाली बना दी। न उनमें सिंचाई की सुविधा है और न पानी की सुविधा है। जहां ट्यूबवेल लगा हुआ है वहां से तो नाली नीची होकर जाती है, लेकिन जरा दूर आगे जाने पर नाली ऊंची हो जाती है। मंत्री महोदय इस पर गंभीरतापूर्वक सोचें। विभाग में जो खर्चा किया जा रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिये ताकि सिंचाई के लिये काफी पानी किसानों को मिले। हमारे गोंडा के एक साथी ने सवाल किया था नहर के बारे में तो सिंचाई मंत्री ने जवाब दिया कि सिंचाई हो गयी होगी इसलिये नहर सूख गयी होगी। जो लोग देहात के हैं वे सभी जानते हैं कि अभी सिंचाई कहीं नहीं हुई है, लेकिन मंत्री महोदय ने बता दिया कि सिंचाई हो गयी होगी। अपनी कमजोरियों को सरकार नहीं देखती पर अखबारों में नाम निकालने में, प्रचार करने में सरकार अपना सौभाग्य समझती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे देखें कि वहां सिंचाई हो गई है या नहीं? नहर में पानी गया है या नहीं? इस तरह की बातों से अब काम चलनेवाला नहीं है। अब जमाना बदल गया है। किसानों का पैसा है और यह जनता की गाढ़ी कमाई है, इसलिये इस पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप बराबर ५३-५४ का रुपया अभी तक मांगते हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा? आपने तो रुपया खर्च कर ही दिया है, आपका बहुमत है और उसके जोर पर आप पास करा ही लेंगे। लेकिन हम आसानी से इसको पास होने नहीं देंगे। इसलिये कि जनता का पैसा है आपको जिम्मेदारी के साथ इसको खर्च करना चाहिये और ठीक ढंग से करना चाहिये। कोई काम करने से पहले गांव के लोगों से राय ले लेनी चाहिये कि कहां नाली बनाई जाय, कहां बंधा बनाया जाय और कहां नहीं बनाया जाय।

आज इस तरह से रुपये का दुरुपयोग हो रहा है कि ५० हजार रुपया इधर-उधर हो गया है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि कर्मचारियों के रहने की बिल्डिंग्स के बनाने में खर्च हुआ। हमारे यहां बनारस में कूंड़ी सिगरा, जमापुर नामक स्थान पर ऐसे बढ़िया आलीशान बंगले बनाये गये हैं जिसका माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया है। मैंने लखनऊ में ऐसे बंगले नहीं देखे जैसे सिंचाई विभाग ने बनारस में बनाये हैं। बम्बई में मैंने जरूर देखे हैं। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पैसे को सही ढंग से खर्च करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा १९५३-५४ के खर्चे के निमित्त यह जो रकम मांगी जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सदन इसको नामंजूर करे। उसका कारण यह है कि १९५३-५४ की स्कीमों का ही खमियाजा हम पिछले चार सालों से भुगतते आ रहे हैं। उसी समय की स्कीम नारायणी नहर की है और उन्हीं कर्मचारियों के निमित्त यह रकम मांगी जा रही है जिनकी सलाह के मुताबिक धोबहा बांध बनाया गया था और उस नहर का हेड बनाया गया है वह भी उन्हीं अधिकारियों की सलाह से बनाया गया होगा। फिर उन्हीं के लिये रुपया मांगा जा रहा है। यह नारायणी नहर और धोबहा बांध का ऐसा किस्सा है जिसके लिये मैंने बराबर माननीय मंत्री जी को पत्र द्वारा सूचना दी है और कामरोको प्रस्ताव द्वारा भी ध्यान दिलाया है; फिर भी इसका खमियाजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। हमारे इलाके में नारायणी नहर से और गलत तरीके से बनाये गये धोबहा बांध से १२५ गांव डूब गये थे। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप उन्हीं कर्मचारियों के लिये रुपया मांग रहे हैं जिनकी गल्तियों का खमियाजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं और इसकी भरपाई करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है।

मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १९५३-५४ के बाद १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और इसके बाद एक बजट और बीत गया यानी चार बजट बीत गये, लेकिन सरकार को यह करोड़ों की गलती मालूम नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस तरह की सरकार का उदाहरण दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि जो सरकार इतनी बड़ी-बड़ी भूलें करती हैं, करोड़ों की भूल करती है और चार-चार साल के बाद असेम्बली से अनुदान मांगा जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये और उस तरफ के सदस्यों से भी कहना चाहूंगा, जो उस सरकार के हामी हैं और उसकी हां में हां मिलाना अपना फर्ज समझते हैं, अगर सरकार इस्तीफा दे दे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि वह जो चाहेंगे वही सरकार बनेगी। लेकिन सारे हिन्दुस्तान के सामने, डेमोक्रेसी के सामने एक आदर्श पेश होगा कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये सरकार ने इस्तीफा दे दिया और डेमोक्रेसी की लाज रख ली। अनुदान छोटा सा है और समय भी कम है। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर इस कटौती का समर्थन ही नहीं करता हूं बल्कि सारी रकम के काटने के लिये अनुरोध करते हुये अपना आसन ग्रहण करता हूं।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दुख के साथ कि इस सदन में आपोजीशन की तरफ से केवल एक ही दृष्टिकोण पेश किया जा रहा है मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मद का समर्थन तथा माननीय अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं अपने बुजुर्ग माननीय राजनारायण जी को उस गैर-जरूरी मेहनत के लिये धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस सदन में असामयिक तरीके से बहस की, क्योंकि अगर वे उस बहस को अगले बजट के लिये, जो कि आने वाला है रिजर्व रखते तो शायद ज्यादा कारामद होती।

श्री राजनारायण---उसके लिये और बहुत मसाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वर प्रसाद—लेकिन शायद वे यह समझते हैं कि कहीं फिर न जेल की हवा खानी पड़े इसलिये अपने विचार पहले से ही रख दें ।

श्री राजनारायण—यह तो हर वक्त समझता रहता हूं । लेकिन क्या आप पुलिस मंत्री से मिल कर आये हैं ?

श्री रामेश्वर प्रसाद—इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि जब हम इस विभाग के कार्यों की टीका टिप्पणी या संतुलन करें तो यह बड़ी ज्यादती हो जाती है कि हम एक ही दृष्टिकोण से उसका फैसला कर दें । जो बातें यहां कही गयीं उनसे तो यही स्पष्ट होता है कि यह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के लिये एक बेकार सा विभाग है और अगर इस तरह का दृष्टिकोण उधर के लोगों का बना हुआ है तो बड़े दुःख की बात है । आज इस सदन के सभी सदस्य इस बात की दुहाई देते हैं कि हम किसान के बल पर, मजदूर के बल पर यहां आये हुये हैं और समाजवादी व्यवस्था का नारा बुलन्द करते हैं और इसकी होड़ लगाये हुये हैं कि कौन आगे निकल जाता है ।

श्री राजनारायण—कुछ लोग पैसे के बल पर भी यहां आये हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—तो जब यह स्पष्ट बात है कि हम सब लोग यही दुहाई देते हैं कि गरीबों, किसानों, मजदूरों का भला हो तो यह निश्चित बात है कि जब हमारा देश कृषि प्रधान है और उसमें खेतिहरों की आबादी ज्यादा है तो उनकी भलाई के लिये जो भी काम होंगे उनका आदर यहां की जनता करेगी । भले ही हम इस सदन के सदस्य होने के नाते इतनी ऊंचाई पर बैठे हुये हैं लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रख कर ही बात करनी है न कि केवल इस नाते कि वे आपोजीशन में बैठे हुये हैं । मैं कहता हूं कि जो कुछ इस थोड़े से समय में जब से यह पापुलर कांग्रेस सरकार आयी है खेती की उन्नति के लिये जो सिंचाई के साधन यहां जुटाये गये हैं और जो योजनाएं काश्तकार को दी गयी हैं या दी जा रही हैं उसकी आवाज को भले ही आप यहां छिपाये रहें, लेकिन सदन के बाहर वह काश्तकार उस आवाज को छिपा कर नहीं रख सकता । और वह यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जहां भी सूखे की स्टेज हो, जहां भी जमीन की सिंचाई के साधन न हों वह उसके लिये शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कर दिये जायं । यह बराबर यहां के खेतिहरों की मांग है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार बड़ी योजनाएं बना डालती है और उनमें बेकार पैसा जा रहा है । मैं नहीं समझता कि जो यह सुझाव दिया गया कि कच्चे कुएं बना दिये जायं, यह कहां तक उचित होगा । ऐसा सुझाव बिना सोचे हुए दिया जा सकता है । कच्चे कुएं की लाइफ बहुत कम हुआ करती है और उनसे थोड़ा फायदा ही उठाया जा सकता है । सरकार ने सिंचाई के मजबूत साधन पैदा करने के लिये ही बड़े-बड़े प्लान—रिहन्द बांध, चन्द्र प्रभा बांध, अहरौरा बांध, माताटीला बांध और देश में भाखरा नंगल जैसी योजनायें—बनाये हैं और और वह इस दृष्टि से कि किसान का यह सिंचाई का दर्द हमेशा के लिये मिट जाय, उसकी जिन्दगी मजबूत हो जाय । वरना यह कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि कच्चे कुवें बना दिये जाय लेकिन वह तीन चार साल में ही नष्ट हो जायेंगे । सरकार तो संतुलन कर के, मजबूती के साथ ऐसे कदम उठाना चाहती है कि जिससे जो बीमारी सदियों से चली आ रही है वह हमेशा के लिये अच्छी हो जाय । अगर इस सरकार को चीप पापुलैरिटी लेनी हो, मंत्री सहानुभूति प्राप्त करनी हो तो यह लोगों में एक सेंटीमेंट पैदा करके शीघ्र ही पापुलर हो सकती है । उस दृष्टि से यह कच्चे कुओं का सुझाव मान्य हो सकता है, किन्तु मेरा इससे डिसएग्रीमेंट है । इसके साथ-साथ जहां बड़े बांध और नलकूप नहीं बन सकते उसके लिये अन्य योजनायें हैं काश्तकारों को इन्करेजमेंट दिया जाता है, उन्हें तकावी के लिये रुपया दिया जाता है, उसे छूट दी जाती है, वह कुएं बनायें और सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करें । तो ऐसी हालत में एक तरफा बात कह देना या एक दृष्टिकोण रखना किसी विभाग के लिये, जब कि उसका कार्य काफी मजबूती के साथ चल रहा है, काश्तकारों की भलाई के लिये चल रहा है और उस

आवाज को मजबूत करने के लिये चल रहा है जिसको उधर बैठने वाले सदा उठाया करते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना की आवाज, मैं नहीं समझता कि कहां तक अच्छी बात होगी। जहां तक माननीय राजनारायण जी का संबंध है, उनको तो छूट है। मैं अगर उस परिधि से बाहर बोलना चाहूं तो माननीय उपाध्यक्ष मुझे टोक देंगे, लेकिन माननीय राजनारायण जी को एक तरह से इसकी छूट है और मैं सहमत हूं, उनको यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह जिस तरह से चाहें, जिस तरह की बात चाहें, करें.....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि अगर मैं विषय के बाहर जाऊं तो चेयर मुझे टोक देगी और माननीय राजनारायण जी को अधिकार मिला है इसका। तो क्या चेयर के ऊपर आक्षेप करने का माननीय सदस्यों को अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात माननीय सदस्य को कहना नहीं चाहिये। लेकिन उनका मंशा आक्षेप करने का नहीं था। उनका कोई आक्षेप नहीं है चेयर के लिये, उन्होंने केवल मनोरंजन के लिये कहा था।

श्री राजनारायण—माननीय सदस्य ने जो बात कही वह प्वाइंट आफ आर्डर का विषय अवश्य होती है लेकिन यह लोग बेचारे कभी-कभी बोल पाते हैं इसलिये यह जो कुछ भी कहें, उसके लिए विरोधी पक्ष की ओर से प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठना चाहिये। इसी-लिये मैंने नहीं उठाया। हां, अगर कोई मंत्री बार-बार प्वाइंट आफ आर्डर उठाता है तो मैं जरूर कहूंगा। मगर ट्रेजरी बेंचेज के लोगों के लिये इसकी छूट है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि मेरी बात को माननीय राजनारायण जी समझ पाये थे और शायद दुबे जी उन बातों तक नहीं पहुंच सके क्योंकि मैं समझता हूं कि जो शब्द मैं कह रहा था वह राजनारायण जी से सहानुभूति रखते थे और उनकी नेतागीरी बढ़ाने वाले थे।

यह कह रहा था कि जो मांग यहां पर प्रस्तुत की गई हैं उसमें ज्यादा टीका टिप्पणी की गुंजायश नहीं है। वह रुपया करीब करीब खर्च हो चुका है और वह १९५३–५४ में खर्च हुआ है। उसमें यह कहना कि चन्द्रप्रभा बांध से कुछ नुक्सान हुआ वहां के किसानों का या उससे वहां पर कुछ तकलीफ पहुंची यह दोनों बातें वास्तविकता से परे हैं। प्लान्स जब बनते हैं या कोई बांध बनता है तो उसमें कोई कमजोरी रह गई होगी। जैसा कि राजनारायण जी ने बताया कि वहां की मिट्टी कमजोर थी। सब जगह तो ऐसी मिट्टी नहीं होती लेकिन वह उस मिट्टी से बना होगा। इस वजह से वह बांध टूट गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सरकार की ऐसी नीयत रही हो या सरकार की कोई ऐसी मंशा रहा हो कि पब्लिक का रुपया वेस्ट किया जाय। यह दैवयोग की बात है कि वह बांध टूट गया और उससे काश्त-कारों की जमीन का नुक्सान हुआ या पानी भर गया। यह ऐसी बात है कि योजना बनी और चलायी गयी और उस बांध में दरार पड़ गई तो उस तरह से काश्तकारों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। यह कुदरती बात है। यह ऐसी बात नहीं है कि सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जाय कि सरकार ने जानबूझ कर ऐसा बांध बनाया जिससे वह टूट गया और वहां की जनता का नुकसान हो गया। मैं समझता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य इस मंशा से सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जैसा कि अभी ऊझल जी ने बनारस के विषय में यहां पर कहा तो यह उचित नहीं है। गलती हो सकती है और सरकार यह कहती भी नहीं है कि उससे कोई गलती नहीं होती है। वास्तव में सरकार की यह गलती भी नहीं है। गलती है वहां की परिस्थिति की और उस परिस्थितिवश उस प्लानिंग में यह कमी आयी जिसकी वजह से किसानों को वहां पर नक्सान पहुंचा। परन्तु हमारी सरकार उन लोगों को कम्पेन्सेशन देने के लिये तैयार रहती है। अगर उनको नुक्सान पहुंचा होगा तो उनको मुआविजा दिया गया होगा। इसमें दो रायें

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

नहीं हो सकतीं। अगर उनको मुआविजा न दिया गया होता तो माननीय सदस्य, जो इस बात को पेश कर रहे हैं वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस सदन में लाकर सरकार का ध्यान अवश्य उधर दिलाये होते. . . .

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी के लिये भी कुछ रहने दीजिए।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मेरे लिये इतनी मेहरबानी की और मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझे इतना समय दिया। मैं अब इस मांग का समर्थन करते हुए सदन से निवेदन करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक रुपये की कटौती के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे और थोड़े सुझाव और योजना सम्बन्धी अनेक सरकार की त्रुटियां सदन के सामने रखीं। मुझे विश्वास है कि विरोधी पक्ष की तरफ से बतायी गयी बातों का सरकार आदर करेगी। जो बातें इस प्रकार से सदन के सामने रखी जाती हैं वह अनुभव के आधार पर सामने रखी जाती हैं। अगर विरोधी पक्ष का सचमुच सरकार आदर करना चाहती है तो उसकी कही हुई हर चीज को उसे नोट करना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिये। मैं न केवल विश्वास करता हूं बल्कि मुझे पूरा अधिकार है यह कहने का कि मंत्रीजी हमारे विरोधी दल की ओर से कही बातों को नोट करेंगे और उनकी जांच करायेंगे और अगर कहीं गरीब किसानों की कमाई के इस धन का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको नहीं होने देंगे। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी मेरा कटमोशन इस रूप में मान लेंगे। इसके मानने से उनका कुछ घटता नहीं है, इससे तो केवल उनमें सचेतता आती है और उससे उनके विभाग में जो कमी है वह पूरी हो सकती है।

श्री राममूर्ति--माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो आज का जो विषय है उसका दायरा बहुत ही सीमित था और यह मैंने शुरू में ही बतला दिया था जिनके सम्बन्ध में ये मांगें हैं वे ३-४ काम १९५३-५४ में बड़ी तेजी से चलाये गये थे। माननीय सदन के पुराने मेम्बरों को मालूम होगा कि वह ऐसा समय था जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये हमें केन्द्र से रुपया मिलने लगा था और हमारी यह कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करके हम अपनी योजनाओं को शीघ्र पूरा करें। शुरू में जो ऐस्टीमेट्स बनते थे उनमें यह पूरी कोशिश रहती थी कि जल्द से जल्द वह काम हो। उसी सम्बन्ध में जब काम की तेजी ज्यादा हुई तो हमें कुछ और डिवीजन खोलना अनिवार्य हो गया और उसी के लिये थोड़ी सी मांग ११२ हजार रुपये की थी जो कि आप के सामने प्रस्तुत है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप ने इस बात को महसूस किया कि बहस सीमित रहे और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों को अपने अपने जिलों की बातें कहने का मौका मिल गया।

मेरी बदकिस्मती है कि राजनारायण जी उठ कर चले गये हैं। मैं कई सालों से बराबर देख रहा हूं कि वाराणसी के वह भी रहने वाले हैं, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री भी उसी जिले के रहने वाले हैं और माननीय बेचनराम जी उसी जिले के हैं जिनसे माननीय राजनारायण जी की खींचातानी चली आती है और उस सिलसिले में राजनारायण जी अपने दिल को कुछ न कुछ हल्का कर ही लिया करते हैं, कुछ न कुछ तबर्रा पढ़ ही लिया करते हैं। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि उनका दिल हल्का हो जाता है जिससे उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब वे कहते हैं कि वाराणसी में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर २२५ ट्यूबवेल्स ही बने हैं और करीब करीब सभी ट्यूबवेल्स चालू हैं। नहरों का जाल उनके जिले के अन्दर बिछा दिया गया है, इसके ऊपर यह शिकायत उनकी करना शोभा नहीं देता है।

हमारे एक नए सदस्य ऊदल जी हैं। उनको इमारतों की बड़ी भारी शिकायत हुई और कलकत्ता, बंबई और लन्दन, न जाने कहां-कहां का उन्होंने हवाला दे दिया। अगर वे बजट को देखने का कष्ट करें तो उनको मालूम होगा कि हमारे यहां इंजीनियर्स की इमारत के लिये रकम निर्धारित है, असिस्टेंट इंजीनियर की इमारत के लिए, ओवरसियर की इमारत के लिये सब के लिये शिड्यूल बने हुए हैं और उन्हीं के अनुसार इमारत बनायी जाती है, बनारस की इमारतें भी उसी शिड्यूल के अन्दर हैं। पिछले जमाने में विभाग ने यह कोशिश की है कि उसको कम किया जाय और जो पुराना ३० हजार का शिड्यूल था उसको कम करके २२ हजार कर दिया और भी खर्चों को कम करने की कोशिश की। इस सम्बन्ध में जरा आप बजट लिटरेचर को देख लें तो आप को संतोष होगा कि पहले के मुकाबले में हमने खर्चे को कम किया है या नहीं।

मुझे इस बात की खुशी है कि यह एक ऐसा मुहकमा है जिसने इस प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जिसकी सेवा न की हो, चाहे वे पहाड़ी जिले हों, चाहे बुन्देलखंड के जिले हों या और किसी भाग के जिले हों। एक एक जिले में नहरें, बांध, जलाशय और ट्यूबवेल्स बनाये हैं, बाढ़ को रोकने के लिये सैकड़ों मील लम्बे एम्बेंकमेंट्स बनाये हैं, हजारों की तादाद में गांवों को ऊंचा किया है। जो जिले सिंचाई को जानते भी न थे, उनमें सिंचाई के काम की बदौलत हजारों एकड़ जमीन लहलहा रही है। अब रहा यह कि इतना बड़ा प्रदेश है, मैं पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि इस प्रदेश के अन्दर ४ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जहां खेती हो पाती है और पानी के साधन करीब-करीब १ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन के लिये अपर्याप्त हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में आज ऐसे खेत हैं जहां पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। स्वाभाविक बात है कि जिस प्रदेश में खेतिहर लोग ज्यादा रहते हैं, वहां के लिये जब तक पानी का पूरे तरीके से इन्तजाम नहीं होगा, तब तक खेती अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। अभी जो शिकायत की गई है कि पानी की कमी है, यह सही है लेकिन अब तक जितना काम हुआ है, उसकी सराहना भी होनी चाहिये। पंजाब को छोड़ कर हिन्दुस्तान के और प्रदेशों में इस सिलसिले में जितना काम हुआ है, अगर आप उनके काम को देख लें और उनसे मुकाबला करें तो मालूम होगा कि यहां जितना काम हुआ है उतना और कहीं भी नहीं हुआ है। इस प्रदेश में हर जिले में काम हुआ है और काफी काम किया गया है जितना कि और किसी प्रदेश में नहीं किया गया है। इतने जलाशय खोल दिये गये, हजारों मील नहरें बनीं, बहुत सी पुरानी नहरों का रिमाडलिंग किया गया, इतना सारा काम किया गया, उसके बावजूद भी यह शिकायत है। खैर, उस वक्त तक सन्तोष नहीं होगा जब तक कि हर खेत के लिये पानी नहीं पहुंचेगा लेकिन आज की जो यह मांग है, वह बहुत छोटी सी मांग है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि काम को पूरा करने के लिये कुछ डिवीजन्स खोले गये हैं, उसी के सिलसिले में यह मांग है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य उस को मंजूर करेंगे।

माननीय अवस्थी जी ने जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, एक रुपये की कटौती से होता ही क्या है, अगर वे चाहेंगे तो मैं उनको एक रुपये की चाय ही पिला दूंगा, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और माननीय सदस्य उसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १० की धनराशि में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ––

पक्ष में –– ६४,
विपक्ष में ––१२३।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--- सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,१२,८७५ रुपए की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३---कृषि इंजीनियरिंग तथा उपनिवेशन

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४०---कृषि, कृषि इंजीनियरिंग तथा उपनिवेशन के अन्तर्गत १,२८,०४,५६१ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

देखने में तो यह रकम बहुत लम्बी मालूम पड़ती है लेकिन इस को पेश करते हुए किसी लम्बी तकरीर की जरूरत नहीं है। जो साहित्य बांटा गया है उसमें इस मांग के सम्बन्ध में विवरण दिया हुआ है, उस को माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा.....

श्री राजनारायण---जरा सा समझा भी दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---समझा तो मैं दूं लेकिन समझने के लिये अकल चाहिये, वह अकल मैं कहां से लाऊं। अगर कोई पढ़ने से न समझे तो मेरे समझाने से भी जिसके अकल नहीं है वह नहीं समझ सकेगा। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, माननीय सदस्यों की राय सुनने के बाद जो उससे रोशनी मुझे मिलेगी उस से लाभ उठाने की मैं कोशिश करूंगा। आशा है कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---इस मांग पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। अगर कोई सदस्य पूरी मांग का विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं।

*श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी मांग का विरोध करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को अकल देना चाहता हूं...

श्री हुकुमसिंह विसेन---कहीं आप के पास वह खत्म न हो जाय।

श्री राजनारायण---मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह हमारा आदरणीय सदन है और इस सदन में मंत्री जी की यह नाटकीय प्रवृत्ति नहीं चलेगी....

श्री उपाध्यक्ष---वह भी तो एक कला है।

श्री राजनारायण---उसके लिये वह किसी नाटक घर में जायं लेकिन यहां इस सदन में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार विनिमय होना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय हुकुमसिंह जी को इस बात को समझना चाहिये कि 'सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े...,वाली बात है। विद्या दान जितना ही किया जाय उतनी ही विद्या बढ़ती है। इसलिये माननीय हुकुमसिंह जी को सदन में माननीय सदस्यों को किसी ज्ञान से अवगत कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी उनको विद्या दान करूंगा तो मेरी विद्या दान करने से घटेगी नहीं, मेरी विद्या, मेरा ज्ञान बढ़ता जायगा और मेरा विज्ञान सब बढ़ता जायगा।

अब यहां प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी को यहां एक मंत्री की भांति व्यवहार करना चाहिये और जब वह किसी ४-५ साल पुराने खर्च की ग्रान्ट की स्वीकृति सदन से लेना चाहते हैं तो उनको बहुत गम्भीरता के साथ सदन में उसका विवेचन करना चाहिये था, उस कर्त्तव्य का पालन उन्होंने नहीं किया है। २३ तारीख करीब है अविश्वास के प्रस्ताव में तमाम बातें आयेंगी ही लेकिन उनका यह तरीका पेश करने का निन्दनीय और घृणित तरीका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप ग्रान्ट पर बोलें, काफी हो चुका।

श्री राजनारायण—और काफी अभी होना चाहिये, आदरणीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का ध्यान आपको भी रखना चाहिये और समझाना चाहिये, उनको तहजीब सिखाना चाहिये कि वह कैसे प्रश्न का जवाब दें और मांग उपस्थित करें। वह बुजुर्ग हैं लेकिन "बुजुर्गी बअक्ल न बसाल" वाली बात है, बुजुर्गी अक्ल से होती है उम्र से नहीं होती...

श्री उपाध्यक्ष—फिर आप बार-बार वही कह रहे हैं....

श्री राजनारायण—खैर, यह १,२८,०४,५६१ रुपये की मांग की गयी है, क्यों पेश की गयी है, यही इतनी गल्ती हमने की थी कि माननीय मंत्री जी जरा हमें इसको बता दें। इसमें जो कहा गया है उसे जरा पढ़ा जाय। एक ट्रैक्टर विभाग है, सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया और उसको उसने कह दिया कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिए हमने दिया है। अब यह हमसे कहते हैं कि चूंकि उन्होंने लोन दिया था वह हमको रिपे करना है इसलिये हमने एकाउन्ट का ऐडजस्टमेंट किया है। मैं जानना चाहता हूं, सरकार को सदन में आंकड़ों के साथ प्रस्तुत होना चाहिए था। ग्रो मोर फूड कैम्पेन में डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें कितना मोर फूड ग्रो हुआ, मंत्री जी आज अगर उसको लेकर सदन में प्रस्तुत हुए होते कि १९५३-५४ में जो योजना ग्रो मोर फूड की कार्यान्वित की गयी वह कितनी सफल रही तो मैं समझता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य इस पर अच्छी तरह से विचार विनिमय करते। मगर मुझे अफसोस है कि इस अतिरिक्त अनुदान को रखते समय उन्होंने उन आंकड़ों को पेश नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि १९५३-५४ में अधिक अन्न उपजाओ योजना में जो रुपया खर्च हुआ वह बरबाद हुआ। १९५३-५४ में जो रुपया खर्च हुआ वह एक तरीके से पानी में बहाया गया। ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन कहां है, वह किन को दिया जाता है, इस ट्रैक्टर की बनावट कैसी होती है, ट्रैक्टर कितनी जमीन जोतता है, किन-किन लोगों के पास जाता है, इन तमाम बातों का विवरण आज आदरणीय सदन को प्राप्त होना चाहिए था। मगर माननीय मंत्री जी ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये मैं सदन के आदरणीय सम्मानित सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और सरकार की ओर से जो डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की जा रही है, उस को सदन के सम्मानित सदस्य आज अस्वीकार करें।

कहा जा सकता है कि यह रुपया खर्च किया जा चुका है। केवल हिसाब-किताब को इधर से उधर करना है। हिसाब एक बही से दूसरी बही में ले जाना है। यह कहने की बात है। मैं जानता हूं कि इस कृषि विभाग की ओर से बहुत से फार्म्स भी चल रहे हैं। कितने ट्रैक्टर हैं, वहां के ट्रैक्टरों की क्या व्यवस्था है, किस रूप में चलाये जाते हैं, इन तमाम बातों को अगर आज सदन में रखा जाय तो मैं समझता हूं कि चार बज रहे हैं, समय काफी हो चुका है सारा समय इसी में चला जायगा। लेकिन मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि १९५३-५४ में हमारे प्रदेश में पिछले सालों की बनिस्बत अन्न का उत्पादन कम हुआ है। १९४२ में हमारे प्रदेश में जितना गल्ला पैदा हुआ उतना गल्ला आज भी औसत में नहीं पैदा हो पा रहा है। जब फसल अच्छी होती है तो श्रेय सरकार ले लेती है। हमने कुछ जमीन तुड़वाई, नहरों की योजनाओं ने लाभ पहुंचाया। मगर जब बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, और फसल मारी जाती है तो कहा जाता है दैवी प्रकोप है। और जब वर्षा अच्छी होती है, और फसल अच्छी हो जाती है तो उसका श्रेय सरकार पर। दो जबान, कथनी कुछ और करनी कुछ और है। अब इसको सदन में चलने नहीं देना चाहिए। यह सदन सत्य का उद्घाटन करने वाला होना चाहिए। सरकार के कुकृत्यों और कुकर्मों को छिपाना इस सदन का काम नहीं है। इसलिये मैं बार-बार सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इन बातों पर सरकार पर जोर डालें और मैं आप से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी

[श्री राजनारायण]

नियम की बारीकियों को देख लें। अगर कहीं, अव्यवस्था हो तो मैं एक प्रस्ताव भी करना चाहूंगा कि इस समय इस पर वादविवाद रोक दिया जाय, क्योंकि हमारे पास साहित्य नहीं है। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि सदन में वह तमाम साहित्य वितरित नहीं किया गया कि किन-किन बातों पर १९५३–५४ में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किये गये। जब तक वह पूरे आंकड़े और पूरा साहित्य सदन में प्रस्तुत न हो तब तक इस पर विचार रोका जाय। अगर आप कहें तो मैं दूसरा प्रस्ताव रखूं.....।

श्री उपाध्यक्ष—पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के मार्फत यह अतिरिक्त अनुदान के प्रस्ताव आते हैं। उसकी रिपोर्ट में काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा है। उसको माननीय सदस्यों को पहले पढ़ लेना चाहिये।

श्री राजनारायण—मैं अब अपने प्रस्ताव पर आता हूं। मैं आप के सामने प्रस्ताव रखूंगा। मेरा प्रस्ताव है और इस पर आप की जो व्यवस्था होगी उस के बाद जो कुछ हम को करना होगा....।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने बता दिया कि इस आधार पर कोई बात रोकने की नहीं कही जा सकती, क्योंकि साहित्य आप के सामने था और सम्भव है आपने, जेल में होने के कारण, उस को पूरा न पढ़ा हो। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। तो इस वजह से सदन की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप से निवेदन करूंगा कि सरकार का काम है कि तमाम साहित्य सदन की मेज पर रखे। जो साहित्य हम मांगते हैं वह लाइब्रेरी में रहता है, सेक्रेटेरियट के किसी विभाग में रहता है। हम चाहें तो उस को देख सकते हैं। मगर आप के मुखारबिन्द से...

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी सीमा के अन्दर बात कीजिये। कौन से नियम के अन्दर आप समझते हैं कि पूरा साहित्य आपके सामने आना चाहिये? मैंने आपको बता दिया कि यह तमाम मेम्बरों की जिम्मेदारी है कि जब हाउस में आवें तो काफ़ी तैयारी करके आवें।

श्री राजनारायण—सरकार अगर गोल-मोल बात करे तो क्या किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में सब बातें दी जाती हैं। अगर आप कोई जानकारी करना चाहेंगे मंत्री जी से तो मैं उनको इजाजत दे दूंगा।

श्री राजनारायण—मंत्री जी पूरा ब्यौरा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप अगर बोलना चाहें तो बोलें और बैठना चाहते हैं तो मंत्री जी का समय आने पर उनको मौका दिया जायगा।

श्री राजनारायण—हम बोल रहे हैं। हमारा लिखित प्रस्ताव है, हमारा यह निश्चित मत है कि सरकार को पूरी व्यवस्था सदन में रखनी चाहिये और जितने आंकड़े हों कि यह डेढ़ करोड़ किन-किन मदों में खर्च हुआ है उनको सदन को देना चाहिये। सरकार यह बहाना नहीं ला सकती कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है या मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में ऐसी व्यवस्था है, माननीय सदस्य स्वयं पढ़ लें। यह कोई स्कूल नहीं है, पूरे आंकड़े सदन के सामने आने चाहिये। एक नोट दे दिया यहां पर कि डेढ़ करोड़ रुपया एक एकाउण्ट में एडजस्ट हुआ, कहीं सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अधिक अन्न उपजाओ योजना में हम रुपये दे रहे हैं, इसलिये उस कर्ज को देना है। कहीं भी पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में यह नहीं लिखा हुआ है कि कितना अन्न उत्पादन हुआ है, कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि कितनी

ट्रैक्टर्स से जमीन तोड़ी गयी। नाटकीय ढंग से यहां नाटक करने की परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिये। मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस विवाद को रोक दिया जाय और पूरा साहित्य सदन के सदस्यों को दिया जाय तथा अवसर दिया जाय तब इसको लिया जाय। सरकार का यह कह कर टाल देना कि सदस्य उस किताब में पढ़ लें, यह ठीक नहीं है। सही पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस को चलाने के लिये आपसे मांग करते हैं....।

श्री उपाध्यक्ष--इस किस्म का कोई प्रस्ताव इस स्टेज पर लाने की मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। मैंने स्पष्ट कर दिया कि हर मेम्बर का कर्त्तव्य है कि पूरी जानकारी रख कर आये और इस वक्त जानकारी न हो किसी माननीय सदस्य के पास उसकी वजह से सदन का कार्य रोक दिया जाय, यह नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण--सरकार की जो नालायकी है और तमाम साहित्य नहीं दिया है उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--हां, यह आप कर सकते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, इस बुद्धि के दान और मतदान का जो झगड़ा है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं यह समझता हूं कि सदन में थोड़ी सी शान्ति हो जाय तो सभवतः, श्रीमन्, भी मेरी बात सुन सकेंगे। मुझे यह शिकायत माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचानी है कि यह ठीक है कि माननीय सदस्य पब्लिक एकाउन्ट्स की रिपोर्ट देख कर आयें, परन्तु, श्रीमन्, आप का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब बजट सेशन आता है तो ४ वाल्यूम में विवरण होता है और उसमें डिटेल्ड ग्रान्ट्स होती हैं जिससे बड़ी सुविधा मिलती है, जो कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में नहीं मिलतीं। जब फैक्ट्स ऐण्ड फीगर्स के साथ हम भाषण देते हैं तो हमारे वाद विवाद का स्तर भी ऊंचा होता है, लेकिन अगर हम अन्धेरे में रक्खे जायं और हम से यह आशा की जाय कि वादविवाद का स्तर ऊंचा हो यह सर्वथा असंभव होगा।

मुझे माननीय मंत्री महोदय के मनोरंजन से न ग्लानि होती है, बल्कि किसी प्रकार तृप्ति ही होती है, परन्तु दुख की बात यह है कि जो ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन बना उसने कुछ भी कार्य नहीं किया। किसी सुसंगठित सरकार का कर्त्तव्य होता है कि जब डेफिसिट बजटिंग हो तो जो धन हम से लिया जाय, चाहे लोन के रूप में हो या सबसिडी के रूप में हो, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाना चाहिये।

श्रीमन्, एग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय बहुत अधिक न जानते होंगे और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्रीकल्चरल बातों (किसानी) से वे परिचित हो सकते हैं, लेकिन इसके विधान से अधिक परिचित नहीं हो सकते। इसमें हर जिले में कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य पाई जाती है और जिस रूप में इस विभाग का काम चलना चाहिये उस रूप में नहीं चल पाता और जो सुविधाएं हमको प्राप्त होनी चाहिये वे नहीं प्राप्त हो पातीं। श्रीमन्, आप भी फैजाबाद जिले से आते हैं, आप जानते होंगे कि एग्रिकल्चर इंजीनियरिंग का दफ्तर गोंडा में था। दो जिले पार करो तब इसका दफ्तर मिलता था।

कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस पर बहुत धन व्यय हुआ और जितना संतोष इससे मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। मैं विद्यादान का दावा तो करता नहीं हूं बल्कि विद्या ग्रहण की आशा अवश्य करता हूं। यदि शिक्षा मुझे दी जाय तो किसी भी अवस्था में शिक्षा ग्रहण करूंगा और उसे मैं बुरी बात नहीं मानता। यदि किसी वक्त मैं मंत्री महोदय की उम्र का हूंगा तो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिये उतारू हूंगा। शिक्षा ग्रहण करना बुरी बात नहीं है। शिक्षा का दान देना केवल राजनारायण जी और कृषि मंत्री जी के बूते की बात है। मंत्री महोदय इस विषय पर अधिक प्रकाश डालें कि १ करोड़ रुपया जो लोन के रूप में आया

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

और साल के आखिर में उनको यह मालूम हुआ कि यह इतने रुपये का इंतजाम नहीं कर सकते हैं लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोन के रूप में यह सहायता दी, लेकिन किसी भी फायनेंशियल एक्सपर्ट का, श्रीमन्, यह काम था कि वह समझ सके कि बजट में कितना रुपया है। एक करोड़ का कोई साधारण अंतर नहीं है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें काफी धन है और इसका बजट करोड़ों में होता है। लेकिन अन्तर लाखों में होना चाहिये था। अगर अन्तर करोड़ों में होता है तो इसके माने यह हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया था। मैं मानता हूं कि बहुत से विभागों में एक्सेस हो जाती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे जमीन आसमान एक कर दूं। लेकिन इस धनराशि को देखते हुये आपत्ति उठाई जा सकती है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ऐग्री-कल्चरल इंजीनियरिंग और कोलोनाइजेशन ऐसे विषय हैं कि इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि माननीय मंत्री जी इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो माननीय सदस्यों को विचार करने का अवसर प्रदान होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि हमारे मित्र राजनारायण जी नाखुश होकर यहां से चले गये हैं। मुझ से कोई कसूर सरजद नहीं हुआ था। केवल मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की थी कि मेरे पास महदूद अक्ल का खजाना है अगर मैं इसको नासमझी में खर्च कर दूं तो मैं बेकार हो जाऊंगा और वह बेकार होते हुये भी बाकार बने रहेंगे। मुझमें और उनमें इतना अन्तर है। इसलिये मैंने यह बात की थी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे कोई नाराज होने का मौका होता। कुछ दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि उनमें एक ऐसी टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है कि अगर कोई मुस्कराहट चेहरे पर हो जाय तो वह नाराज हो जाते हैं। अभी हमारे मित्र बुजुर्ग हाफिज जी पर वह नाराज हो गये थे कि आप हंसते क्यों हैं। मेरी खैरियत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं। मुहर्रम में मेरी पैदायश नहीं हुई है और वह इस पर अगर नाराज हो गये तो मेरी खैरियत कहां है?

जहां तक इस ग्रांट का सम्बन्ध है, यह लम्बी ग्रांट है, इसमें कोई शक नहीं है और इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा नहीं कहना है। हमारे यहां स्टेट में १९५३ में और १९५०–५१ से ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन के जरिये से कांस इरेडीकेशन की स्कीम बुन्देलखंड में चलाई गई थी और केन्द्रीय सरकार के ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के जरिये से सारा काम हुआ था। वह हमारे लिये मुसीबत का सामना जरूर हुआ, लेकिन यह काम हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के जो रेट्स थे वह वक्तन-फवक्तन बढ़ते चले जाते थे और राज्य सरकार की तरफ से लिखा-पढ़ी होती थी, क्योंकि बुन्देलखंड की रिआया उसको बरदाश्त नहीं कर सकती थी। वह बहुत ज्यादा थे। इसमें यह बकाया रह गया। वह तो हमसे चार्ज करेंगे और हम रिआया से कैसे चार्ज करें? इसलिये यह बकाया हमारे जिम्मे रह गया। हमारी तरफ से बराबर इस्तदुआ केन्द्रीय सरकार से होती थी कि आसान किस्तों में यह रकम वसूल की जाय। जब साल का एक दिन बाकी रह गया तो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि यह ग्रो मोर फूड की हैसियत से शौर्ट टर्म लोन तसव्वुर करके तुम्हारे हिसाब में डाल दिया है; तब हमारे पास कोई चारा रहा नहीं, साल का आखिरी दिन था। तो ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल करके अपने हिसाब में डाल लिया। उसके बाद से यह सवाल दरपेश है।

एक एतराज यह हुआ था कि बहुत दिन के बाद यह बात क्यों आयी। तो उपाध्यक्ष महोदय ने भी सारी बातें बतला दीं। आडिट होता है, कई मदें हैं, वे कम्पाइल होती हैं, फिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जाती हैं। तो इस तरह से एक जगह पर यह हिसाब रुका नहीं रहा। हर स्टेज से पास होते-होते जब फाइनल हुआ तो यह इस सदन में

लाया गया। अब जब गवर्नमेंट आफ इंडिया के एकाउण्ट में यह दर्ज हो गया तो हम को भी तो कुछ करना पड़ेगा, हम उससे सुबुकदोष नहीं हो सकते।

हमारे मित्र राजनारायण जी ने फरमाया कि मैंने कोई लम्बा चौड़ा साहित्य यहां नहीं दिया। एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट और उसकी रिपोर्ट जो सदन की मेज पर रखी जाती हैं उसका एक उद्देश्य हुआ करता है, वह कोई रद्दी समझ कर नहीं रखी जातीं। उसका उद्देश्य यह होता है कि माननीय सदस्य उसे पढ़ेंगे और अगर कोई मसला सदन के सामने दरपेश होगा तो उसके लिये तैयारी करते रहेंगे। वह आल्मारी में रखने के लिये नहीं है। और मैं कहता हूं कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट वगैरह सब इस सदन की मेज पर रखा जा चुका है और सब साहित्य दिया जा चुका है। अगर मेरे माननीय मित्र ने उसे पढ़ा नहीं तो सरकार जब कभी इस सदन में कोई मसला लेकर आयेगी तो हर बार बन्डल बांध कर तो लायेगी नहीं। आज मेरी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उस सारे साहित्य को हम राजनारायण जी की मेज पर रखते।

रही उनके नाराज होने की बात। वह तो उनकी रोजमर्रा की आदत है। वे चले जरूर गये हैं, लेकिन हमेशा के लिये नहीं गये हैं। वे कल फिर आ जायंगे, लेकिन इस बात का जरूर दुःख है कि जरा-जरा सी बात पर मचलना और ऐसा रुख अख्तियार करना सदन के मान मर्यादा के बाहर की बात होती है। अपोजीशन में होते हुये भी वे और दूसरे माननीय सदस्य हमारे मित्र हैं और मैं आशा करता हूं कि जब कोई ऐसा मौका आये तो रचनात्मक सुझाव दे कर हमें मुस्तफीद करेंगे।

हमारे मित्र अवधेश प्रताप जी ने जो फैजाबाद से तशरीफ लाये हैं एक बात कही कि ट्रैक्टर्स से जिलों में कुछ लाभ नहीं होता।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—यह कतई मैंने नहीं कहा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अच्छा तो मैं गलत समझा। मैं माफी चाहता हूं। अब मैं समझा कि ट्रैक्टर्स से जिलों में पूरा-पूरा फायदा हो रहा है। लिहाजा इस सम्बन्ध में अब कोई शिकायत हमारे मित्र को नहीं है। हां, यह बात सही है कि इंजीनियरिंग में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे मित्र को भी इस बात का दावा नहीं हो सकता, लिहाजा हम दोनों अनाड़ी मिल कर अगर इस काम को चलायें और खेतिहर के नाते देख भाल करके चलायें तो मैं समझता हूं कि उन इंजीनियरों से हमारी आपकी राय ज्यादा गलत न होगी। बहुत सी जगहों पर ज्यादा गहराई तक ट्रैक्टर चला कर मिट्टी खोद दी जाती है। नीचे निकल आयी बालू और वह ऊपर आ गयी और जरखेज जमीन नीचे चली गयी। तो इंजीनियर ऐसा कर सकते हैं, हुकुम सिंह ऐसा नहीं कर सकते जिनको खेती का अनुभव है। इस वजह से मैं कहता हूं कि जहां तक इस ग्रांट का सम्बन्ध है जिले के ट्रैक्टरों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। झांसी के ट्रैक्टर्स कांस इरेडिकेशन स्कीम से सम्बन्धित हैं और उसी सिलसिले में हमको इतना देना है केन्द्रीय सरकार को। वह धन किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया, किसी बिला टेन्डर वाले को नहीं दिया गया। इसलिये मैंने यह ग्रांट मांगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार विभाग तो बना देती है, लेकिन उसकी जांच नहीं करती। मैंने इस अनुदान को देखा और, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह देखें कि यह वृद्धि हुई कैसे। कालोनाइजेशन शायद उस समय आपके अंतर्गत न हो, किन्तु इस समय आप ही इस ग्रांट को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कालोनाइजेशन में सरकार के रुपये का दुरुपयोग किया गया है। उस समय लोगों को बसाने के लिये इस विभाग को खोला गया। मैंने देखा कि उसके साथ एक गवर्नमेंट फार्म भी खोला गया और साथ ही साथ कालोनाइजेशन के जितने भी अफसरान थे उनका स्तर ऊंचा कर दिया गया, पर जिनको जमीन मिलनी चाहिये नहीं मिली।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं आप की इजाजत से बता दूं कि तराई से इसका कोई संबंध नहीं है । एक-एक दो-दो रोटी वाला मजमून इसमें न किया जाय । इसका संबंध झांसी से है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन तराई में काम नहीं करता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका संबंध झांसी से है ।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री प्रताप सिंह से) आप बोलिये ।

श्री प्रतापसिंह---इस ग्रान्ट में झांसी का जिक्र कहीं भी नहीं है । कालोनाइजेशन का जिक्र है और कालोनाइजेशन पर मैं बोल रहा हूं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कालोनाइजेशन आपने कहीं किया हो, झांसी में या तराई में, इस रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ । दुरुपयोग हुआ है और मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गवर्नमेंट फार्मों के साथ आपने डेरी भी खोली और वह घाटे पर चलीं । जब सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया तो सरकार ने उसको माना नहीं ।

दूसरे जहां भी कालोनाइजेशन स्कीमें चलीं वहां कुछ लोगों के बड़े-बड़े फार्म थे उनके पास न ट्रैक्टर थे और न मजदूर । गवर्नमेंट के ट्रैक्टरों और मजदूरों से उनके यहां भी खेती कराई गई । इस तरह से ज्यादा रुपया खर्च हुआ और पब्लिक का रुपया जिस प्रकार खर्च होना चाहिये था उस प्रकार नहीं हुआ । तो मैं चाहता हूं कि १९५३-५४ की ग्रांट पर जो रुपया वह हमसे मांग रहे हैं, उससे वह कुछ सबक लें और भविष्य में वह जो भी विभाग खोलें उसके खर्च की बराबर जांच करायें कि जो रुपया हम से लिया जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं । इस मांग को तो आप पास करवा ही सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिये कि यह जनता का पैसा है । चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन हो या यू० पी० का, हम यहां तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कह सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात दो मिनट के लिये सुन लें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं कानों से सुनता हूं, आंखों से नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो रुपया आप यहां से मंजूर करवाते हैं और जिस काम के लिये मंजूर कराते हैं, वह रुपया उसी काम में आना चाहिये । इसकी आप जांच करायें । एक ओर आप कहते हैं कि रुपये की कमी है, दूसरी ओर गवर्नमेंट ट्रैक्टरों से प्राइवेट लोगों की जमीन जुतवाई जाती है । इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे । इसलिये जनता का रुपया सही तरीके से उपयोग में आना चाहिये, चाहे वह झांसी में उपयोग में आये अथवा तराई में, या रुद्रपुर में ।

मैं सदन का अधिक समय न लेकर सरकार के मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी विभाग उनके अंतर्गत क्यों न हो, वह उसकी जांच करायें । यह नहीं कि प्रोग्राम भेज दिया कि वहां हम इस दिन आ रहे हैं और वहां मेजर साहब तैयार हैं । आप छिप-छिप कर जाइये और देखिये तभी ठीक होगा ।

*श्री ब्रजनाराधण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान संख्या २३ का विरोध मैं इसलिये करता हूं कि एक तो यह ४ वर्ष के बाद आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई है और दूसरी चीज यह है कि हमारा सूबा गरीब है, जनसंख्या ज्यादा है, आमदनी कम है । हमको केन्द्रीय सरकार मदद करती है और उस मदद के उपयोग के लिये हमारी सरकार के संचालकों को इसकी भी जानकारी नहीं है कि कहां किस जगह और कितनी कमी है और कैसे उसका उपयोग किया जाय । जब हमारे पूर्व वक्ता श्री प्रतापसिंह जी बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह झांसी का मामला है, जहां पर यह रुपया खर्च

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ। मैं इसको मानता हूं, लेकिन सरकार ने वहां के लिये सुझाव दिया होगा कि वहां पर किस प्रकार खर्च किया जाय। केन्द्रीय सरकार ने मदद आपको दी, लेकिन आपके मन के मुताबिक वह खर्च हुआ। जब आप उसको न दे सके तो उसको कर्ज के रूप में मंजूर किया।

दूसरी बात यह है कि दूसरा बहाना नहीं मिला तो आपने कह दिया कि अधिक उपजाओ योजना में खर्च हुआ। अधिक उपजाओ योजना देश और प्रदेश के सामने ४ वर्ष पहले आई थी। उसका सारे प्रदेश में प्रचार किया गया और सिवाय इसके कि दीवारों पर लिख दिया गया, सड़कों के किनारे पर लिख दिया गया और कुछ काम नहीं हुआ। अगर उस योजना को ठीक ढंग से सारे प्रदेश में चलाया जाता तो उससे लाभ हो सकता था, किन्तु उसका प्रभाव लोगों पर कुछ नहीं हुआ और फिर ४ वर्ष के बाद उसको लाकर यहां रख दिया है कि उसके लिये यह रुपया खर्च किया गया है। आज भी मुसीबत का जमाना है और दिन बदिन देश और गरीब होता जा रहा है, लेकिन आपकी स्कीम उसको पूरा नहीं करती। आज ४ वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर अतिरिक्त व्यय लाद रहे हैं। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस मांग के लिये यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि जहां उन्होंने हमारी विपत्ति में इतनी मदद की वहां वह इस व्यय को भी सहन कर ले तो अच्छा होगा। इससे हमारे सूबे का कुछ और काम बन जायगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सदन इस अनुदान को अस्वीकार करे।

श्री हुकुम सिंह विसेन——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो अभी फरमाया कि आइये हम लोग सब मिल कर केन्द्रीय सरकार से मांग करें कि इस विपत्ति के समय में इतनी रकम देकर इस राज्य की सहायता करे, इस विचार के लिये अपने मित्र को बधाई देता हूं, लेकिन उनकी जानकारी के लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि सैंकडों खत हम उनको लिख चुके और सैंकड़ों मर्तबा दरख्वास्त की जा चुकी कि अगर इस रेट को कम कर दिया जाय तब हमारे राज्य की जो जनता है उसकी इससे बड़ी मदद हो जायगी, लेकिन उनके सामने भी दिक्कतें हैं, उनके सामने भी बड़े-बड़े काम हैं और उनके यहां भी खर्च की मदें बड़ी-बड़ी लम्बी हैं। लिहाजा जितनी सहायता होनी चाहिये उसको वह करने में कासिर रहे। इसलिये जिस बात को हम आजमा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, उसको फिर से लिखना या उसके लिये कोशिश करना कोई ज्यादा फायदेमन्द होने वाला नहीं है।

जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, शुरू शुरू में जब खाद्यान्न की कमी थी और कंट्रोल का जमाना था और चारों तरफ अन्न का अभाव था उस समय ग्रो मोर फूड कम्पेन चलाया गया। उस समय जो बेकार जमीन थी उसको जेरेकाश्त लाया गया और ज्यादा गल्ला पैदा करने की कोशिश की गयी। वह संकट का जमाना था। उसके २, १ वर्ष बाद यह स्कीम चलायी गयी। बुन्देलखंड और तराई के इलाके में ग्रो मोर फूड के सिलसिले में सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन के जरिये से यह काम कराया गया। यह झांसी की बात है और वह मसला अभी हमारे सामने है और हम उसके लिये प्रयत्नशील हैं कि ट्रैक्टर से जितनी मदद हो सके उतनी वहां पहुंचायी जाय।

जैसा मैंने शुरू में कहा, ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन के रेट्स ५०, ५५ रुपये एकड़, कन्वीयेन्स चार्जेज और ट्रेवलिंग चार्जेज को मिलाकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पैदावार ज्यादा हुई नहीं उससे अदायगी में दिक्कत पड़ गई, क्योंकि लोगों के सामने परेशानी थी, लेकिन वह चार्जेज सरकार के लिये मुआहिदा हो चुके थे। चाहे हम किसानों से लें या न लें। रेट बढ़ जाने से और लिखापढ़ी होने से समय लगा और ठीक समय पर अदायगी करना असम्भव था कि क्या रकम देकर हम सुबकदोश होते। फिर हमने कहा कि यह रकम हमसे किस्तों में वसूल की जाय और जब फाइनेंशल वर्ष खत्म हो गया तो कह दिया कि इसे हम लोन माने लेते हैं और ट्रैक्टर आर्गनाईजेशन के हक में क्रेडिट किये देते हैं और यहां इंटीमेशन भेज दिया। यह हमने माना। इसलिये कोई रुपया बेकार नहीं गया है। खेत जोतने के बाद कांस निकली, यह भी दिक्कत हमार सामन थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—आपकी आज्ञा से मैं एक सूचना चाहता हूं। क्या इन ट्रैक्टरों का उन ट्रैक्टरों से संबंध है जिनका गवर्नमेंट आफ इंडिया के कुछ लोगों ने स्कैंडल किया था और वे बड़े महंगे पड़े थे ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—माननीय सदस्य उसमें जानकारी रखते होंगे। मैं उसमें शरीक नहीं था और मुझे अधिक जानकारी नहीं है। ये तो वह थे जो हमारे यहां ठीक तरह से काम करते थे और उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं है।

प्रतापसिंहजी ने कहा कि ग्रो मोर फूड के सिलसिले में बहुत पैसा बरबाद हुआ और गल्ला नहीं बढ़ा।

श्री प्रताप सिंह—मैंने गल्ला न बढ़ने की बात नहीं कही। रुपये के दुरुपयोग की कही।

श्री हुकुम सिंह बिसेन—यह इससे भी ज्यादा खराब बात है आपने आज तक कोई सबूत नहीं दिया। वोटर तो हमारे मित्र हमेशा रहे होंगे, नाबालिक तो हैं नहीं, पढ़े-लिखे हैं, एक खत लिखकर ही भेज देते। मगर कोई तकलीफ नहीं की। यहां चूंकि प्रिविलेज है कि जो चाहे कहो, तो आज हमें पहले-पहल बताया गया। अब १९५३ की तहकीकात हमसे सन् १९५७ के आखिर में करावें, तो नहीं मालूम कितना सबूत गायब हो गया और गवाह मर गये होंगे। हमारे मित्र चाहे अनभिज्ञ हों, लेकिन मुझे इसका तजुर्बा है कि बहुत समय बीतने पर कोई लाभ नहीं होता चाहे जितनी इनक्वारी की जाय। इसमें कोई अपव्यय नहीं हुआ है। एक-एक पैसा ज्यादा अन्न पैदा होने के हक में खर्च किया गया और पैदा हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी पैदावार में इजाफा हुआ और इम्पोर्ट में कमी हुई। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि इस ग्रांट को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५३-५४ के संबंध में अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४० कृषि—कृषि इंजीनियरिंग तथा उपनिवेशन के अन्तर्गत १,२८,०४, ५६१, रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक १७, ४१,६८ और ८१—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ३७,०६१ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा अनुदान है। इसमें ज्यादा खर्चा होने की वजह यह हुई है कि फरवरी ५४ में फैजाबाद सर्किल कायम हुआ और उस सिलसिले में कुछ ज्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा सुहावल के पावर स्टेशन पर कुछ नयी जगहों की जरूरत पड़ी, उसमें कुछ रुपया ज्यादा खर्च हुआ। इसलिये यह ३७ हजार रुपया ज्यादा खर्च हो गया। इस रुपये को यह समझ कर खर्च कर दिया गया कि अगर काम रुका रहता तो योजना के पूरा करने में देर लग जाती, उसमें जल्दी करने की वजह से खर्च ज्यादा कर दिया गया और अब वह सदन के सामने है। मुझे उम्मीद है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

राजा यदवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो विद्युत् विभाग का अनुदान रक्खा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कई बार एक ही बात को सुन चुका हूं, तर्क तो देना दूर रहा, युक्ति से साबित करना तो दूर रहा, बार-बार

यह कह दिया जाता है कि यह मांग बड़ी छोटी सी है, मंजूर कर दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस छोटी सी ग्रान्ट कहने का क्या मतलब होता है। हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी ने पहले भी एक बार कहा था कि "छोटा सो खोटा"। तो जब तक उसके खोटेपन की परख न हो तो कैसे उस छोटी सी मांग को मंजूर कर लें ?

बिजली विभाग की बड़ी प्रशंसा की जाती है। प्रान्त में बिजली विभाग का जो कार्य रहा है वह प्रशंसनीय नहीं रहा। श्रीमन्, कुछ अप्रासंगिक तो होगा, लेकिन यह सत्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ट्यूबवेलों में अस्थिरता रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। श्रीमन्, हमारे ट्यूबवेल्स प्रथम पंचवर्षीय योजना में बने, बिजली भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी तो आज सन् १९५७ में पूरी तरह से एनरजाइज होकर सारे ट्यूबवेल्स चल जाने चाहिये थे। अब हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या रहे ? कारण, श्रीमन्, एक ही रहा कि विभाग के अन्दर योग्यता के साथ संचालन करने के लिये जो पात्रता होनी चाहिये थी वह नहीं थी। मैंने इस माननीय सदन के सामने पिछले बजट के अवसर पर यह कहा था कि विभाग के अधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी क्वालीफिकेशन्स को जानने का प्रयास किया जाय तो आपको मालूम होगा कि उनकी क्वालिफिकेशन्स ओवरसियर और सब ओवरसियर्स की हैं। उस अन्डर क्वालीफाइड लोगों से संचालित विभाग से कार्यों को पूरा करने की आशा की जाय, मैं आशा करता हूं कि वह निर्मूल है।

श्रीमन्, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार का जो बिजली विभाग है और इसके साथ-साथ जो कानपुर का कैसा प्लांट है, आप, श्रीमन्, थोड़ा सा विचार करें कि कानपुर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अपने यहां बिजली उत्पादित करती है वह उससे ज्यादा महंगी पड़ती है जो कि अहमदाबाद में बिजली उत्पादित होती है। श्रीमन् के सामने मैं कुछ थोड़ा सा ....

श्री उपाध्यक्ष——यहां कानपुर का प्रश्न कैसे उपस्थित हो गया ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे——मैं तो उदाहरण के लिये यह दे रहा हूं कि किस प्रकार से बिजली विभाग के लिये अनुदान मांगा जा रहा है। मैं इनकी इनएफिशिएंसी और इनकम्पीटेंसी बतलाना चाहता हूं। श्रीमन्, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निर्धारित हुई थी। उस कमेटी ने यह निर्णय किया था कि यह जो कानपुर का पावर प्लांट है उसमें जो बिजली का उत्पादन होता है उससे सस्ता तो अहमदाबाद में बिजली का उत्पादन होता है, जहां कि कोयला कानपुर से महंगा ही पड़ता है। फिर यह प्रोफिटियरिंग किस लिये है और एप्रोप्रिएशन क्यों मांगा जा रहा है ? फिर, श्रीमन्, यहां जो उत्पादन होता है, वह सारे देश से भी कम है। उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन १९१३ किलोवाट आफ इनर्जी फार एवरी इन्सटाल्ड यूनिट सन् १९५५ में था जब कि आल इंडिया का एवरेज ३,२१४ किलोवाट था। यह कहा जा रहा है कि सोहावल में यह कर दिया, वहां यह कर दिया, इस वजह से खर्चा बढ़ गया है, लेकिन यह खर्च इनएफिशिएंसी और इनकम्पीटेंसी की वजह से ही बढ़ा है। अगर सन् १९५५ में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी को देखा जाय तो मालूम होगा कि कैपेसिटी के अनुसार ४,०८० किलोवाट आफ इनर्जी फार एवरी इन्सटाल्ड किलोवाट यूनिट बढ़ी जब कि टोटल जेनरेशन २६७.८९ लाख किलोवाट यूनिट रहा....

श्री उपाध्यक्ष——एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फैजाबाद सर्किल के संबंध में ही आप कहें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे——श्रीमन्, एप्रोप्रिएशन बिल तो पूरे विभाग के लिये उपस्थित किया जा रहा है। श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जब फल ऊपर से नीचे तक सड़ा ही हुआ हो तो उसे तो देखना ही पड़ेगा कि कहां सड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष——लेकिन फल एक ही है, पूरी टोकरी का प्रश्न नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । आपकी आज्ञा होगी तो मैं विषय से अलग नहीं जाऊंगा । आखिर एलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पर जो इतना खर्चा बढ़ गया है उसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर मेरी आज्ञा शिरोधार्य करने के बाद भी फिर वही बात कहेंगे तो उससे क्या लाभ हो सकता है ? आप फैजाबाद सर्किल और पूर्वी जिलों के बारे में ही जो कहना हो कहें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं उसी सर्किल के ऊपर बोलूंगा । श्रीमन्, मुश्किल तो यह है कि सारी आडिट रिपोर्ट तो पूरे प्रान्त भर के लिये है । श्रीमन्, अगर आप इस आडिट रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि इस विभाग में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप केवल उसी ग्रांट के ऊपर बोलें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, एकाउंट्स ऐंड आडिट रिपोर्ट में केवल फैजाबाद सर्किल और खटीमा पावर हाउस के बारे में तो है नहीं । श्रीमन्, ३ लाख २० हजार किलोवाट बिजली उत्पादन की बात थी और ३ लाख ५९ हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन हुआ । तो फिर यह एप्रोप्रिएशन किस लिये लाया जा रहा है ? जब इतनी सेविंग हुई कि बिजली का उत्पादन ज्यादा हुआ तो फिर किस तरह से ज्यादा खर्चा दिखलाया जा रहा है ? श्रीमन्, आगे चल कर आडिटर की रिपोर्ट को भी सामने रखें । एक तरफ तो आप देखें कि आडिट रिपोर्ट कहती है कि एक लाख एक हजार रुपए का एप्रोप्रियेशन है और एक्सेस है ४ लाख २६ हजार रुपए का । वह कहते हैं कि हमने ३ लाख ५९ हजार रुपए बचाए और दूसरी ओर आडिटर कहते हैं कि १ लाख एप्रोप्रियेशन था और एक्सेस खर्च कर दिया ४ लाख २६ हजार रुपया । यह तो वैसे ही है कि जौनपुर में एक सईदन खां थे, उनके यहां जब हिसाब बनता था तो ५ रुपया पान के दाम होते थे, ५ रुपया पान वाले के होते थे और ५ रुपया पान की दुकान के लिखे जाते थे । हो सकता है कि इसी तरह से उन्होंने भी बिजली विभाग का हिसाब बनाया हो ।

आगे आप देखें कि वह खर्च जो राजस्व से पूरा किया जाता है ....

श्री उपाध्यक्ष—यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—सन् १९५४-५५ की रिपोर्ट से ।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा टु दि प्वाइंट बोलें और मेरे नियंत्रण से निकल भागने की कोशिश न करें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—वह हमसे अनुदान मांगते हैं सन् १९५३-५४ के लिये और हमें रिपोर्ट दी जाती है १९५४-५५ की ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अगर १९५३-५४ की रिपोर्ट से रिफ्रेन्स देते तो मैं इजाजत देता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—रिपोर्ट १९५३-५४ की दी ही नहीं गयी, वह रिपोर्ट अभी तैयार ही नहीं हुई है, इसका उत्तर ही सरकार के पास नहीं है और यही इनएफिशियेन्सी का नमूना है कि जिसके परिणामस्वरूप आज ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और आज तक विद्युत् का कार्य पूरा नहीं हो पाया है । इस पर भी न जाने क्यों न तो वह इनएफिशियेन्सी का कारण बताते हैं और न यह बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक ग्रांट और है, इस सब को पौने ५ बजे खत्म करना है, उसके बाद विनियोग विधेयक आयेगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अन्त में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि केवल इनकम्पीटेंसी और इनएफीशियेन्सी के कारण यह मांग मांगी जा रही है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे अस्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ तथा ८१--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ३७,०६१ रुपए की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

श्री रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८-लेखा शीर्षक ५५, बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनों के अन्तर्गत २,२४,३३८ रुपए की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह असिल में कोई ज्यादा खर्च नहीं है, बल्कि बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बाहर सरकार से पेन्शन पा रहे हैं और वह कालोनीज में या इंगलैंड वगैरह में दूसरी जगहों में रहते हैं, पेंशन लेते हैं । जब उसके तमाम आंकड़े सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और आडिटर जनरल के यहां से होकर के आ जाते हैं तब वह हमारे सामने रखे जाते हैं । यह रकम उसी सिलसिले में है, ज्यादा इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है । आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,२४,३३८ रुपए की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पुरः स्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ क्षणों के उपरान्त)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

यह जो रकमें यहां अभी चर्चा में थीं और उनके अनुदान पास हुए थे वह सब इसमें रखी हुई हैं और उस रुपये को कंसालिडेटेड फंड से निकालने की इजाजत के लिए संविधान के मुताबिक यह बिल पेश किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, अनुसूची, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

२---उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग १,३२,१९,६९७ रुपया (एक करोड़ बत्तीस लाख उन्नीस हजार छै सौ सत्तानबे रु०) होता है ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है । उत्तर प्रदेश को १९५३-५४ की संचित निधि में से १,३२,१९,६९७ रुपये का दिया जाना ।

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त हुये वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा । विनियोग।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४	स्टाम्प	२५,३६१	..	२५,३६१
१०	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	१,१२,८७५	..	१,१२,८७५
२३	कृषि अभियंत्रण और उपनिवेशन ..	१,२८,०४,५६१	..	१,२८,०४,५६१
२७	विद्युत् योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय ..	३७,०६१	..	३७,०६१
३८	बढ़ौती भत्ता तथा पेंशन	२,२४,३३८	१५,५०१	२,३९,८३९
	योग ..	१,३२,०४,१९६	१५,५०१	१,३२,१९,६९७

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७

३१ मार्च, १९५४ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा ,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१८ दिसम्बर, १९५७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६७ पर)

१९५७--५८ वर्ष के बेसिक पुस्तकों के प्रकाशकों की सूची

बेसिक रीडर भाग १

मैसर्स

१—यूनीवर्सल पब्लिशर्स, लखनऊ
२—इलाहाबाद ला जर्नल कं०, लि०, इलाहाबाद
३—शिव लाल अग्रवाल, आगरा
४—स्टार प्रेस, कानपुर
५—स्वाधीन प्रेस, झांसी
६—केदारनाथ रामनाथ, मेरठ
७—उत्तर चन्द्र कपूर, आगरा
८—पोथीशाला प्रेस लि०, इलाहाबाद
९—आर्यावर्त्त प्रकाशन, लखनऊ
१०—विलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद
११—जाब प्रेस, कानपुर
१२—हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद

बेसिक रीडर भाग २

मैसर्स

१—गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ
२—सुधा प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
३—अग्रवाल प्रेस, मथुरा
४—एम० गुलाब सिंह एंड संस, इलाहाबाद
५—श्री राम मेहरा एंड कं०, आगरा
६—ओंकार प्रेस, इलाहाबाद
७—हर प्रसाद भार्गव, आगरा
८—राजीव प्रकाशन, आगरा
९—लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, आगरा
१०—भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी

बेसिक रीडर भाग ३

मैसर्स

१—साहित्य कुटीर प्रेस, लखनऊ
२—साधना प्रेस, कानपुर
३—इंडस्ट्रियल आर्ट प्रिंटर्स, कानपुर
४—बाम्बे भूषण प्रेस, मथुरा
५—साहित्य मंदिर प्रेस, लखनऊ
६—प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
७—जी० आर० भार्गव एन्ड संस, चन्दौसी
८—यू० पी० प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद
९—बाल शिक्षा मंदिर, लखनऊ
१०—गर्ग एंड कं० (आफसेट), कानपुर

बेसिक रीडर भाग ४

मैसर्स

१—कल्याण प्रेस, जौनपुर
२—रामदयाल अग्रवाल, इलाहाबाद
३—संसार प्रेस, वाराणसी
४—शर्मन ब्रदर्स, इटावा
५—सिंघल प्रिंटिंग प्रेस, बुलन्दशहर
६—शंकर प्रेस, आगरा
७—नन्द किशोर एन्ड ब्रदर्स, वाराणसी
८—कोआपरेटिव प्रिंटिंग प्रेस, आगरा
९—केशरवानी प्रेस, इलाहाबाद
१०—गनेस प्रसाद जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी
११—यूरेका प्रिंटिंग प्रेस, वाराणसी
१२—पब्लिशर्स एन्ड प्रिंटर्स लि०, लखनऊ
१३—निर्बल के बल राम प्रेस, कानपुर
१४—जैतोष प्रकाशन, लखनऊ

बेसिक रीडर भाग ५

मैसर्स

१—बंसल प्रेस, आगरा
२—अधिकारी प्रेस, फतेहगढ़
३—सरस्वती सदन, मसूरी
४—मेक्सवेल एंड कं०, लखनऊ
५—जुगल किशोर प्रेस, देहरादून
६—कुमार प्रेस, मुरादाबाद
७—राष्ट्र सेवक प्रकाशन मंडल, आगरा
८—महेशानन्द एन्ड संस, लखनऊ
९—भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़
१०—लाहरी बुक डिपो, वाराणसी
११—शिशु कार्यालय, इलाहाबाद

बेसिक अंकगणित भाग २

मैसर्स

१—अपर इंडिया पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ
२—रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा
३—मदन मोहन एन्ड संस, अल्मोड़ा
४—आर्ट प्रिंटर्स, इलाहाबाद
५—एजूकेशनल बुक डिपो, झांसी
६—विश्व प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
७—महातम राव, प्रिंटर्स एन्ड पब्लिशर्स, गोरखपुर
८—भार्गव ब्रदर्स, कानपुर

बेसिक अंकगणित भाग ३

मैसर्स

१—पुस्तक भंडार, लखनऊ
२—प्रभात प्रेस, मेरठ
३—सूरज प्रकाशन भवन, लखनऊ
४—जन सेवक प्रेस, बुलन्दशहर
५—मदन मोहन एंड संस, मुरादाबाद
६—स्टार प्रेस, लखनऊ
७—ईस्टर्न बुक डिपो, लखनऊ
८—शंकर प्रेस, अलीगढ़
९—गनेश प्रेस, गोंडा
१०—रामा प्रिंटिंग प्रेस, आगरा
११—साहित्य भवन, इलाहाबाद

बेसिक अंकगणित भाग ४

मैसर्स

१—नारायण प्रकाशन, लखनऊ
२—गंगा प्रेस, हरदोई
३—स्टैन्डर्ड प्रेस, इलाहाबाद
४—अरुण प्रेस, मुरादाबाद
५—नेशनल प्रिंटिंग ऐन्ड पब्लिशिंग हाउस लखनऊ
६—सत्य सदन, बाराबंकी
७—सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद
८—जाब प्रिंटर्स, इलाहाबाद
९—सेन्ट्रल प्रेस, कानपुर
१०—गुप्ता पब्लिशिंग हाउस, आगरा
११—मिशन प्रेस, इलाहाबाद
१२—हीरा लाल प्रिंटिंग वर्क्स, मथुरा

बेसिक अंकगणित भाग ५

मैसर्स

१—हिन्दी विश्व भारती, लखनऊ
२—वैंगार्ड प्रेस, इलाहाबाद
३—कालेज बुक स्टोर्स, अलीगढ़
४—इलाहाबाद ओरियन्टल प्रेस, लखनऊ
५—न्यू थाट प्रस, इलाहाबाद
६—विज्ञान मंदिर, देहरादून
७—सुधा प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
८—नया संसार, वाराणसी

कृषि और सरल विज्ञान भाग १

मैसर्स

१—विद्या मंदिर प्रेस, वाराणसी
२—प्रेम प्रेस, इलाहाबाद
३—आनन्द बुक डिपो, इलाहाबाद
४—सरल प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
५—हिन्द प्रेस, लखनऊ
६—ओरियन्टल पब्लिशर्स, कानपुर
७—राज किशोर प्रकाशन, इलाहाबाद
८—विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
९—राम प्रसाद ऐन्ड ब्रदर्स, इटावा
१०—हिन्दुस्तानी आर्ट काटेज, लखनऊ
११—शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ

कृषि और सरल विज्ञान भाग २

१—भारत भारती प्रकाशन, मेरठ
२—श्री नाथ ब्रदर्स, वाराणसी
३—आगरा बुक स्टोर्स, आगरा
४—वेदान्त प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ
५—प्रगति प्रेस, इलाहाबाद
६—काशी विद्यापीठ, वाराणसी
७—युग मंदिर, उन्नाव
८—ग्रैन्ड बुक डिपो, इलाहाबाद
९—प्राविन्शियल बुक डिपो, इलाहाबाद
१०—राम चरन लाल अग्रवाल, लखनऊ
११—कृष्णा प्रेस, इलाहाबाद

कृषि और सरल विज्ञान भाग ३

मैसर्स

१—राज कमल कला प्रकाशन, वाराणसी
२—कुमार पब्लिशर्स, लखनऊ
३—भारतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ
४—सिंघ प्रिंटिंग प्रेस, कानपुर
५—पीतम प्रकाशन मंदिर, आगरा

पुस्तक का नाम				प्रकाशक का नाम
				मैसर्स
१	उर्दू बेसिक रीडर	भाग	१	नामी प्रेस, लखनऊ ।
२	"	"	२	एम० गुलाब सिंह एंड संस, इलाहाबाद ।
३	"	"	३	किताब घर, अलीगढ़ ।
४	"	"	४	" "
५	"	"	५	सर्फराज बुक एजेंसी, लखनऊ ।
६	अंकगणित	भाग	२	" "
७	"	"	३	नामी प्रेस, लखनऊ ।
८	"	"	४	" "
९	"	"	५	एम० गुलाब सिंह एन्ड संस, इलाहाबाद ।
१०	कृषि और सरल विज्ञान	भाग	१	सर्फराज बुक एजेन्सी, लखनऊ ।
११	"	"	२	किताब घर , अलीगढ़ ।
१२	"	"	३	सर्फराज बुक एजेन्सी, लखनऊ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७२ पर)

हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या

	हाई स्कूल परीक्षा		इन्टरमीडियेट परीक्षा			
वर्ष	साधारण	औद्योगिक	साधारण	वाणिज्य	कृषि	औद्योगिक
१९४५	..	६२.८	..	६७.८	५६.२	६३.२	..
१९४६	६२.८	..	६४.४	७०.३	४६.३	..
१९४७	६३.२	..	६७.३	७१.५	६४.५	..
१९४८	६३.१	..	५७.६६	५९.७	५३.५९	..
१९४९	६४.४	..	६३.८	६२.६	५४.९	..
१९५०	५४.१	..	५९.२	५७.६	५४.१	..
१९५१	५९.०६	..	५९.६	५७.८	६३.६	..
१९५२	५१.६५	..	५७.९	साधारण परीक्षा में		..
१९५३	५१.१६	..	५६.०	सम्मिलित		
१९५४	५०.७५	..	५०.२२	..	..	..
१९५५	४६.४८	४६.८ (प्रारम्भ)	५४.५	..	..	७६.५
१९५६	४४.१	४७.८३	५२.३	..	..	८४.०

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

(सूची गांव इलाका थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा, जिनमें ग्राम रक्षा समितियां स्थापित हुईं।)

नं० शु०	नाम मौजा	नं० शु०	नाम मौजा
१	अतरौरा।	३७	कुरथुवा।
२	अवलपुर चौधरी।	३८	गोकुला कलां।
३	अवलपुर घाट।	३९	लौकियाताही।
४	ओवरीडीह।	४०	मनीगढ़ा।
५	इटई अब्दुल्ला।	४१	मुन्डा माफी।
६	ऐदहा।	४२	मुबारकपुर।
७	बिशम्भरपुर।	४३	मट्टोघाट।
८	बिशुनपुर।	४४	मनुआगढ़।
९	मैसाही।	४५	मीरपुर।
१०	पतकरपुर।	४६	मथईपुर कानूनगो।
११	परसिया।	४७	नथईपुर कुंवर।
१२	पिपराग्रान्ट	४८	नेवादा।
१३	ताबेपुर।	४९	नया नगर।
१४	तेंदुवा मानपुर।	५०	हसऊपुर।
१५	जफरापुर।	५१	देवरिया।
१६	जालेपुर।	५२	जिगना।
१७	जखौली।	५३	बोधीपुर।
१८	मिरवा।	५४	इजदीपुर।
१९	जिगनी।	५५	औसानी बुजुर्ग।
२०	चौरा।	५६	औसानी फीरोज।
२१	छितलपुर।	५७	बम्हनी खुर्द।
२२	दतलूपुर।	५८	बम्हन जोत।
२३	देवरिया आदम।	५९	बम्हनी बुजुर्ग।
२४	रहमतपुर।	६०	भिखारी पट्टी।
२५	रामपुर ग्रांट।	६१	मानपुर।
२६	रामपुर अरना।	६२	बनगवां।
२७	सब्बन जोत।	६३	बस्ती राघो।
२८	सिहार घाट।	६४	बैजलपुर।
२९	सराय खास।	६५	बुकुनपुर।
३०	सादुल्लानगर।	६६	बकुआदर्गाह।
३१	सगौली।	६७	भावपुर।
३२	सहजोरा।	६८	बकुई खुर्द
३३	कम्मरपुर।	६९	बढ़ौलीपुर।
३४	खतरहा।	७०	बस्ती डोमा।
३५	कमालपुर।	७१	पिपराशरीफ।
३६	कन्छर माफी।	७२	पिकौरा।

नं० शु०	नाम मौजा	नं० शु०	नाम मौजा
७३	पिपरामाहिम।	११५	मघईपुर।
७४	पिपराइस्माईल।	११६	मझउवातौ।
७५	पिपराबारा खां।	११७	मौकलपुर सान।
७६	पड़री हाथीराय।	११८	नौवा गांव।
७७	तिलखोरिया।	११९	निपनियां।
७८	तरहनी।	१२०	हथिया गढ़।
७९	तरकुलहवा।	१२१	मौकलपुर।
८०	फरेंहदा खुर्द।	१२२	इंच्छापुर।
८१	जिगरिया।	१२३	बहिरौली।
८२	चांदपुर।	१२४	औराडीह।
८३	हसनपुर।	१२५	इस्लामपुर।
८४	खिजिरपुर।	१२६	इंटवा खुर्द।
८५	दौलतपुर।	१२७	बैंजपुरा।
८६	दरियापुर।	१२८	मैलया।
८७	ढोढ़ेपुर।	१२९	बनघुसरा।
८८	रंकी बदलपुर।	१३०	बढ़हरा।
८९	रमवापुर।	१३१	बढ़या।
९०	रेंड़वलिया।	१३२	बैलगाढ़ी।
९१	राघोपुर।	१३३	बमन पुरवा।
९२	रेहारटपाकी।	१३४	बकुई बुजुर्ग।
९३	रामपुर।	१३५	बस्ती खास।
९४	रसूलपुरताज।	१३६	परसरामपुर।
९५	रसूलपुर खान।	१३७	परानपुर।
९६	सवना।	१३८	पिपरा खदाई।
९७	शहरी।	१३९	पूरे सीर।
९८	अल्लीपुर।	१४०	फन्दहा।
९९	अलाउद्दीनपुर।	१४१	फरेंदा बुजुर्ग।
१००	गाजीपुर।	१४२	जगन्नाथपुर ग्रान्ट।
१०१	फतेपुर।	१४३	जलालपुर।
१०२	कुलही गरीब।	१४४	चन्द्रदीप घाट।
१०३	किशुनपुर सागर।	१४५	हाजी जोत।
१०४	कुवरी ग्रान्ट।	१४६	बिदउलीडीह।
१०५	करनपुर।	१४७	दिवरिया गंगाघर।
१०६	कैशौनगर ग्रान्ट।	१४८	दौलतपुर ग्रैन्ड।
१०७	कछवन कलां।	१४९	सरिका मासूमपुर।
१०८	गूंमा फातमा जोत।	१५०	कौटवा दरगाह।
१०९	गौरा।	१५१	करौहा।
११०	लोथरपुर ग्रान्ट।	१५२	खौजहवा।
१११	भेरैला।	१५३	कौलहिया।
११२	मल्हीपुर।	१५४	खरही भारी।
११३	मौड़िला।	१५५	गैलहीपुर।
११४	मथुरपुर चिरैग्रा।	१५६	लालपुर।

उत्तर प्रदेश गजेटियर

नं० शु०	नाम मौजा	नं० शु०	नाम मौजा
१५७	लहगौरा।	१७४	चोरघटा घाट।
१५८	महनुआं।	१७५	ढौड़हवा कुतुब जोत।
१५९	मड़हा बुजुर्ग।	१७६	रेनुआ खास।
१६०	मढ़वा खुर्द।	१७७	रैघुनन्दन सुर।
१६१	महुवा बाकर।	१७८	रानीपुर।
१६२	मद्दोमीट।	१७९	सलीमपुर।
१६३	मुहम्मदपुर।	१८०	सेमा साठी।
१६४	मन्नी जोत।	१८१	सौतिया।
१६५	मझानी।	१८२	सीतारामपुर ग्रान्ट।
१६६	मद्दोनान कार।	१८३	समसापुर।
१६७	मझवा खास।	१८४	सैदापुर।
१६८	मझवा खुर्द।	१८५	अलाउद्दीनपुर।
१६९	नौडिहवा।	१८६	अलावलपुर।
१७०	नारायनपुर।	१८७	अलीनगर।
१७१	नाथूपुर।	१८८	फिरोजपुर।
१७२	खमिरया।	१८९	कस्बा।
१७३	तकिया।		

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--२२० एल० ए०--१९५८--८१०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा